खण्ड-301, अंक-9
बुधवार, 4 माघ, शक संवत् 1894
(24 जनवरी, 1973 ई0)

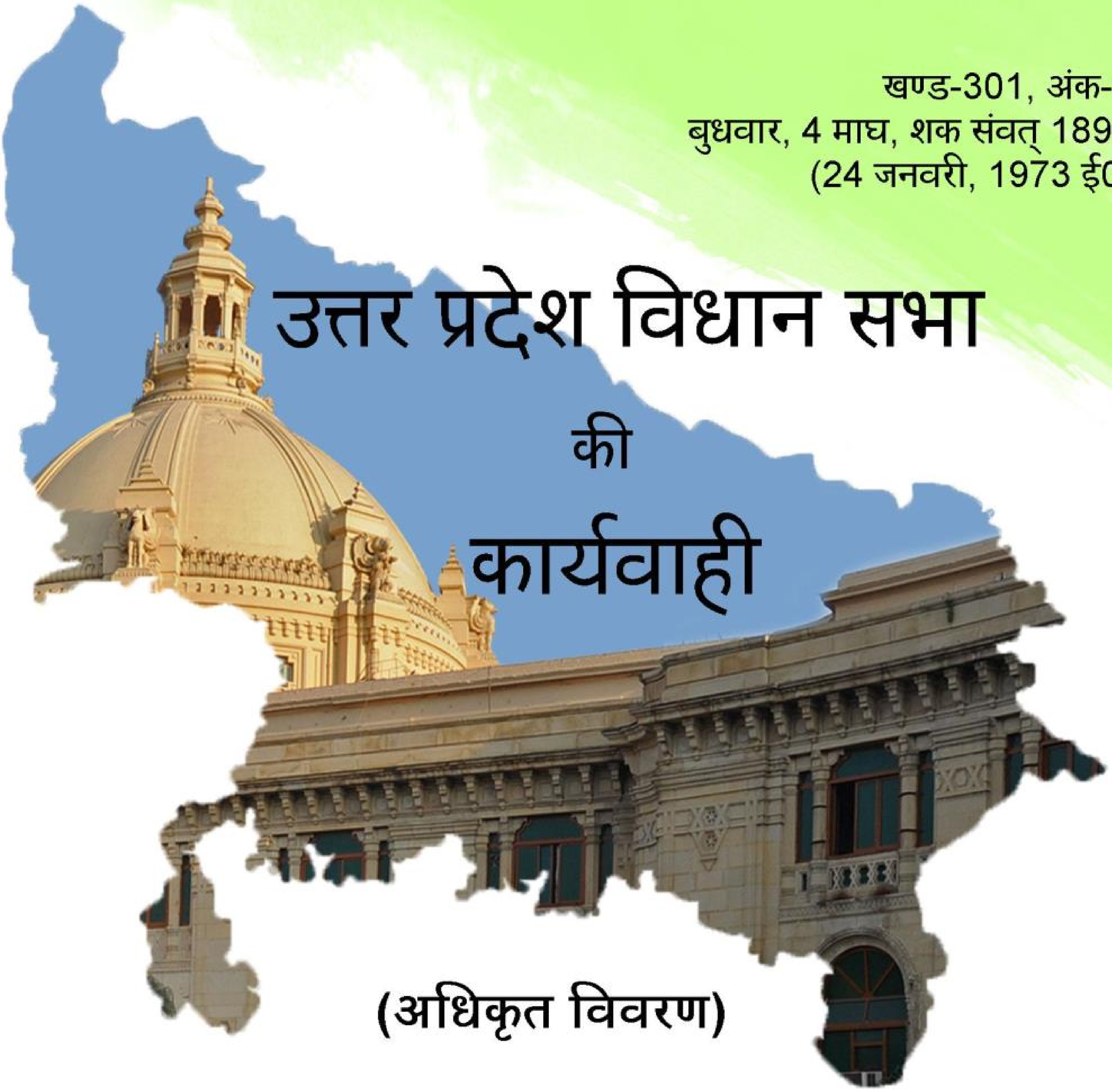

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 24 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--375

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए0सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप, नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नंनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री

बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली दवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री
(जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर

श्यालाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 24 जनवरी, 1973

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

[23 जनवरी, 1973 का स्थगित अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न]

जिला सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों के चुनाव का स्थगन

**1—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि शासन ने प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों के संचालक मंडल का निर्वाचन जो नवम्बर तथा दिसम्बर, 1972 तक होना था को एक वर्ष के स्थगन का आदेश प्रसारित किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी नहीं ! ऐसा शासन द्वारा कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है।

प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर आना चाहिये। इसके बाद ऐक्ट पढ़ा जायेगा। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो कल दे दिया गया था। कल उनसे पूछा गया था कि ऐक्ट में इसका प्राविधान कहां है। मैंने कहा था कि कल अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के बीच में अगर उत्तर आ जायेगा तो वह दे देंगे। लेकिन बाद में आया तो आज वह उत्तर दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक नया चुनाव न हो जाय तब तक पुरानी समिति काम करेगी। यह इसमें है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

(1) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार संघटित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगी जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायं।

(2) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जिसकी व्यवस्था नियमों अथवा समिति की उपविधियों में की जाय—

प्रतिबन्ध यह है कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी के तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नये निर्वाचन न हो जायं अथवा उपधारा (5) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न दिये जायं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, धारा 3 में दिया है कि—

"After the expiry of term mentioned in sub-section (2) the Co-operative Society shall in its ensuing annual general meeting elect members for the committee of management as provided in clause (*b*) of sub-section (1) of Section32, and thereupon the members so elected shall replace the members whose term expired under sub-section (2)."

मैं यह जानना चाहता था कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनका चुनाव होना चाहिये था। उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होता है। 6/7 महीने बाद भी संचालक मंडल का चुनाव न करने का परामर्श दे दिया गया कि चुनाव न करायें। शासन की नीति है कि वेस्टेड इंटरेस्ट न रहे तो किस प्राविधान के अन्तर्गत यह रुकावट डाली गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था उनका भी बढ़ा हुआ है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, चुनाव को रोकने के लिये नहीं कहा है बल्कि रजिस्ट्रार न उनको परामर्श दिया है कि समिति अपनी सालाना बैठक कर लें और उचित समझें तो चुनाव न करायें क्योंकि नया संशोधन होने जा रहा है, इसलिये दिक्कत होगी और परेशानी बढ़ेगी

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर प्रश्न हो चुके थे। लेकिन मैंने एक प्रश्न की इजाजत दे दी क्योंकि कल इसके लिये मामला अटक गया था कि ऐक्ट में है या नहीं। ऐक्ट में दिया हुआ है कि वही लोग काम करते रहेंगे जब तक चुनाव न हो जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ऐक्ट इन्होंने पढ़कर सुनाया और उन्होंने पढ़कर सुनाया तो दोनों में अन्तर है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो खत्म हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या इनकी किताब सही है या गलत है ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उनके पास ऐक्ट है, वह प्रमाणित है वह सही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा सेक्शन पढ़कर यह बात नहीं कह सकते हैं। आप वही सैक्शन पढ़ें जो उन्होंने पढ़ा है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं यह कह रहा था कि अगले अधिवेशन में चुनाव करावेंगे तो क्यों रोकने का परामर्श दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया था कि सलाह दी थी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

किन अधिकारों का प्रयोग करके यह सलाह दी गई थी ? यह अधिनियम के विपरीत है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उन्होंने आर्डर दिया है फिर वह परामर्श कर रहे हैं, गलत क्यों कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने परामर्श दिया है।

श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर)—

जो परामर्श दिया है वह पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

यह आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह परिपत्र जो आप ने कल मंगाया था वह तो आप पढ़वा दें उनसे, उसमें स्पष्ट आदेश निर्वाचन रोकने के हैं।

श्री बीरबहादुर सिंह—

यह निबन्धक की तरफ से समस्त क्षेत्रीय सहकारी समिति, उप निबन्धक की ओर से है। इस में लिखा है कि "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 द्वारा निर्धारित निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया, उससे सम्बद्ध विभिन्न धाराओं तथा नियमों में कुछ मौलिक संशोधन शासन के विचाराधीन हैं। चूंकि प्रस्तावित संशोधन निकट भविष्य में ही लागू होने की आशा है, यह उपयुक्त होगा कि सभी ऐसी सहकारी समितियों को, जिनमें प्रबन्ध समितियों का चुनाव इस वर्ष होना है, तुरन्त यह परामर्श दिया जाय कि वे अपनी वार्षिक सामान्य बैठक तो कर लें लेकिन उसमें चुनाव सम्पन्न न करावें।

अतः आप अपने कार्यक्षेत्र की सभी सहकारी संस्थाओं को तदनुसार आवश्यक परामर्श देने की तुरन्त व्यवस्था करें।"

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने सुना कि इसमें लिखा है कि "चुनाव सम्पन्न न करायें" ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि आप इस तरह का उन को परामर्श दें यह गवर्नमेन्ट की एक हिदायत है लेकिन परामर्श देने वाले दूसरे हैं, वह परामर्श देंग ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो यह इस तरह से इन की हिदायत हो गई ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कार्यपालिका को इस बात का अधिकार है कि वह किसी विधेयक में एक निश्चित प्राविधान होते हुए भी उसके विपरीत हिदायत दे दें कि उसके खिलाफ किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

अगर विधेयक में दिया हुआ है और किसी कारण से अगर सरकार को व्यवस्था करनी पड़ रही है और परामर्श देने के लिए वह कहते हैं तो उन्होंने केवल परामर्श दिया है .....

(व्यवधान)

श्री मौहम्मद असरार अहमद—

हमारे जिले बदायूं में परामर्श हुआ..... (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह—

आप इस पर व्यवस्था दें कि सदन से पारित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये सदन के प्रति उत्तरदायी है या नहीं ? जो प्राविधान अधिनियम के हैं उनका फेथफुल्ली अनुपालन करना शासन की जिम्मेदारी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

शासन की जिम्मेदारी है लेकिन यह कौन पूछे कि क्या कारण थे कि जिसकी वजह से परामर्श के लिये यह परिपत्र लिखा गया ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जब लेजिस्लेचर का एक ऐक्ट हो गया तो इसमें कारण पूछने का क्या सवाल है । जो कुछ किया जायगा वह अधिनियम के अन्तर्गत, नियमों के अन्तर्गत या शासकीय आर्डर के अन्तर्गत करेंगे लेकिन यहां कोई भी ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उनके सामने कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि निर्वाचन न कराने हों और वह समझते हैं कि इसी से ज्यादा फायदा है और कुछ अड़चनें हो गई हों तो बचना चाहते थे.....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

कल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने परामर्श के लिये लिखा है कि चुनाव न करायें जायं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप इसका औचित्य समझते हैं तो आप यह कार्यवाही करें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

हम औचित्य का प्रश्न उठायेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कुछ जगह चुनाव हो गये हैं और कुछ जगह नहीं हुए हैं यह एक नई अड़चन हो गई, हमारे जिले में हो गये । (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

परिपत्र से ही यह सवाल पैदा हुआ है, आपने संशोधन की बात कही है और इसीलिये स्टे किया गया था, तो वह संशोधन हुआ है या नहीं और मन्त्री जी यह भी आश्वासन दें कि किस तारीख तक यह निर्वाचन हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कल जिसके लिये पोस्टपोन किया गया था वह एक प्रश्न रह गया था ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, सारे प्रश्न रह गये हैं । एक ही नहीं ।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन्, कल मैं 10 दफा खड़ा हुआ था । आप सरकार से यह एश्योरेन्स दिलवा दें कि यह चुनाव कब तक करा देंगे ?

श्री हिम्मत सिंह—

यह तो सारे प्रश्न जानना चाहते हैं । आप धांधलेबाजी करा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ये नियमों में चेन्ज कराना चाहते हैं जिसके लिये पोस्टपोन किया है ।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन्, ये क्यों नहीं बताते हैं कि कब तक ये चुनाव करा देंगे ?

श्री हिम्मत सिंह—

आप इनसे पूछिये कि कब तक ये चेन्ज करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय जयराम को, जो नेता विरोधी दल हैं, पुकारा है।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन्, आप मुझे भी मौका दीजिये।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि सहकारी समितियों के चुनाव की व्यवस्था विभाग के अधिकारी ही करते हैं। और जब विभाग के अधिकारियों को कहा गया तो यह उनके लिए आदेश हो गया? वे अपना चुनाव कराते ही नहीं हैं।

श्री वीरबहादुर सिंह—

अधिकारियों को परामर्श दिया गया, कुछ समय के लिये कहा गया कि अगर वे आवश्यक समझें। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कहीं-कहीं चुनाव भी करा लिये गये। तो स्पष्ट है कि बहुत जगह परामर्श नहीं माना।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप ठीक से उत्तर दीजिये?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं कह रहा हूं कि चुनाव के लिये व्यवस्था सहकारी विभाग के अधिकारी ही करते हैं। तो जब उन अधिकारियों को, जिन्हें चुनाव कराना है, परामर्श दिया गया तो यह तो उनके लिये आदेश हो गया। अगर चुनाव विभाग के अधिकारी न कराते तो दूसरी बात थी?

श्री अध्यक्ष—

जो परामर्श अधिकारियों को दिया गया है वह उनके लिये आदेश ही है। परामर्श नहीं हो सकता।

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार जब विश या डिजायर भी करती है तो आदेश हो जाता है। तो अध्यक्ष जी आप ही निर्णय करें कि उनको क्या सजा दी जाय?

श्री अध्यक्ष—

आप इसके लिये नो कांफिडेन्स लाकर निकाल दीजिये?

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन्, आप इनसे उत्तर दिलाइये कि कब तक ये इन समितियों का चुनाव करा देंगे? यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

श्री वीरबहादुर सिंह—

श्रीमन्, जितनी जल्दी हो सकेगा, चुनाव कराने का प्रयास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप चुनाव कराना भी चाहते हैं या नहीं?

श्री वीरबहादुर सिंह—

सरकार जल्दी ही चुनाव कराना चाहती है लेकिन नियमों में कुछ परिवर्तन हो रहा है। कुछ समय अवश्य लग सकता है।

श्री अध्यक्ष—

कितना समय लग सकता है, आप कोई अन्दाज बता सकते हैं?

श्री वीरबहादुर सिंह—

बहुत जल्दी कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ तो बतायें, 2 महीने, 4 महीने?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपने ठीक पकड़ लिया है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ अन्दाज तो बताइये?

श्री वीरबहादुर सिंह—

श्रीमन्, सरकार में विधि विभाग तथा अन्य विभागों से परामर्श करके संशोधन किया जायगा लेकिन जितना जल्द हो सकेगा उतने शीघ्र ही करा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन आप अन्दाज तो बता दें कि कितना समय लगेगा?

श्री वीरबहादुर सिंह—

श्रीमन्, प्रयास किया जा रहा है। आशा है साल के अन्दर ही करा दिया जायगा।

श्री बलवीर सिंह—

क्या यह संविधान का अवमान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंन कह दिया है।

[24 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

थाना मारहरा (एटा) के थानेदार आदि के विरुद्ध कार्यवाही

**1—श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित) (जिला अलीगढ़)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के 6वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट क्या है और थाना मारहरा, जिला एटा के थानेदार एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मामले में वादी श्री बोध सिंह द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 392 भा० द० वि० का एक इस्तगासा दायर किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अपर दोआबा शुगर मिल्स, शामली (मुजफ्फरनगर) के ट्रेड यूनियन के नेता, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर हमला

**2—श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ), श्री सईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शामली (मुजफ्फरनगर) के अपर दोआबा शुगर मिल्स के ट्रेड यूनियन नेता, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर 31-12-72 को कातलाना हमला हुआ और उन्हें स्थानीय मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट पर गंभीर स्थिति में सिविल अस्पताल, मुजफ्फरनगर में दाखिल करना पड़ा और इस घटना की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन शामली में कराई गई ? यदि हां, तो जिलाधिकारियों ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर दिनांक 31-12-72 को लाठियों से वार करने एवं लातों-घूंसों से मारने के बारे में थाना शामली में एक रिपोर्ट उसी दिन अंकित कराई गई। स्थानीय मेडिकल अफसर की रिपोर्ट के अनुसार उनकी चोटें साधारण थीं पर डाक्टर ने उनकी दो चोटों के एक्सरे की राय दी। अतः उन्हें मुजफ्फरनगर अस्पताल में दाखिल किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/452/323 भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेडिकल आफिसर, शामली ने अपने अस्पताल में क्यों नहीं रक्खा, मुजफ्फरनगर क्यों भेजा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उन चोटों को एक्सरे रिपोर्ट के लिये वहां भेजना आवश्यक हो गया था।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, एक्सरे की रिपोर्ट क्या आई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, एक्सरे की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, एक्सरे की रिपोर्ट फौरन आ जानी चाहिये। यह खतरनाक चोट है इसलिये छिपाया जा रहा है। उपलब्ध क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि उस रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अंकित किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मेरा कहना तो यह है कि एक्सरे रिपोर्ट क्यों नहीं मिली ? इसके माने हैं कि मुकदमें को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात नहीं है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य कोई भी कल्पना कर सकते हैं। उसके लिये कोई बन्धन नहीं है। अगर उसकी जांच न करवानी होती तो एक्सरे के लिये क्यों रेफर होता। फर्स्ट इन्जरी रिपोर्ट को ही फाइनल मान लिया होता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, 324 का 325 या 324 भी हो सकता है। वह उसी के आधार पर होता है। एक्सरे रिपोर्ट के बगैर मुकदमा नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

पहले उन्होंने एक्सरे नहीं लिया था रिपोर्ट दे दी थी। चोट को साधारण कहा गया था। अब एक्सरे में जांच के लिये भेजा गया है। अगर उसमें सीरियस निकलता है तो उस पर विवेचना करने की जरूरत होती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, क्यों एक्सरे की रिपोर्ट चौबीस दिनों तक में भी नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मंगाई न हो तो .....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट आई क्यों नहीं। जिसको चोट लगती है एक्सरे रिपोर्ट उसको भी मिलती है। उसको दाखिल करते हैं तो दफा का परिवर्तन होगा।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि वह अदालत में गई है रिपोर्ट ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि चूंकि डाक्टर ने उसका मेडिकल इन्सपैक्शन किया, चोटें साधारण हुई लेकिन दो चोटों के बारे में कन्फर्म नहीं हो पाया वे भी साधारण मालूम होती हैं। इसलिये उसको मुजफ्फरनगर किया क्योंकि शामली में एक्सरे का प्राविजन नहीं था। उसकी सूचना अभी नहीं आई है कि एक्सरे रिपोर्ट क्या है और जो मुकदमें की आवश्यक कार्यवाही है उसके लिये उसकी विवेचना हो रही है . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी - गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने हमला किया है उनके नाम क्या हैं और अब तक जो विवेचना हुई है उसके अनुसार क्या यह सही है कि शुगर मिल के मालिकों ने उन पर हमला कराया और यह अभियुक्त मिल मालिकों के आदमी हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

रिपोर्ट में लिखाये गये अभियुक्तों के नाम हैं सुमारगिरी, जगदीश गिरी, बशीर सक्का, सुमारिगिरी के दो पुत्र अशोक व प्रेम और जनारदन स्वरूप। जगदीश गिरी घटना के दूसरे दिन पकड़े गये। जुडीशियल अफसर की अदालत से उनकी जमानत दिनांक 2-1-73 को हो गयी। जनारदन, सुमारगिरी और बशीर के दिनांक 3-1-73 को जुडिशियल अफसर को न्यायालय में आत्म समर्पण किया था उसी दिन उनकी जमानत हो गई। इस तरह से सारी कार्यवाही हो रही है और विवेचना भी जारी है। किस के आदमी हैं, किसने कराया है, यह सब तो विवेचना के बाद ही सामने आ सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता पर हमला हुआ इसके पीछे सामान्य झगड़े के अलावा कोई दूसरे का हाथ तो नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

जांच में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें स्थानीय पुलिस और मिल मालिकों की साजिश थी और वे इसकी भी जांच करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, साजिश तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन जो पुलिस की कार्यवाही हो रही है उससे कहीं भी पुलिस की लापरवाही दिखाई नहीं देती। यदि लापरवाही दिखाई पड़ेगी तो उनके विरुद्ध का वाही होगी।

श्री बलवीर सिंह—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट नहीं है लेकिन इंजरी रिपोर्ट होगी। कृपा कर वे बतायें कि उनके सिर में कितनी चोटें आयी और कौनसी धारा में पुलिस ने रिपोर्ट लिखी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डाक्टरी रिपोर्ट में यह है:

1. Lacerated wound 1 1/2" x 1/4" "scalp deep oblique1" above medidhal part. Left eye brow advised x-ray.

2. Diffuse swelling 1" x 1" middle front nose. No apparent marks of injury found on the point. There is bleeding from left nostril. Advised x-ray.

3. Abrdson 1/2" x1/2" upper front left leg.

इस तरह से माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं तो सिर पर लगी दो ही चोटें हैं।

श्री बलवीर सिंह—

आपने जो पढ़ा है तो उसके हिसाब से भी चार पांच इंजरीज सिर पर लगीं। इसको कातलाना हमले की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी और 307 में जांच क्यों नहीं हो रही है? 323 में क्यों लिखी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

लाठी डंडे की चोट उन्होंने अपने आप लिखायी। मामूली चोट है। 307 या 304 की कल्पना कैसे की जा सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री त्रिलोक चन्द—

यह मामला मिल मालिक और ट्रेड यूनियन के नेता का है तो क्या मन्त्री जी इसको ध्यान में रखते हुए इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी या सी० आई० डी० से करायेंगे? पुलिस इन्सपेक्टर से इन्क्वायरी कराई जा रही है, उससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप सी० आई० डी० से इन्क्वायरी चाहते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, वाजपेयी जी के ऊपर हमला करने वालों पर पुलिस तेजी से कार्यवाही कर रही है। ऐसी परिस्थिति में सी० आई० डी० में इसको भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि शामली के डाक्टर ने जो दो चोटों के बारे में मुजफ्फरनगर रिफर किया था, तो वह कौन सी चोटें हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

लेफ्ट आई ब्रो के बारे में उन्होंने एक्सरे एडवाइजर किया है। मैंने तो एक चोट के बारे में कहा था, दो के बारे में नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्री बाजपेयी पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस सदन में इस बारे में प्रश्न आ चुके हैं, तो इसको देखते हुए क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, हरएक की सुरक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व शासन पर है। माननीय सदस्य के कहने के आधार पर अधिकारियों को निदेश दे देगें कि सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जब जख्म के बारे में दफा 323 लिखी गई तो उसके मानें तो मामूली चोट होती है। तो जब मामूली चोट थी, तो एक्सरे की क्या जरूरत हुई ?

श्री अध्यक्ष—

यह 323 में लिखा गया है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दफा 323 थी। आंख की चोट के बारे में क्लीअर नहीं था, इसलिये रिफर किया।

श्री अध्यक्ष—

एक्सरे के बाद क्या हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक्सरे की सूचना नहीं मिली है। आंख की चोट के बारे में रिपोर्ट आने के बाद आगे की दफा लिखेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जैसे ही एक्सरे रिपोर्ट आवेगी तो दफाओं में परिवर्तन होगा, क्या इसी कारण इसको दबाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

दफाओं में परिवर्तन हो सकता है, तो आप इसके बारे में पूछ लीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं आज ही एक्सरे रिपोर्ट के बारे में पुछवाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । इसके बाद सदन को भी सूचना दे दें । यह अल्पसूचित है, इसलिये डिटेल में नहीं जाते हैं ।

आर० टी० ओ० तथा ए० आर० टी० ओ० का पी० सी० एस० के संवर्ग में संविलियन

**3—श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर्स और सहायक रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर्स के संवर्ग को पी० सी० एस० के संवर्ग में समविलियन किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

परिवहन उपमन्त्री (श्री आबिद अली)—

जी हां, यह निर्णय जनहित में लिया गया है ।

श्री मदन मोहन मिश्र—

क्या मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि क्या इस निर्णय के फलस्वरूप यह संभावित नहीं है कि इस प्रकार सम विलियन से पी० सी० एस० की ज्येष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अशांति पैदा होगी और पी० सी० एस० के अधिकारियों की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप जो परिणाम होंगे, उनको खुद बतला रहे हैं ।

श्री मदन मोहन मिश्र—

प्रश्न यह है कि क्या इस निर्णय के फलस्वरूप यह सम्भावित नहीं है कि इस प्रकार के समविलियन से पी० सी० एस० अधिकारियों की ज्येष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री आबिद अली—

ऐसा नहीं है : उसमें अगर कुछ लोग आ जायेंगे तो जो पी० सी० एस० का भी फील्ड बढ़ जायगा ।

श्री मदन मोहन मिश्र—

क्या यह सही है कि कई वर्षों के अनुभव वाले आर० टी० ओ० जो पी० सी० एस० की स्पेशल रिक्रयूटमेंट की परीक्षा में बैठे हैं, यदि वे चुन लिये गये तो उन्हें 1972 के बाद वरिष्ठता मिलेगा ?

श्री आबिद अली—

यह सब देखा जा रहा है । जहां वरिष्ठता उचित होगी, रखी जायेगी ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अगर आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० को पी० सी० एस० के संवर्ग में समविलियन किया जायगा, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उससे पी० सी० एस० के अधिकारियों की वरिष्ठता डिस्टर्ब नहीं होगी ?

श्री आबिद अली—

यह सब देखा जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो आर० टी० ओ० के और ए० आर० टी० ओ० अधिकारी इसमें आयेंगे तो ज्येष्ठता की सूची किस प्रकार बनेगी इसके सम्बन्ध में निर्णय अभी तक नहीं लिया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री आबिद अली—

उस पर गौर कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

संविलियन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । अभी पक्का विचार नहीं किया, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं, श्रीमन्, केवल इतना जानना चाहता हूं इसके बारे में कि वरीयता की सूची कैसे बनेगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह सोचेंगे ।

श्री मदन मोहन मिश्र—

क्या यह सही है कि पी०सी०एस० संवर्ग में संविलियन से आर० टी० ओ० और ए० आर०टी०ओ० के लोग अधिक ज्येष्ठता की मांग कर सकते हैं, जिससे पी० सी० एस० के सारे अधिकारियों में असंतोष पैदा हो जायगा और अन्य गड़बड़ियां होंगी? क्या इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग की राय ली गयी है ?

श्री आबिद अली—

वह तो जब वरिष्ठता की लिस्ट बनेगी, तो राय ले ली जायेगी ।

श्री मदन मोहन मिश्र—

यदि शासन आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० को बदलना चाहता है तो उन्हें रोडवेज कारपोरेशन या जो समान स्तर के विभाग हैं, उनमें क्यों नहीं परिवर्तित किया जाता, जहां उनकी उपयोगिता है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि उनको आप पी० सी० एस० के संवर्ग में ही मिलाना चाहते हैं, जहां उनकी उपयोगिता नहीं है । होता यह है कि जो पी० सी० एस० का इम्तहान होता है और जो कम नम्बर से पास होते हैं उनको आर० टी० ओ० आदि बनाया जाता है । तो यदि अब उन्हें पी०सी-एस० संवर्ग में मिला रहा है, तो क्या इनकी कोई उपयोगिता उसमें रहेगी ?

श्री आबिद अली—

ऐसा नहीं है कि जो नम्बर अच्छे नहीं पाते हैं, उनको उसमें भेजा जाता है । जिसकी जहां उपयोगिता समझी जाती है, उनको वहां भेजा जाता है ।

जिला जेल, शाहजहांपुर में बिजली से कैदी की मृत्यु

** 4—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि गत 6 जनवरी को जिला जेल शाहजहांपुर में एक (अण्डर ट्रायल) कैदी बिजली के खम्भे से चिपका हुआ मृत पाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि

जेल के कर्मचारियों ने मार कर खम्भे पर लटका दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त घटना की न्यायिक जांच का आदेश देगी ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

गत 6 जनवरी को जिला जेल शाहजहांपुर का एक विचाराधीन बन्दी बिजली के खम्भे में लटका हुआ मृत पाया गया। उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बिजली से जल कर हुई थी। घटना की मैजिस्टीरियल जांच 6-1-73 से हो रही है। इस मामले में न्यायिक जांच आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उमाशंकर शुक्ल नहीं हैं। यह सवाल पूछ लिया गया है लेकिन पूछना नहीं चाहिए था। यह आखीर में आयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अब तो यह सवाल सदन में आ गया और इसलिए वह सदन की प्रापर्टी हो गयी। सदन इस पर सवाल पूछेगा। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

वे सदस्य नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने तो काल कर लिया मंत्री जी को। नियमावली के आधार पर आपसे व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज तक यही प्रथा रही है कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो उसका प्रश्न नहीं लिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर काल अलोन न करते मंत्री जी को तब तो ठीक था। आपने जब उत्तर दिला दिया सदन के अन्दर तब तो वह सदन की प्रापर्टी हो गयी।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, ऐसा नहीं होगा। गलती अगर हो जाए तो मैं उसको सुधार लूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला बिजनौर में सड़क निर्माण

*1—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

विधान सभा के दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न सं0 38 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसी मार्ग का 3 किलोमीटर भाग नूरपुर-हल्दौर मार्ग के लिंक के रूप में पहले स्वीकृत हो चुका है तथा जिले की विभागीय सलाहकार समिति ने भी इसको पहली प्राथमिकता दी है ? यदि हां, तो क्या अधिग्रहण के 26 वर्षों बाद इस 3 किलोमीटर तथा शेष बचे हुये 8 किलोमीटर को बिजनौर जिले में बनायी जाने वाली सड़कों में पहली प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने की स्वीकृति दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लिंक मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं है। जिले की सलाहकार समिति ने दिनांक 23-4-72 को हुई बैठक में चांदपुर-हल्दौर सड़क के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए संस्तुति की है। चांदपुर-हल्दौर सड़क का अझेड़ा से चांदपुर की ओर 5 किलोमीटर सड़क का भाग विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है तथा शेष चांदपुर तक 12 किलोमीटर सड़क का भाग सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत मिट्टी तथा पुलियों के कार्य के लिये ले लिया गया है। धनाभाव के कारण प्रश्नगत लिंक मार्ग तथा 12 किलोमीटर सड़क के भाग को पक्का कराना इस समय सम्भव नहीं है।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नरपुर-हल्दौर मार्ग के एलाइनमेंट के बारे में क्या आदेश हुए थे और क्या इस एलाइनमेंट के एस्टीमेट्स मांगे गये थे जो 2 माह पूर्व शासन को प्राप्त हो गये थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, इस मार्ग के एस्टीमेट्स मांगे गये थे।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

उसमें क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अब इसके लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है। जब धन उपलब्ध होगा तब इस पर विचार होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्योंकि इस मार्ग के एस्टीमेट्स मांग लिए हैं तो क्या माननीय मंत्री जी क्रेश प्रोग्राम या टेस्ट वर्क में इस सड़क को रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्य हो रहा है। अगर जमीन उपलब्ध है तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

जहां तक मेरी जानकारी है जमीन उपलब्ध है। मेरे प्रश्न का शेष भाग है:—

तो क्या अधिग्रहण के 26 वर्षों के बाद इस 3 किलोमीटर तथा शेष बचे हुये 8 किलोमीटर को बिजनौर जिले में बनायी जानी वाली सड़कों में पहली प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने की स्वीकृति दी जायेगी?

क्या माननीय मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने का कोई आश्वासन देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी कहा गया है कि वित्तीय साधनों की कमी है। जब धन उपलब्ध होगा तब उस पर विचार किया जायेगा।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि जिला बिजनौर में जो सड़कें बनें उनमें पहली प्रायरिटी इस मार्ग को दे दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, मगर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

तहसील कासगंज, जिला एटा के बसावन ड्रेन की खुदाई

*2—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की तहसील कासगंज के अन्तर्गत बसावनपुर ड्रेन की प्रथम खुदाई कब हुई और इसकी खुदाई पर सरकार का कितना पैसा व्यय हुआ? क्या यह सच है कि इस ड्रेन की खुदाई ड्रेन की लम्बाई के अनुसार मौके पर नहीं की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम खुदाई कार्य दिसम्बर 1964 के अन्त तक किया गया। इसकी खुदाई व पक्के कार्यों पर 16,046 रुपया का व्यय हुआ है। ड्रेन की खुदाई स्वीकृत लम्ब छिन्नक के अनुसार ही की गई थी।

श्री सियाराम—

यह ड्रेन कितने मील लम्बी, कितनी गहरी और चौड़ी है और किस ड्रेन से जाकर मिलती है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस ड्रेन की लम्बाई 3 मील 6 फर्लांग है। चौड़ाई ड्रेन की डेढ़ मीटर या एक मीटर अलग-अलग होती है।

श्री सियाराम—

इसमें जो 16,046 रुपया दिखाया गया है खुदाई पर तो वास्तव में यह खुदाई नहीं हुई। क्या यह सत्य है कि यह आज भी बैलगाड़ी का रास्ता बना हुआ है? क्या किसी अधिकारी को भेज कर मौके की जांच करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी बात नहीं है। 1964 में ड्रेन बनायी गयी और उसको गांव सभा को दे दिया गया और कहा गया कि गांव सभा इसका रख-रखाव करेगी। लेकिन उसने नहीं किया इसलिए विभाग ने खुद 19/2-73 में इसका रख-रखाव करना स्वीकार किया और कर रहा है।

श्री सियाराम—

मैंने कहा कि यह अभी बैलगाड़ी का रास्ता बना हुआ है, इसकी खुदाई नहीं हुई और जहां नाले को मिलना चाहिए वहां नहीं मिलाया गया, क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि यह खुदाई हुई ही नहीं है, यह बयान गलत है कि खुदाई हुई, तो क्या इसकी इंक्वायरी करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो खुदाई हुई। अगर माननीय सदस्य कोई शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर जांच करा ली जायगी।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ड्रेन जो खोदी गयी है और गांव सभा को दे दी गयी है तो देते समय कौन-कौन कंडीशन के साथ दी गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह तो 1964 में बनी और 66 में गांव सभा को दी गयी। यह कहा गया कि इसका रख-रखाव गांव सभा खुद करेगी।

जिला एटा की बूढ़ी गंगा ड्रेन की सफाई पर व्यय

*3---श्री सियराम---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में बूढ़ी गंगा ड्रेन की सफाई कराने में पिछले पांच वर्षों में सरकार का कितना पैसा व्यय हुआ? क्या यह सच है कि बूढ़ी गंगा ड्रेन की सफाई केवल नाम-मात्र की की जाती है? क्या सरकार इसकी विस्तार रूप से जांच कराने की कृपा करेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इस 78 मील लम्बी ड्रेन की सफाई कराने में पिछले 5 वर्षों में कुल 49,290 रु० व्यय हुआ। रख रखाव के लिए 200 रु० प्रतिमील का प्राविधान है। इस धनराशि में अधिक से अधिक सफाई की जाती है। कोई जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री सियाराम---

मंत्री जी ने लिखा है कि कोई जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो क्यों आवश्यकता प्रतीत नहीं होती जांच कराने की?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ड्रेन बना दी गयी, 78 मील लम्बी-चौड़ी है। दो सौ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। जितना खर्चा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मरम्मत पर, लेकिन 200 रुपये प्रति मील खर्च किया गया है।

श्री नेतराम सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि और मेरी सूचना को सत्य मानते हुए कि बूढ़ी गंगा पर जैसा कि 2/ रुपया पर मील के हिसाब से खर्च बताया है इस बूढ़ी गंगा पर जो कि एटा में काफी लम्बी फैली हुई है 10 सालों से खुदाई हुई ही नहीं है? क्या सरकारी मेरी सूचना को सत्य मानते हुए इसकी जांच करायेगी? इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

5 वर्षों में 49,290 रुपया व्यय हुआ है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं हुआ।

श्री नेतराम सिंह---

एक पैसा नहीं खर्च किया। यह तो कैनाल बनी हुई है, अगर सफाई की जाय तो काफी जमीन खेती योग्य हो जाय। क्या जांच करायेंगे इसकी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ऐसी बात नहीं है, सफाई की जाती है, बराबर होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जब इतने आदमी कह रहे हैं तो आप इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं करा लेते?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)---

जरूर इन्क्वायरी करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—

जब इन्क्वायरी करायें तो जो लोग यहां कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई उनको भी बुला लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हिम्मत सिंह—

इन 5 सालों में विभाग ने सफाई कराई है या ठेकेदारों के द्वारा करायी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री सियाराम—

बूढ़ी गंगा ड्रेन में अब भी कचरा खड़ा हुआ है और दसियों वर्षों से सफाई नहीं हुई है और माननीय मंत्री जी ने 5 साल में 49, 290 रुपये एक खर्च दिखा दिया और 200 रुपये प्रति मील के हिसाब 15 हजार रुपये यह बनता है। तो यह करीब 60 हजार से ऊपर पैसा होता है। मैं आप को सही सूचना दे रहा हूं कि झूठे मस्टर रोल बना कर यह पैसा अधिकारियों की जेब में चला गया। तो क्या इसकी जांच करायेंगे?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नकर्ता ने दिसम्बर में शिकायत की थी कि क्या इसकी जांच करायेंगे। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की कि इसकी सफाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं और खर्चा सब सही हुआ है, तो खर्चा सब सही हुआ है इसका क्या आधार है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभाग में नियम के अन्दर जिस प्रकार से कार्य की रिपोर्ट इत्यादि होती है और कागजात वगैरह बनते हैं वह सारे ठीक हैं। खर्चा सही हुआ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कागज तो सब गलत तैयार होते हैं। मंत्री जी स्वयं जानते हैं। अगर सब सही हो रहा हो तो सरकार की जरूरत ही न हो।

श्री अध्यक्ष—

जब इतने लोग कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई तो इन लोगों को बुला लें जब जांच करायें।

श्री सियाराम—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि इसकी जांच करायेंगे तो वह जांच कब तक करा लेंगे और जांच के परिणाम की सूचना मुझे भी देने की कृपा करेंगे?

श्री महमूद अली खां—

जल्दी से जल्दी जांच करा ली जायेगी।

ट्यूबवेल विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में हरिजन

*4—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल विभाग के वर्तमान डाइरेक्टर महोदय ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक अपने विभाग में तृतीय या चतुर्थ श्रेणी किन-किन

तथा कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं ? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में हरिजनों को निर्धारित प्रतिशत नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना संलग्न है।

इन नियुक्तियों में हरिजनों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित प्रतिशत पूरा नहीं हो सका।

निदेशक द्वारा चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1135 पर)

फतेहपुर जिले के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कार्य

*5—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के अन्तर्गत विजयीपुर-धाता मार्ग, दरियामऊ-कूट मार्ग तथा गाजीपुर-विजयीपुर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है ? यदि हां, तो मार्गों का निर्माण कार्य कब समाप्त होगा तथा विजयीपुर-धाता एवं दरियामऊ कूटमार्ग किस योजना के अन्तर्गत हैं ? उस योजना की पूर्ति किस सन् तक पूरी हो जाने की लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था ? क्या सरकार उस लक्ष्य के आधार पर कार्य को पूरा कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी हां।

(ख) इन तीनों मार्गों का निर्माण दिसम्बर, 1974 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) विजयपुर-धाता एवं दरियामऊ-कोट मार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश सड़क निधि से स्वीकृत किये गये हैं।

इस निधि से स्वीकृत किये गये कार्यों के पूर्ण होने की तिथियां अलग-अलग निर्धारित हैं।

(घ) यदि कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता तो प्रश्न में वर्णित तीनों मार्गों का निर्माण दिसम्बर, 1974 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

श्री इन्द्रजीत—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर, 1974 तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। तो इनके निर्माण कार्य के समय कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ और निर्धारित समय से कार्य पूरा करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ और काम हो रहा है और जसा कहा गया, दिसम्बर 1974 तक कार्य पूरा हो जायगा।

श्री इन्द्रजीत—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दरियामऊ-कूट तथा विजयीपुर-धाता मार्ग का निर्धारित समय क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस सड़क को 27 दिसम्बर, 1970 को स्वीकृति प्रदान की गयी और यह सड़क टाइम से बन रही है और टाइम से बन जायेगी।

जिला बुलन्दशहर में नालों के हेतु स्वीकृत धनराशि तथा मूंडाखेड़ा स्कीम पर पुल की मांग

*6—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में नालों (ड्रेनेज) के लिये 1971–72 में कितनी धनराशि मंजूर की गयी थी? क्या यह रकम पूरी खर्च की गई या कुछ बिना खर्च किये सरेन्डर की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1971–72 में सफाई के लिये रुपये 1,64,692.00 की धनराशि प्रविष्ट की गई थी जो पूरी खर्च कर दी गई थी।

*7—श्री शमीम आलम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम मुर्तजाबाद अटवारा जिला बुलन्दशहर में मूंडा खेड़ा स्कीम पर गत वर्ष से ड्रेनेज रोड पुल की मांग की जा रही है?, यदि हां, तो अब तक इसका निर्माण न होने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस पुल की मांग मूड़ खेड़ा स्कीम के मील 1–6 के निकट की गई है। यह मांग अभी विचाराधीन है।

श्री शमीम आलम—

क्या मंत्री जी आगामी बजट में इस पुल के लिये धननराशि रखने की कृपा करेंगे ताकि यह पुल सन् 1973 में बन कर तैयार हो सके?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस पुल पर लगभग 1 लाख 50 हजार व्यय होने का अनुमान है। अब इस पुल की उपयोगिता कितनी है इस प्रश्न पर विचार हो रहा है, उसके बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा कि बनाया जाय या नहीं।

श्री शमीम आलम—

यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा, मैं हर साल ही इस प्रश्न को उठाता हूं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब एक पुल बनाया जाता है तो यह देखा जाता है कि कितना उस पर खर्च आयेगा और उसकी उपयोगिता कितनी है। उसका बनाना आवश्यक है भी या नहीं यह सब देखा जाता है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में किन-किन ड्रेनेज की सफाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह तो प्रश्न पूछा नहीं गया था, जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह---

आपने उत्तर में बताया है कि इतना रुपया सफाई पर खर्च हुआ, तो किन-किन ड्रेनेज की सफाई पर यह रुपया खर्च हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अकबरपुर नाले के विस्तार के संबंध में कार्य हुआ है।

श्री त्रिलोक चन्द---

कौन-कौन से नालों की सफाई हुई है, यह बताइये ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री त्रिलोक चन्द---

तो इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

श्रीमन्, सारे उत्तर प्रदेश से यही सूचना मिली है कि ड्रेनेज की सफाई पर जो लाखों रुपया खर्च के लिये रखा जाता है वह सब लोग खा जाते हैं और सफाई नहीं होती। तो क्या इस मद में अगले बजट में कम रुपया रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जितना रुपया रखा जाता है वही कम पड़ जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह सदन में स्पष्ट हो गया है कि ड्रेनेज की सफाई में जो रुपया रखा जाता है वह सफाई में खर्च नहीं होता, तो क्या इसकी जांच करने के लिये कि इसकी सफाई आदि होती भी है या नहीं, सरकार कोई समिति गठित करने का विचार करेगी जो यह देखे कि रुपया सही खर्च हुआ है और सफाई हुई भी है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

आप जहां के बारे में बतायेंगे इन्क्वायरी हो जाएगी।

बरेली नलकूप मण्डल में अनुसूचित जातीय रुटीन ग्रेड क्लर्क

*8---श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय), श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोखपुर) तथा श्री सईद मुर्तजा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप मण्डल, बरेली, के अन्तर्गत नैत्यिक कोटि लिपिक (रुटीन ग्रेड क्लर्क) की कितनी संख्या है और उनमें से कितने (शिड्यूल्ड कास्ट) अनुसूचित जाति के हैं और यदि अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत आरक्षण से कम हैं तो सरकार ने उनकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की है और क्या करने जा रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

बरेली नलकूप मंडल के अन्तर्गत नैत्यिक कोटि लिपिकों की संख्या 62 है जिनमें से 3 लिपिक अनुसूचित जाति के हैं।

मंडलीय तथा खंडीय नैत्यिक कोटि लिपिकों के पद पर नियुक्ति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है जिसमें समस्त पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये 18% आरक्षण प्राप्त होता है। परन्तु सेवाओं में अनुसूचित जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुये आरक्षण 25% किया जाता है बशर्ते कि अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध हों।

*9—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री रामबचन यादव, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री सैईद मुर्तजा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों (डिपार्टमेंटल इम्तहान पास) के प्रविष्टि (आने पर) होने पर वर्ष 1972 म कितन विभाग में कार्यरत बिना परीक्षा उत्तीर्ण नैत्यिक कोटि लिपिकों को उनकी सेवाओं से अलग कर दिया गया है और उनमें से कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं तथा कितने समय की सेवा करने के उपरान्त उन्हें सेवाओं से अलग किया गया है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

ये दो सवाल हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक सन् 72 के कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनुसूचित जातियों के हैं और कह दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है। वहां तो वाकई में 3 हैं। सन् 72 की सूचना ही नहीं है, ताकि हम मिला कर साबित कर सकें कि कहां बेईमानी है। मैं चाहूंगा कि दोनों सवालों को साथ जवाब आए। सन् 62 के 3 कह दिया है, मुझे यह साबित करना है वे निकाल दिये जाते हैं और फिर रख लिये जाते हैं, इसलिए पूर्ति नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित होगा तो फिर 15 दिन में आएगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मुझे मंजूर है।

[प्रश्न संख्या 8 व 9 स्थगित किये गये।]

[दिनांक 24 जनवरी, 1973 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लिफ्ट सिंचाई विभाग (गाजीपुर के अभियन्ता द्वारा अवैध एग्रीमेन्ट

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सरकार इस तथ्य की जानकारी करेगी कि गाजीपुर जनपद के लिफ्ट सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री आर० बी० एल० अग्रवाल ने माइल्ड स्टील के 48 इंच व्यास के पलेन बनाना और उसके साथ सम्बन्धित दूसरे कार्यों की जिसकी लागत करीब 98 हजार रुपये है बिना विधिवत् कायवाही और निवेदन सूचना को समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये ही अवैध ढंग से गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टेशन रोड, गाजीपुर के साथ जून, सन् 1972 में कोई संविदा

(एग्रीमेंट) किया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस समाचार-पत्र का विवरण जिसमें उक्त कार्य की पूर्ति के लिये सूचना प्रकाशित हुई है, प्रस्तुत करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित प्रश्न 15 दिन बाद ले लिया जायगा।

[प्रश्न सं० 1 स्थगित किया गया।]

मुजफ्फरनगर-शामली रोड पर बनत के पुल से बस एक्सीडेन्ट

श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर-शामली रोड पर बनत के पुल से टकरा कर पिछले 5 सालों में बसों और ट्रकों के कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं और इनमें कितनी बस और ट्रक नदी में गिरे हैं ?

श्री आबिद अली—

पिछले पांच सालों में केवल एक एक्सीडेंट सन् 1969 में हुआ जिसमें एक ट्रक नदी में गिरी।

श्री त्रिलोक चन्द—

इसमें एक भीषण दुर्घटना हुई, एक ट्रक नदी में गिरा, तो पुल के सुधार की कोई व्यवस्था आपके विचाराधीन है या नहीं ?

श्री महमूद अली खां—

5 साल में पुल से एक ट्रक गिरा, तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई खास चीज की जाए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस पुल को जिला परिषद् ने 40 वर्ष पूर्व बनाया था, इसकी कुल 10 फिट चौड़ाई है, ट्राफिक इस तेजी से बढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए सकड़ों बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, प्रायः छोटे-मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या इसको चौडा कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

तो जिला परिषद् को लिखा जाएगा, कराया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अब तो वह पुल पी० डब्ल्यू० डी० का है ?

श्री महमूद अली खां—

अब पी० डब्ल्यू० डी० को लिख देंगे।

(हंसी)

कानपुर जिला अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य

*3—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत झींझक से सिकन्दरा, झींझक से रसूलाबाद व रसूलाबाद से बिल्हौर सड़क के निर्माण का कार्य अलग-अलग कब से प्रारम्भ किया गया और अलग-अलग इनकी लम्बाई और लागत की धनराशि क्या है तथा इन सड़कों का कितना-कितना भाग कहां से कहां तक बना दिया गया और कितना शेष है, और ये सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1136 पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जो उनके विभाग से सड़कें बनती हैं, उनके लिए क्या कोई समय की सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने समय में बन कर वह तैयार होंगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह चार आंकड़े दिये हैं, तीन हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

1970 से यह सड़कें बन रही हैं और यह कहते हैं कि 1975 तक सन कर पूरी होंगी। 5–6 वर्ष में सड़कें बनाएंगे। क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या इसमें जल्दी करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। सड़कें टाइम से ही बन रही हैं। एक सड़क 1974 में, और सड़कें 1975 में पूरी होने जा रही हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर्स की असिस्टेन्ट इनजीनियर के पदों पर प्रोन्नति

*4—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर्स की असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर पदोन्नति केवल परीक्षा द्वारा ही होती है ? यदि हां, तो पिछले तीन साल में कितनी पदोन्नति परीक्षा द्वारा हुई ? और वरिष्ठता, ईमानदारी व कार्यकुशलता के आधार पर कितने ओवरसियर पदोन्नत किये गये ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं। अर्हकारी परीक्षा पास करने से ओवरसियर प्रोन्नति की पात्रता क्षेत्र के लिये निर्धारित शर्तों में से एक शर्त ही पूर्ण करते हैं। केवल अर्हकारी परीक्षा पास करने से पदोन्नति देने का प्रश्न नहीं उठता। जनवरी, 70 से दिसम्बर, 72 तक 146 ओवरसियरों को सहायक अभियंता के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति दी गयी।

सहायक भंडार अधीक्षकों का ज्ञापन-पत्र

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें 1972 के लगभग मध्य में, सहायक भंडार अधीक्षक एसोशियेशन का प्रतिनिधि मण्डल मिला था ? यदि हां, तो उसकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या किया ?

नोट: तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री महमूद अली खां--

"सहायक भन्डार अधीक्षक एसोसियेशन" नाम से कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। सहायक भन्डार अधीक्षकों की ओर से जुलाई 1972 में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। मांग आदि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1137 पर)

बदायूं जिले के उझियानी बाई पास पर मार्ग निर्माण आदेश

*6--श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में उझियानी बाई पास का वर्तमान स्थान से निकाले जाने का विरोध उझियानी नगरपालिका, स्थानीय विधायक, संसद सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां।

उन पर विचार करने के पश्चात् शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा उझियानी बाई पास का अपनाया जाने वाला संरेखण ही उत्तम है और उस पर मार्ग निर्माण करने के आदेश दे दिये गये हैं जिसकी सूचना संबंधित विधायकों को द दी गयी है।

मिनी बसों के परमिट

*7--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब मिनी बसों के परमिट देने बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों एवं अब तक कितने परमिट मिनी बसों के दिये गये हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)--

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रतिवेदन पर, अपने अगले निर्णय तक मिनी बसों के परमिटों की नई स्वीकृति फिलहाल बन्द कर दी है।

दिनांक 20 जनवरी, 1973 तक मिनी बसों के 467 परमिट जारी किये जा चके हैं।

*8--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*9--श्री शिव प्रसाद पांडिया--

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

*10--श्री बांके लाल--

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

*11--श्री राम जियावन--

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित]

*12--श्री हीरा सिंह बोरा--

[7 वें गुरुवार के लिये तारांकित प्र0 सं0 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13—श्री मंजुर अहमद—

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

बाजार शुकुल वारिसगंज मार्ग (सुल्तानपुर) के निर्माण की मांग

*14—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में बाजारशुकुल से वारिस गंज की सड़क पक्की करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

*15—श्री रामपाल सिंह यादव—

[7 वें बुधवार में तारांकित प्र० सं० 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ठेकेदार द्वारा चोरी से तारकोल के ड्रमों का बिक्रय

*16—श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिशासी अभियंता सा० नि० विभाग मुजफ्फरनगर ने 36 ड्रम तार कोल के चोरी से बेचते हुए किसी ठेकेदार के यहां से हाल में पकड़े हैं ? यदि हां, तो इस काण्ड में कौन-कौन शामिल हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

इस सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय जांच जारी है और चोरी की रिपोर्ट दिनांक 15-1-73 को पुलिस में दर्ज करा दी गयी है। पुलिस तथा विभाग द्वारा मामले की जांच पूरी होने पर ही यह जानना सम्भव होगा कि इसमें कौन-कौन शामिल है। प्रारम्भिक जांच के परिणाम स्वरूप एक अधिदर्शक को निलम्बित किया गया है।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये क्वाटर्स

*17—श्री राम मूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कितने क्वाटर्स लखनऊ में बने हुए हैं और क्या यह सभी क्वाटर्स चतुर्थ श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों को ही दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने ऐसे अन्य लोगों को एलाट हुए हैं और किन परिस्थितियों में ?

श्री महमूद अली खां—

लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन 338 क्वार्टर हैं और ये सभी क्वार्टर उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ही दिये गये हैं।

*18-19—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी—

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

*20—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

कानपुर-बेला-बेधूना मार्ग को पेन्ट करने की मांग

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के दिनांक 13-12-72 के तारांकित प्रश्न सं0 16 के उत्तर के संबंध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर से बेला विधूना मार्ग, शिवली से विधूना तक कंकड़ की है और क्या धन प्राप्त होते प्राथमिकता के आधार पर इसे पेन्ट कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कानपुर से बेला-विधूना मार्ग का शिवली से विधूना तक सड़क का भाग कंकड़ का है। धन उपलब्ध होने तथा जिले की सड़कों की आपसी प्राथमिकता पर उक्त सड़क को पेन्ट कराना निर्भर करता है।

2—श्री राम वचन यादव तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

[5 वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

3-4—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी—

[7 वें बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर जिले के विकास खंड झींझक के भवन का निर्माण

5—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खण्ड, झींझक के भवन निर्माण का कार्य पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त विकास भवन का कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कब बनकर तैयार हो गया ? और उक्त भवन निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। भवन निर्माण का कार्य दिनांक 14-4-69 को आरम्भ किया गया था, जो अक्तूबर, 1971 में पूर्ण हो गया था तथा कुल 92,528-83 रुपये व्यय हुए।

जिला अलीगढ़ में महेशपुर माइनर की खन्दी के कारण जलमग्न भूमि

6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अलीगढ़ तहसील, कोल के अन्तर्गत महेशपुर माइनर के मील 3 फ0 2 से मील 4 फर्लांग 4 तक के मध्य गत 5 वर्षों से लगातार खन्दी होती रहती है जिसके कारण तहसील कोल के ग्राम सुकरावली आदि के कृषकों की लगभग 500 बीघे उपजाऊ कृषि भूमि प्रतिवर्ष जलमग्न रहती है और किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त खन्दी रोकने के लिये, क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

ककोरा मेले (बदायूं) में सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर के कैम्प

7—श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नवम्बर, सन् 1972 में जिल बदायूं के ककोरा मेला में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर सिंचाई ट्यूबवेल, बरेली मण्डल, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्यूबवेल्स आदि के कैम्प लगाये गये थे ? यदि हां, तो किस कार्य के लिये और इस पर अलग-अलग कितना रुपया व्यय हुआ और कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी वहां गये ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, ककोरा मेला कैम्प में जिला परिषद् की परामर्शदात्री समिति की बैठक में क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं पर विचार विमर्श के लिये, जनसम्पर्क स्थापित करने, निकटवर्ती क्षेत्र में निरीक्षण तथा विभागीय अधिकारियों के आपसी विचार विमर्श आदि के लिये यह कैम्प लगाया गया था । इसमें 703·80 रु0 का व्यय "कैम्प कैरिज" तथा टन्टों व छोलदारियों के लगाने में तथा 740·40 रु0 यात्रा भत्ता , दैनिक भत्ता और जीप यात्रा पर व्यय हुए । कैम्प में जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1138 पर)

तहसील कासगंज, एटा की बसावनपुर ड्रेन की सफाई पर व्यय

8—श्री सियाराम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की तहसील कासगंज में स्थित बसावनपुर ड्रेन की सफाई पर पिछले 5 वर्षों में सरकार का कितना पैसा व्यय हुआ है ?

श्री महमूद अली खां—

पिछले पांच वर्षों में केवल 1972–73 में 1,353/रु0 व्यय हुआ ।

शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा नियत करने के संबंध में प्रधान मंत्री का पत्र

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मान्यवर, मैं शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत करने के विषय में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखे गये प्रधान मंत्री के अर्धशासकीय पत्र संख्या 170–पी0एम0ओ0 70, दिनांक 20 फरवरी, 1970 तथा केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण कार्य, निवासन तथा शहरी विकास, के गोपनीय अर्धशासकीय पत्र संख्या के—14011/4/70—यू0 डी0—2, दिनांक 25 जुलाई, 1970 (संलग्नकों सहित) की प्रतिलिपि को सदन के पटल पर रखता हूं ।

बिजली अभियन्ताओं की हड़ताल के संबंध में सूचना की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आप से प्रार्थना करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि आप यह न कह दें कि यह मुनासिब अवसर नहीं है । पहले करना चाहिए था । मैंने आपको लिखकर दिया है नियम 301 में । वह यह कि इसकी स्थिति विचित्र सी हो गयी है । एक मर्तबा सरकार ने घोषणा कर दी कि इंजीनियरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष---

अब दूसरा आइटम शुरू हो गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसीलिये मैंने कहा कि आप कहीं यह न कह दें कि आगे चले गये । मैं जानना चाहता हूं---सरकार सही स्थिति स्पष्ट कर दे । एक मर्तबा यह घोषणा हुई कि अभियन्ताओं ने हड़ताल वापस ले ली । दोबारा अभियंताओं ने कहा कि हमारी हड़ताल जारी है । फिर रेडियो से निकला है, जैसा कि प्रातःकाल निकला कि उन्होंने हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली । सच्चाई क्या है, फिर से घोषणा कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

रात जो साढ़े ग्यारह बजे, यह खबर आयी कि .....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

खबर तो कल भी आ गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन उनको आ जाने दीजिए न ।

एक सदस्य---

राज्य मन्त्री बैठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

वह जो जिम्मेदार हैं .....

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

जो सूचना है वह मैं जिम्मेदारी के साथ माननीय सदस्यों को दे सकता हूं । माननीय सदस्य अगर स्वीकार न करेंगे तो उनकी कृपा पर है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

माननीय मन्त्री शासन की ओर से जवाब दे रहे हैं । सूचना के आधार पर थोड़े ही देंगे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

तथ्य के आधार पर दे रहा हूं । सूचना के आधार पर नहीं दे रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जो इनफार्मेशन सरकार के पास हो, वह अपने अधिकार की तहत में दें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

तथ्य के आधार पर दे रहा हूं । आप सुनें । उन्होंने बिना शर्त के अपनी हड़ताल वापस की जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन को सूचित किया । उसके बाद उनसे कुछ मामलों पर वार्ता शुरू हुई । बीच में थोड़ी कठिनाई आई । उन कठिनाइयों का भी समाधान हुआ । उस बीच में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी हड़ताल को पुनः रिकाल करते हैं । उसकी कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है । गतिरोध चलता रहा । बातचीत चलती रही । कल फिर एक सूचना आयी कि हम लोगों में,

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

हमारे यहां एग्जिक्यूटिव में यह फैसला हुआ कि हड़ताल वापस ली जाय, जनरल बाडी में यह हुआ कि हड़ताल वापस न हो। हम लोगों ने अब फाइनल कर लिया है। हड़ताल वापस ली जा रही है।

श्री नित्यानद स्वामी (जिला देहरादून)—

जिस समय कल नारायणदत्त जी सदन में बयान दे रहे थे कि अभियंताओं की मांगें इस तरह से उन्होंने स्वीकार कर ली हैं और उसकी मीटिंग में भी वह घोषणायें कर आये हैं उस समय बाहर वे पिकेटिंग व हड़ताल कर रहे थे। कल जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था उसी पर नारायणदत्त तिवारी जी ने सदन के अन्दर यह बयान दिया था। मैं समझता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ सदन में उनको बयान देना चाहिए था उस जिम्मेदारी से नहीं दिया। इसीलिये मधव बाबू ने प्रश्न उठाया है कि क्योंकि इस तरह से रोज अलग अलग किस्म के बयान सरकार की ओर से दिये जाते हैं यह उचित प्रतीत नहीं होता। कभी तो सरकार जिम्मेदारी का काम करे।

श्री अध्यक्ष—

पहले तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जिम्मेदारी का सवाल करें। त्रिपाठी जी ने सवाल किया उसका जवाब जिम्मेदारी से दिया गया। अब आप उस पर फिर सवाल उठा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह सदन सर्वसत्ता सम्पन्न है। मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य चाहे कितना भी वरिष्ठ हो इस सदन में आकर ऐसा बयान नहीं दे सकता जो तथ्यों के विपरीत हो। आज भी मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि कल नारायणदत्त तिवारी जी जिस समय बयान दे रहे थे, उस समय अभियन्ताओ की हड़ताल जारी थी।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दें तो मैं वित्त मंत्री जी से पूछूंगा।

श्री नित्यानद स्वामी—

वित्त मंत्री जी से पूछने की क्या आवश्यकता है जब कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो बतला दिया जो उनको मालम है। लेकिन आप चाहते हैं कि मशीन की तरह से काम हो।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

रात 11 बजे दारुलशफा में जब सब लोग सो रहे थे तो कुछ लोगों ने आकर कहा कि सरकार ने मांगें मान ली हैं और हड़ताल समाप्त हो गयी लेकिन एक बजे फिर कुछ लोग आये और कहने लगे कि सरकार की यह चाले हैं, हड़ताल जारी रखी जायगी। यह संदिग्ध स्थिति थी। सरकार ने कल घोषणा की कि मांगें मान ली गयीं लेकिन हड़ताल फिर शुरू हो गयी थी और आज कहा कि हड़ताल समाप्त हो गयी। चूंकि संभावना बनी हुई है इसलिये वित्त मन्त्री जी से विशेष रूप से स्थिति स्पष्ट कराई जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना दिलवा दूंगा। अब आगे का काम चालू हो। आप नहीं चाहते कि हड़ताल समाप्त हो?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम यह नहीं चाहते कि हड़ताल चलती रहे। हमको गलत न समझा जाय लेकिन गलत-बयानी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

दूसरे को गलत कहना भी गलत है।

श्री नित्यानद स्वामी---

आप ऐसा न कहें। रिकार्ड आपके सामने पेश कर सकता हूं जिस समय यहां बयान दिया जा रहा था बाहर हड़ताल जारी थी।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

अब तक तो शुबहा था लेकिन अब शुबहा नहीं रहा कि आपही हड़ताल को प्रोत्साहित कर रहे थे।

कार्यसूची में कुछ मदों के सम्मिलित करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज का कार्यवृत्त जो छपा है उसमें मद 19,20,21 तथा 22 को देखने का कष्ट करें। नियमों के अनुसार नियम 49 की सूचना दिन के सामान्य कार्य की समाप्ति होने पर होती है और आज दिन के सामान्य कार्य की समाप्ति होने के बाद जो यह कार्यसूची में मद नम्बर 19,20,21 तथा 22 रखी गयी हैं, यह नियमों के विरुद्ध हैं, अवैधानिक हैं और इनको कार्यसूची से निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बोल चुके मुझे जवाब देने दीजिए।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, थोड़ी सी बात और बाकी रह गयी है और वह यह है कि मद नम्बर 19 के बारे में कल इस सदन में उसे तिरस्कृत कर दिया गया और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष स्वयं उठकर चले गये और वोट नहीं हो सका। उन्होंने समझ लिया कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह गिर गया अल्पमत में इन लोगों के होने की वजह से। इसलिये वे इसे छोड़कर चले गये। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी अवस्था में आप मेहरबानी करके नियमानुकूल सदन की कार्यवाही चलने दें। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 315 देख लें जिसमें कि सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष अग्रेता के बारे में दिया हुआ है। इसी नियम 315 का (27) श्रीमन्, आप देख लें जिसमें लिखा है कि उस सदन के सामान्यतः कार्य और (28) में सदन के कार्य जो स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा तथा (29) में ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं दी गयी हैं। तो जो सामान्य कार्य हैं वह आपकी कार्यसूची की मद संख्या 19,20,21 और 22 में दी गई हैं। वह निलंबित नहीं किया गया और आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[नित्यानन्द स्वामी]

आप उसे सदन में निलम्बित कर सकते थे और उसके बाद इस जगह पर रख सकते थे। मैं यह बात इस आधार पर कह रहा हूं कि यह यहां पर सदन में इसलिये नहीं आ सकता है कि जब वह प्रस्ताव अनुज्ञा के लिये रखा गया, उस पर चर्चा चली। उस वक्त दो ही विकल्प सदन के सामने होते हैं या तो वह पारित हो जाय अथवा वह गिर जाय। उसके अनुसार वह प्रस्ताव गिर गया और और पारित न हो पाया। घंटी बजती रही मतदान नहीं हो पाया .....

श्री अध्यक्ष—

मुझे बोलने दें .....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आपको भी आज जल्दी है ? श्रीमन्,

श्री अध्यक्ष—

जब हम 19 वें मद पर जाते तब आपको ऐतराज करना चाहिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं तो कार्यसूची पर एतराज कर रहा हूं और उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि वह अनियमित है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं बोल रहा हूं। वह अनियमित नहीं है, नियमित है। बात यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रश्न आया था .....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)—

आप पहले ही अपना व्यवस्था इस पर न दें। क्योंकि मैं भी कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं, यह वहां पर नहीं आया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि वह प्रश्न वहां पर आया था। कल उन्होंने इसे समाप्त कर दिया और चले गये क्योंकि यहां पर उसका विरोध हुआ था कि सरकार को 6 महीने का समय बढ़ाने का अधिकार इस बिल द्वारा न दिया जाय। मुझे सब मालूम है और मुझे बताया गया कि कार्य-मन्त्रणा समिति में वित्त मन्त्री की राय नहीं ली गई थी। किसी सदस्य ने कहा था कि 6 महीने का समय न रखा जाय और वह अधिकार सरकार को न दिया जाय तो मैंने सोचा कि जब तक इस बारे में तस्फिया न हो जाय तब तक न रखा जाय। जब तस्फिया हो जाय तब मैं उसको रख दूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने नहीं सुना कि 6 महीने का नहीं रखा जायगा। अब जिसने सुना हो कि उन्होंने कहा कि 6 महीने का निकाल दिया जायगा और 6 महीने का अधिकार सरकार को देने का प्रश्न नहीं रखा जायगा। अगर यह बात है और उसमें तस्फिया नहीं होता है तो मैं रखूंगा नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जिस वक्त आप बैठे हुए थे और कार्य मन्त्रणा समिति के सामने यह बात आयी कि 3 महीने का पहले तो इसमें हम रख ही नहीं सकते हैं। 24 तारीख के लिये कार्य मन्त्रणा समिति में रखने की बात नहीं थी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 25 के बजाय 29, 30, 31 को आप रख लें लेकिन उस उक्त उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक लाइन का है और उसको केवल 3 महीने के लिये बढ़ाने की बात है और 31 जनवरी से 31 मार्च तक इसको बढ़ा

दिया जाय। सदाशयता में हमने इसको मान लिया लेकिन कल उपाध्यक्ष महोदय ने कहा और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसको आपको मानना ही नहीं चाहिये था और अगर मैं अपोजीशन में होता तो इसको नहीं मानता। कार्य मन्त्रणा समिति में माननीय मन्त्री जी ने यह बात कही और कार्य मन्त्रणा समिति में अगर यह बात तय भी हो गयी कि 3 महीने के लिये इसको बढ़ा दिया जाय और अगर उसको हम लोगों ने सदाशयता में मंजूर भी कर लिया तो उसकी रिपोर्ट इस हाउस के सामने प्रस्ताव के रूप में आनी चाहिये थी लेकिन वह प्रस्ताव नहीं आया कि कार्य मन्त्रणा समिति ने कल इस विषय पर यह तय किया। कार्य मन्त्रणा समिति के सम्बन्ध में जो नियमावली है उसको आप कृपया पढ़ें---वह इस प्रकार है---

(ख) कार्यमन्त्रणा समिति:---

223---समिति का गठन---(1) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक समिति होगी जिसे कार्य मन्त्रणा समिति कहा जायेगा। इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सम्मिलित करके 15 से अनधिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष किसी समिति की बैठक में पीठासीन होने में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि किसी कारणवश ये दोनों ही पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से उस बैठक के लिये सभापति नाम निर्देशित करेंगे।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोल रहा हूं, व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया, पहले कानून पढ़ लें।

अब आगे देखें,

224---समिति के कृत्य---(1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें।

(2) समिति को प्रस्थापित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के विभिन्न प्रक्रम किस समय पूरे होंगे।

(3) समिति के लिये सदन के कार्य से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्य भी निर्दिष्ट किये जा सकेंगे जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर विनिश्चित करें।

225---समिति के प्रतिवेदन---किसी विधेयक या विधेयक समूह या अन्य कार्य के सम्बन्ध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी समयसारिणी की सूचना साधारणतया सदस्यों को पत्र द्वारा सदन को अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन किये जाने के कम से कम एक दिन पूर्व दी जायेगी।

मान्यवर, कार्य मन्त्रणा समिति में जो विनिश्चय हुआ वह सदन में आना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचारार्थ कार्य-मन्त्रणा समिति ने पास किया है और उसे यह सदन स्वीकार करता है और इसलिये उस पर विचार किया जाय। कल यह नहीं हुआ। मैं मान लेता हूं कि अगर कार्य मन्त्रणा समिति ने यह मंजूर कर भी लिया तो उसका विनिश्चय सदन का विनिश्चय नहीं बन गया।

[श्री बंशीधर पाण्डेय---]

अब आगे क्या है ---

226---समय का बंटवारा---(1) सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:---

"कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है।"

(2) जब ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि यह सदन का आदेश हो:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय।

किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे।

227---निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निस्तरण---सदन के संकल्प के अनुसार निश्चित समय पर किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिये अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम अथवा अन्य कार्य से संबंधित समस्त अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।

228---समय के बंटवारे में परिवर्तन---सदन द्वारा विनिश्चित समय-सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि सदन-नेता द्वारा प्रार्थना न की जाय...

श्री अध्यक्ष---

आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सदन नेता अगर कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो प्रार्थना करते, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। इसमें आगे है "और उस दशा में वह मौखिक रूप से सदन को अधिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है।" वह प्रार्थना करेंगे और यह कहेंगे कि इस सदन की सामान्य सहमति है और सामान्य सहमति जब हम लोग कर देंगे तब "अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन का प्रवर्तित करेंगे।" मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्यमन्त्रणा समिति एक बिल के लिये बुलाई गयी थी और उसमें यह दूसरा बिल भी ला दिया गया। कार्य-मन्त्रणा समिति का एग्जिस्टेंस है इसलिये उसकी कानून के अन्दर महत्ता भी है और जब यह है तो बिना कार्य मन्त्रणा समिति के बिना और बिना उसके थ्रू बिल को लावें। अब कार्य मन्त्रणा समिति को आप काटते नहीं हैं तो इस बिल का आना राइट नहीं था और जब यह राइट नहीं था तो बिल आना नहीं चाहिये था। अगर लाना ही चाहते थे तो पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मिनिस्टिर या कोई दूसरे मेम्बर खड़े होकर यह प्रस्ताव करते कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति के निश्चय से अपनी सहमति प्रकट करता है। वह भी नहीं हुआ। अब आप समझें कि दो चीजें गलत हो गयीं, तो पहला प्रश्न तो यह है कि कार्यसूची में जो यह लिया गया है वह सदन का निश्चय नहीं था, और अगर कार्य-मन्त्रणा समिति के निश्चय के अनुरूप था भी तो भी यहां सदन में उसको उपस्थित करवाना था।

दूसरी बात यह भी गलत हुई कि जब उपाध्यक्ष जी ने घंटी बजवा दी और छोड़ कर चले गये। तब दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह आ गया है और दुनिया के इतिहास में कोई नजीर नहीं मिलेगी जब डिवीजन मान लिया गया और घंटी बजा दी गयी तब संख्या इधर ज्यादा है या उधर ज़्यादा है, बीच में चले जाया जाय। उपाध्यक्ष जी ने घंटी बजवा दी और उसके बीच

में ही सरकारी पक्ष से पार्लियामेन्टरी अफेयर्स के मिनिस्टर ने देखा कि उनके पक्ष में सदस्य कम हैं उन्होंने प्रस्ताव कर दिया और उपाध्यक्ष जी ने यह कह कर कि सदन में शोर अधिक है सदन छोड़ कर चले गये। हमारे कहने पर तो वह मान नहीं रहे थे। साथ ही यह भी है कि घंटी बजने के बीच में कोई बात तो होती नहीं है। न तो उसकी पूरी प्रक्रिया ही उपाध्यक्ष जी ने अपनाई। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में आप देखेंगे, उसमें है कि डिवीजन की मांग होने के बाद और घंटी बजने के साथ डोर्स बन्द कर दिये जावेंगे और स्पीकर महोदय घंटी बन्द होने के बाद "हां या "न" करायेंगे। अगर डिटरमिन फिर भी नहीं होगा और चैलेंज होगा।

श्री अध्यक्ष---

तो हुआ क्या?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह भी माननीय पांडेय जी बता दें कृपा करके कि डिवीजन की घंटी बज ही रही थी उस समय जब नारायणदत्त जी को मालूम हुआ कि हमारे पक्ष में सदस्य कम हैं तो उन्होंने प्रस्ताव कर दिया कि सदन उठा दिया जाय और माननीय उपाध्यक्ष जी उठ कर चले गये।

श्री बंशीधर पांडेय---

वही तो मैं बता रहा हूं कि जब घंटी बज ही रही थी तभी उन्होंने प्रस्ताव कर दिया और उपाध्यक्ष जी उठ कर चले गये। उन्होंने विभाजन की प्रक्रिया भी नहीं अपनायी, न डोर्स क्लोज किये, न घंटी बन्द कराई और न और दूसरी प्रक्रियायें पूरी हुईं। इसीलिये मैं कह रहा था कि दो विषय व्यवस्था के हैं। एक तो कार्य मन्त्रणा समिति में यह अनियमित रूप से तय कराया गया और फिर उसको कार्यसूची पर रख भी दिया गया और दूसरे जब घंटी विभाजन की मांग पर बजाई भी गयी तो भी बिना पूरी प्रक्रिया अपनाये सरकारी मन्त्री के कहने पर बीच में छोड़कर चले गये। इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आइटम नं0 19-22 जो आज कार्यसूची पर हैं इन्हें रूल आउट कर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरीगढ़वाल)---

श्रीमन्, मैं एक सूचना आपसे चाहता हूं और वह सूचना आप ही दे सकते हैं। इसको कार्यसूची में रखने से पहले क्या माननीय अध्यक्ष ने यह देख लिया था कि कल जो डिवीजन हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ? क्या उस डिवीजन को आपने अवैध घोषित कर दिया? अगर वह डिवीजन अपनी जगह पर है या माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो कुछ किया है वह अपनी जगह पर है तब क्या वह विधेयक पास हो गया? आप कृपया स्पष्ट व्यवस्था दे दें कि कोई मतदान नहीं हुआ कल और वह बिल पास नहीं हुआ। इसके बाद ही यह कार्यसूची में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, जब कल इस पर विचार के समय वोटिंग कराई गई तो मैंने ही मांग की थी कि इधर 'नहीं' के पक्ष में मत ज्यादा है और डिवीजन कराया जावे और घंटी बजी और उसके बजने के बाद इधर बहुमत था और उधर अल्पमत था। इसलिये संसदीय मंत्री के कहने पर कल डिवीजन नहीं कराया गया। यह नियम के विरुद्ध हुआ है और उसी सब्जेक्ट को आज फिर से कार्यसूची में रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास सूचना यह आई कि सदन में शोर हो रहा था इसलिये वे उठ कर चल दिये।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, शोर के बीच में उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया, आप गलत कह रहे हैं । 'हां' और 'ना' कहलाया और जब चैलेंज किया गया तो घंटी बजी और संसदीय मन्त्री के प्रस्ताव पर सदन स्थगित हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में आ जाये और उसका विधेयक गिरने वाला हो तो यह उठकर चले जायं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जब घंटी बज रही होती है और कोई सदस्य कुछ कहता है तो वह बात मानी नहीं जाती है ।

श्री अध्यक्ष---

सदन में जब शोर हो रहा होता है तो उस समय डिवीजन नहीं होता है ।

श्री हिम्मत सिंह---

पहले से शोर नहीं था । घंटी बजने के बीच में शोर हो रहा था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप इसके बारे में अपनी व्यवस्था दीजिये कि कल मतदान हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

कल वह पास नहीं हुआ । यदि पास हो जाता तो मैं क्यों रखता ।

श्री त्रिवेणी राय---

श्रीमन्, इस पक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग उनको सुनिये ।

श्री त्रिवेणी राय---

झगड़ा आप लोग करें, शोर आप करें और भागें हम लोग ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप लोग बेइमानी करेंगे तो उसको दूर किया जायगा ।

श्री त्रिवेणी राय---

आप समिति के सदस्य हैं और यहां पर शोर करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने नेता विरोधी दल को बोलने के लिये बुला लिया है । आप लोग कृपया चुप रहिये ।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, कल डिवीजन की मांग की गई । इस पर घंटी बजाई गई । 'हां' और 'ना' में वोटिंग करायी जा चुकी थी और घंटी बजने के बाद कार्यवाही होनी चाहिये थी । लेकिन

बीच में शोर होता रहा और कार्यवाही सम्भव न हो तो सदन उठ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। पांच मिनट पूरे हो जायं तो डिवीजन कराना चाहिये लेकिन जब निश्चित हो गया कि उधर का पक्ष अल्पमत में था तो उधर से कहा गया कि हाउस बन्द कर दीजिये। इस पर सदन बन्द कर दिया गया। यह नियमों के विरुद्ध हुआ है और जानबूझ कर यह किया गया है क्योंकि कल उनका प्रस्ताव गिर जाता। इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये कि इसको फिर से कार्यसूची में आना कहां तक मुनासिब है।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, असल चीज यह थी कि उधर से केवल विरोध इस बात का था कि यह आश्वासन हुआ कि था 31 दिसम्बर तक यह पास हो जायेगा। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से यह सम्भव नहीं हो सका, विधान परिषद् में यह पेंडिंग था। अपोजीशन का विरोध यह था 30 अप्रैल के बाद इसको एक्सटेंड न किया जाये तो वह इसको मानने के लिये तैयार थे। तो प्रश्न यह है कि जब अपोजीशन इस हद तक तैयार था तो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह बात कैसे आई, यह प्रश्न नहीं है। बल्कि कल सारा विरोध यह था कि 31 अक्तूबर तक न बढ़ाया जाय और यह लेजिस्लेटिव की पावर एग्जिक्यूटिव को न दी जाय नोटिफिकेशन के जरिये से सिर्फ इतनी बहस थी। अब जब उपमंत्री जी ने यह कहा कि इस पर विचार किया जाय तो चूंकि उधर हैं एतराज था कि 31 अक्तूबर की बात स्वीकार न की जाय और चूंकि यह पावर डेलीगेट नहीं हो सकती इसलिये इस पर कांस्टीट्यूशनल बहस हुई। हमने बड़ी कोशिश की और उधर के सभी लोगों, श्री कल्पनाथ सिंह जी, स्वामी जी, जाय सवाल जी और सब से कहा कि 30 अप्रैल की बात हम मानते हैं लेकिन मियाद बढ़ाने की बात आप वापस ले लें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इधर से यह बात नहीं हो सकी और उस वक्त मंत्री जी अपनी एक आवश्यक मीटिंग में चले गये थे उसी बीच में यहां इतना शोरशराबा हुआ और कहा गया कि नहीं होने देंगे और यहां तक यहां गड़बड़ हुआ कि मजबूर होकर मंत्री जी को यहां आकर कहना पड़ा कि सदन को ऐसी स्थिति में स्थगित कर दिया जाय। यह सही है कि उस वक्त उपाध्यक्ष जी कुछ कहने को खड़े हुये लेकिन चूंकि शोर अधिक था तो मजबूर होकर वित्त मंत्री जी ने कहा कि आज स्थगित कर दिया जाय। अब प्रश्न यह है कि कल जब वोटिंग नहीं हो सकी तो उसके बाद आज यह आटोमेटिक है कि यह बिल आज आयेगा।

श्री अध्यक्ष—

हमारे सामने यह 19, 20 ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं बिलकुल नई बात आप को बता रहा हूं जिसे सब भूले हैं। इस विषय पर बातचीत हो रही थी कि 30 अप्रैल रहे और 31 अक्तूबर तक की पावर न हो तो स्वामी जी ने उपाध्यक्ष जी से कहा था कि आपस में तय कर लें और सदन स्थगित कर दें, इस तरह से तय कर लें लेकिन उसके बाद जब पुट हुआ तो वोटिंग कराना लाजमी था लेकिन यह बात रिकार्ड में है कि जब वह हारने लगे तो उठकर सदन स्थगित कर के वह चले गये।...(व्यवधान)...

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी जैसा कि हमारे पांडेय जी ने कहा, यद्यपि उन्होंने सारे मामले को दूसरे तरीके से रखा लेकिन यह सही है कि नई क्लाज जोड़ने के बारे में एतराज हुआ। हमारी तरफ से कहा गया कि इधर के लोगों ने इसको देखा भी नहीं है, यह जरूर है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—]

उस वक्त उस की स्वीकृति दे दी थी लेकिन यह एक नई बात सामने आ गई । इसी पर झगड़ा चल रहा था और उस पर एतराज हुआ लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी ने रूलिंग दे दी और फिर उस पर हल्ला हुआ और उस वक्त जब मैंने देखा कि शोर ज्यादा है तो मैंने खड़े होकर कहा कि यहां परम्परा भी रही है कि जब शोर होने लगे तो दस मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दिया जाय, वह हो जाय लेकिन इसको भी उपाध्यक्ष जी ने रूल आउट कर दिया और हल्ला बन्द नहीं हुआ और यह स्थिति आ गई । उन्होंने सदन के सामने प्रस्ताव रखा और वह खड़े हो गये लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरकारी पक्ष की संख्या सदन में कम है और इधर की अधिक है तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की और अपने को बदला और उस हल्ले में ही उन्होंने सदन में पुट कर दिया और जैसा कि माननीय बंशीधर जी ने कहा कि जब उन्होंने बाद को यह देखा कि घंटा बज रही है और अगर वोटिंग होगी तो सरकार हारने जा रही है तो उन्होंने शोर की बात कह कर सदन को उठा दिया । लेकिन ऐसी परम्परा का नतीजा यह होगा कि जब भी सरकार के इस तरह से मेजारिटी में न होने पर हारने की स्थिति आयगी तो उधर से हल्ला होगा और आप सदन को उठा देंगे। हल्ला उन्होंने किया अपनी मनमानी बात मनवाने के लिये । यह केवल इस लिये किया गया कि प्रस्ताव गिरने वाला था । मेरा कहना है कि वह पास नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

पास नहीं हुआ ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे सही स्थिति कहनी थी, इसलिये कही ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि इसको आज के ऐजेन्डे में से निकाल दिया जाय । ये जो आइटम्स 19,20,21 और 22 पर हैं, मैं इनको निकाल देता हूं । मैंने तो इसलिये रखा था कि मैं समझता था कि चूंकि यह हल्ला होने से हुआ है । कार्य मंत्रणा समिति से पास हो चुका था कि आना चाहिये लेकिन सदन में नहीं रखा गया था । कार्य मंत्रणा समिति का काम सदन में रखा जाता है, जैसा कि माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कहा और उसकी स्वीकृति दी जाती है, वह स्वीकृति नहीं ली जा सकी तो जब वह स्वीकृति नहीं ली जा सकी तो मैंने इसको आखिर में इसलिय रखा था कि अगर आप लोग राजी हों तो ले लिया जाय । इसीलिये यह आउट आफ आर्डर रखा गया है । यदि आप राजी होते हैं कि इसे इस फार्म में आना चाहिये तो आयेगा अन्यथा नहीं आयेगा। चूंकि आप राजी नहीं हुए हैं इसलिये मैं इसको कैंसिल करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, आपने रूलिंग तो दे दी. . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपकी रूलिंग के बाद ये क्या कहते हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मेरा यह नम्र निवेदन है कि आपने रूलिंग तो दे दी लेकिन इस विषय पर इतने समय से कोशिश हो रही है, आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया है । यह सर्वथा अन्याय नहीं तो क्या है । आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है, यह मुनासिब बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, ये शब्द आपके प्रति हम सुनना नहीं चाहते हैं कि हम यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये इस प्रकार से आपके प्रति कहें ?

एक सदस्य—

हम चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं। यह बात सही है कि उस वक्त घंटी बजी। यह भी सही है कि हल्ला होने के कारण वे उठ कर चले गये। कार्यमंत्रणा समिति में तो चर्चा हो चुकी थी कि यह आना चाहिये। इसीलिये मैंने इसमें रख लिया कि अगर दिन भर में राजी हो सकते हैं कि किसी फार्म में आ जाय तो उस फार्म में ले लिया जाय लेकिन अगर राजी नहीं होते हैं तो पोस्टपोन कर दिया जाय, वह पोस्टपोन हो गया और उसके बाद उनके आर्डर के बाद में रिवाइव नहीं करता हूं। सवाल यह है कि आज वह नहीं लिया जायगा। आपको फिर से इसे आरम्भ करना पड़ेगा कि इसको लिया जाय या न लिया जाय। जब शुरू करेंगे तब हो सकता है। इसलिये मैंने यह कह दिया कि मैं उसमें से निकाल लेता हूं अगर राजी होते हैं तो किसी फार्म में आयेगा लेकिन अगर राजी नहीं होते हैं तो नहीं आयेगा।

मुझे माननीय चरण सिंह जी के प्रस्ताव पर अधिकार दिया था कि उसको किसी फार्म में लिया जाय। खाद्य समस्या के बारे में विचार लेना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपको अधिकार नहीं दिया गया था। यह सर्व सम्मति से तय हो गया कि आपको अधिकार नहीं दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

अगर 24 तारीख के बाद नहीं बैठेंगे तो काट देना पडेगा। मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि कल उस पर वोटिंग नहीं हुयी और जनरल में यह आया हुआ है कि हल्ला होने के कारण सदन छोड़ कर चले गये।

अब सवाल यह है कि मुझे यह अधिकार था। मैं अगर यह काट देता कि फिलहाल यह नहीं लिया जायेगा तब तक मुझे अधिकार है इसको प्रोवाइड करने के लिये। जो नं0 16 पर है। मुझे दोनों तरफ से सदन ने अधिकार दे दिया है। एक तो स्वयं मैं फैसला ले लूं। सवाल यह है कि आप राजी नहीं होते हैं और चर्चा होकर इस बिल को पास किया जाय तो मैं खामख्वाह आपका समय क्यों लूं। इसलिये निकाल दिया। अगर राजी होंगे तो ले लूंगा किसी फार्म में।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि रूलिंग पर आप पुनर्विचार करें। म यह कह रहा था कि यह मानी हुई परम्परा है चाहे अदालत की हो या सदन की कि जब प्रश्न उपस्थित है तब दोनों को सुनने के बाद आप अपनी व्यवस्था देंगे। आप एक फैसला हमारे खिलाफ दे रहे हैं। आपने हमको सुनने की भी कृपा नहीं की और फैसला आपने दे दिया।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको सुना पूरी तरह से और उसके बाद मैंने कहा कि...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने इधर के व्यक्तियों को बोलने का मौका दिया । हमारे आदमियों ने समय नहीं मांगा । पांडे जी ने समय मांगा । इसका अर्थ यह हुआ कि लीडर नहीं बोलते हैं उसके लिये दूसरे व्यक्ति को सरेन्डर किया है । फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इन्हें मौका नहीं दिया गया ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मैं तो मान्यवर, कई बार खड़ा हुआ हूं कि मुझे भी समय दें ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, ये उस समय हाउस में थे ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे कार्यक्रम में किसी चीज को रखने का अधिकार स्वयं है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

आपसे मैं यही कहना चाहता था । आपने समय ही नहीं दिया । मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सब विचार कर लिया ।

(व्यवधान)

जब मुझे अधिकार है रखने का तो मैंने रखा । कल इस तरह की बात हो गयी कि डिवीजन के बाद वोटिंग नहीं हुआ । कोई कारण था । वह कारण इस कार्यवृत्त में लिखा हुआ है कि सदस्यों द्वारा विभाजन की मांग किये जाने पर घंटी बजायी गयी किन्तु इस समय सदन में अत्यधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। अतः श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिये स्थगित कर दी । जब कार्यवाही अगले दिन के लिये स्थगित कर दी तो यह बात आती है कि आपका जो बिल है उसका क्या होगा । उसको हमने पास नहीं कराया था कि उस बिल को आज यहां लाया जाय । उसमें कल एक चीज कही गयी कि 6 महीने के लिये बढ़ाने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है । इसी के ऊपर झगड़ा हुआ, हो हुल्ला हुआ । वह सारी चीज मुझे अपने दफ्तर से मालूम हुई । जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा कि रख दीजिये और अगर सरकार की पार्टी में और इनमें तस्फिया हो जाता है तो इसको ले लेंगे और अगर नहीं होता तो नहीं लेंगे । अगर समय रहेगा तो सदन की राय से लेंगे । अब वह लोग राजी नहीं हैं । अगर आप आपस में तस्फिया कर लें तो अब भी ले सकते हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, 299 का उपनियम 6 पढ़ लें ।...

श्री कल्पनाथ सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । ....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी रूलिंग के बाद क्या उसको दुबारा मन्त्री जी उठा सकते ह ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं उठा सकते ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह सदन का अवमान है ।

श्री अध्यक्ष---

अवमान नहीं है । अब आगे चलते हैं ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

इसमें भी व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें लिखा गया है कि मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी । तो यह मुद्रित हुई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मुद्रित नहीं हुई हैं ।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का यह पहला प्रतिवेदन जो कि सार्वजनिक उपक्रम से सम्बन्धित सामान्य विषयों के अतिरिक्त राज्य वित्तीय निगम के विषय में है, आज सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मुझे हर्ष हो रहा है । इस प्रतिवेदन में लगभग 250 पृष्ठ हैं तथा 50 पृष्ठ के परिशिष्ट हैं। अनुसंशाओं की सख्या भी लगभग 100 है । अध्यक्ष महोदय, इस समिति का गठन करके आपने केवल विधान सभा को ही यह अवसर प्रदान नहीं किया कि वह प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा कर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करे, जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके वरन मेरे विचार से आप पूरे प्रदेश की जनता के आभार के पात्र हैं कि आपने इन सार्वजनिक उपक्रमों में लगे जनता के अपार धन के व्यय और उसके परिणामों का चित्र जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।

इस समिति ने राज्य वित्तीय निगम, कृषि औद्योगिक निगम, परिवहन निगम, चीनी निगम तथा मूल्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गेंहूं की खरीद की जांच तथा इन विषयों का अध्ययन आरम्भ किया और इसके लिये समिति ने अपने को तीन उप समितियों में विभक्त किया । यह प्रतिवेदन राज्य वित्तीय निगम से सम्बन्धित है तथा चूंकि यह पहला प्रतिवेदन है, इसलिये कुछ सामान्य विषयों का भी इसमें समावेश है । मेरा विश्वास है कि इसमें जो सुझाव दिये गये हैं, उनसे प्रदेश के औद्योगीकरण में और अधिक प्रभावी तथा लाभदायक योगदान देने में समिति सफल हो सकेगी । अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है जो प्रतिवेदन सदन में श्रम और धन लगाकर प्रस्तुत किये जाते हैं वे शासन के कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं और उन पर सदन में चर्चा का अवसर नहीं मिलता । इस प्रतिवेदन में समिति ने यह सुझाव दिया है कि कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त चर्चा का अवसर उसी उपवेशन में या आगामी उपवेशन में अवश्य उपलब्ध हो और आपसे निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुमताज मोहम्मद खां—]

मैं उप समिति के सदस्यों और विशेषकर उसके संयोजक, श्री विश्वनाथ कपूर, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सराहनीय योगदान दिया है, के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । साथ ही साथ मैं इस अवसर पर श्री विशन चन्द, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा उनके अधीन अन्य अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं । जिन्होंने इस समिति को लाभदायक परामर्श देकर लाभान्वित किया है । मैं वित्तीय निगम के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री ज्ञान प्रकाश, वर्तमान अध्यक्ष, श्री राजेश्वर प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, श्री निवासन रमेश, विकास तथा अन्वेषणाधिकारी, श्री आत्मा राम गंगल तथा निगम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपनी तथा समिति का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समिति को समय समय पर वांछित सूचना तथा सहायता देकर उसके कार्य को सुगम बनाया । मैं श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा को भी उनकी सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं । श्री श्रीपति सहाय, अनुसचिव, जो कि इस समिति के अधिकारी हैं, का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने विधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुये भी इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अनुकरणीय रुचि ली है तथा जिनके अथक परिश्रम के कारण ही यह प्रतिवेदन पूरा हो सका है । समिति के कार्य में, श्री चितरंजनदेव, अनुभाव अधिकारी, कुमारी प्रीति चौधरी, सहायक, श्री प्रेम नारायण भार्गव, वैयक्तिक सहायक तथा अन्य कर्मचारियों ने जिस परिश्रम और लगन के साथ काम किया है तथा जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रतिवेदन तैयार हुआ है, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

विधान सभा की समितियों को प्रदेश के बाहर जाने की अनुमति देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप अभी चले जायेंगे और हम मिलेंगे नहीं इस समिति का प्रतिवेदन आपके सामने आया है । और इस समिति के सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । कल उपाध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि अध्यक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि समितियां प्रदेश के बाहर नहीं जावेंगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो, तो आपकी आज्ञा से जा सकती हैं । उस दिन जब आपने बुलाया और राय मांगी तो मैंने अपनी राय दी । अब ऐसा है कि दूसरे अधिवेशन में आप मिलेंगे और इस बीच में ऐसा न हो कि आप दूसरी समितियों को बाहर जाने के आदेश दे दें और हमको न दें । हमारी समिति भी उड़ीसा, तामिलनाडु, गुजरात जाना चाहती है कि समितियों का काम सीखे और चारों धाम भी कर आवे । मैं स्पष्ट कह रहा हूं । तो अगर आपने यह निर्णय लिया कि समितियां बाहर नहीं जावेंगी तो हम उसके लिये आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे मैं असंतोष का कारण बन रहा हूं । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी को भी बाहर जाने के आदेश देते हैं तो हमें भी दें । सभी पर रूलिंग लागू होनी चाहिये । अनन्तराम जायसवाल जी ने परसों बहुत तीखे शब्दों में इसकी आलोचना की है । कदाचित् यह बात आपके नोटिस में आई हो । आप इस पर व्यवस्था दें कि आपकी राय क्या है ?

श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय मेरा यही निवेदन है किसी कमेटी को बाहर जाने की आज्ञा न दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष—

अभी तक यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष की आज्ञा लेकर कमेटी बाहर जा सकती है। उसके ऊपर चर्चा स्पीकर्स कमेटी में हुई और यह तय हुआ कि जब बहुत ही आवश्यकता हो तो जाने की इजाजत देनी चाहिये। परसाल से लोग बराबर जाते रहे हैं। मैंने दो प्रान्तों में जाने के लिये इजाजत दे दी, यह नहीं कि हिन्दुस्तान भर में दौरा लगायें। अब यह सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल बन्द कर दें या कभी-कभी जाने दें। इसमें वहां दो तरह की रायें थीं। कुछ लोगों का कहना था जोकि अल्पमत में था कि लोगों को बाहर जाना चाहिए, इससे फायदा होता। कुछ लोगों का कहना था कि यह निरर्थक खर्च है। इसको बन्द कर देना ठीक होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस गरीब प्रदेश के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी बन्द नहीं किया। दो प्रान्तों में जाने की इजाजत दे दी है। अगर आपकी कमेटी दो प्रान्तों में जाना चाहे तो जा सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने तो अपनी राय दे दी कि नहीं जाना चाहिए। आप इजाजत दें देंगे तो मजबूर होंगें जाने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

धीरे-धीरे कोई प्रथा बढ़ती है। धीरे-धीरे लोग दौरे जाने लगे हैं उसे एकदम खत्म करना आसान नहीं है। मैं दो प्रान्तों में जाने के लिए इजाजत देने को तैयार हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैसूर से हवाई जहाज से कमेटी आ रही है। अगर यहां जाना बन्द कर रहे हैं तो उनका स्वागत करना भी बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं स्वागत करूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

केरल की कमेटी आई थी····

श्री अध्यक्ष—

इस साल दो प्रान्तों में जाने के लिये इजाजत दे दी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपने मान्यवर, दो प्रान्तों के लिये फर्माया उसमें केरल और तामिलनाडु दो ही में बात आ जाती है। फिर जब कोई समिति आगे जाना चाहती है तो और सब प्रान्त पीछे पड़ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने उसमें बात साफ कर दी है। अब कृषि मन्त्री का वक्तव्य···

विविध विषय

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पार्लियामेंटरी आफेयर्स मिनिस्टर ने कल कोई अन्डरटेकिंग कमेटी का संकल्प पेश किया था। क्या उसे वापस ले लिया मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष—

चूंकि वह विधेयक पारित नहीं हुआ लिहाजा कभी भी आ सकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

तो उसके लिए जोर क्यों नहीं देते ? क्या हाफ हार्टेड हाउस में आये थे ? ये जोर नहीं दे रहे हैं कि पास कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल, आपकी पार्टी के 2–3 आदमी इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, आपने कार्य-सूची की 5 संख्या को छोड़ दिया। मैंने सचिव महोदय के यहां सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इसलिए खत्म होता है चूंकि हड़ताल फिर खत्म हो गयी। इसलिए इस प्रश्न के उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

हड़ताल आज खत्म हुयी। वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने हाउस में जो इत्तला दी वह गलत दी। आज के अखबारों में देख लिया जाय और आज के रेडियो से देख लिया जाय। मैंने उनके रिजोल्यूशन को नत्थी किया है। उनका कहना है कि कोई बात तय नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

आज रेडियो पर आ चुका है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

रेडियो की इत्तला सही नहीं मानी जा सकती । जब सदन की इत्तला सही नहीं है तो रेडियो की इत्तला कैसे सही मानी जा सकती है ?

अध्यक्ष—

रेडियो पर सुनकर ही आप कहने लगते हैं या अखबारों में पढ़ कर कहते हैं। उप मन्त्री ने जवाब दे दिया था कि हड़ताल खत्म हो गयी है।

भूतपूर्व कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न पर कृषि राज्य मंत्री का वक्तव्य

*कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के पांचवें मंगलवार के ता0 सं0 64 के उत्तर से सम्बन्धित नियम 49(1) के अन्तर्गत चर्चा में कहे गये सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री-जी का वक्तव्य।

विषय—विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के पांचवें मंगलवार के लिये श्री विश्वनाथ कपूर, विधायक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 64 के सम्बन्ध में विधान मण्डल में 27 जुलाई, 1972 को आध घंटे की चर्चा हुई थी। सर्वश्री विश्वनाथ कपूर, सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा राम बिलास पांडेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न पर 28 जुलाई, 1972 को विधान सभा में चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि सम्बन्धित अधिकारी, जिसने गलत सूचना दी थी, का स्पष्टीकरण लेकर उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सदन को सूचित किया जाय। उक्त व्यवस्था के अनुपालन में डा0 एन0 एन0 दीक्षित, एकोनामिक्स बोटनिस्ट (पैड्डी), फैजाबाद क स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त इनको निम्नलिखित कड़ी चेतावनी दे दी गई है :—

"श्री विश्वनाथ कपूर के तारांकित प्रश्न सं0 64 के सम्बन्ध में अपूर्ण सामग्री देने, प्रश्न में पूछी गई सूचना न देने तथा इस सम्बन्ध में असावधानी बरतने के लिये आपको कड़ी चेतावनी दी जाती है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में आप विधान सभा परिषद् के प्रश्नों के आलेख्य / उत्तर तैयार करने तथा उनसे सम्बंधित अनुपूरक प्रश्नों की सामग्री तैयार करने में अधिक सतर्कता और उत्तरदायित्व बरतेंगे।"

(इस समय 1 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, श्री एन0 एन0 दीक्षित ने सदन को गुमराह किया और सही सूचना नहीं दी। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी को चेतावनी दे देना ही काफी है? यहां जब कोई विशेषाधिकार भंग हो जाता है तो मान्यवर, उसकी ताड़ना हो सकती है और जेल भी हो सकती है। आज माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि चेतावनी दे दी गयी है। मैं उनसे जानकारी चाहता हूं कि क्या यह काफी है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रामधारी शास्त्री, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैंने दूसरा प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धीकरण की धारा 207 को पढ़ देता हूं:—

"सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

रा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।"

तो जो कार्यवाही है उसमें चेतावनी भी शास्ति में एक है। उन्होंने चेतावनी उचित समझी, उसे उन्होंने अवगत करा दिया है। यह स्थिति है। यथोचित कार्यवाही जैसा वह समझते हैं वैसी उन्होंने की।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरा एक विशेषाधिकार का था, वह नहीं लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका 4 बजे के बाद आया था, माननीय अध्यक्ष ने इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया। समय से नहीं आया।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं जानना चाहता था कि जो मसौदा अनुसन्धान के श्रमिक हैं उनको साप्ताहिक अवकाश और कोई अवकाश नहीं मिलता। मन्त्री जी ने कहा था कि आदेश कर देंगे। न तो मन्त्री जी ने कोई आदेश ही दिया कि उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाय, मुझे जानकारी दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप पूछ सकते हैं अलग से।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मेरी बात सुन लें, आपने कहा था। मैंने पिछली 12 तारीख को विशेषाधिकार की सूचना दी थी और अब तक मालूम नहीं हुआ कि श्रीमन्, ने उसको मुनासिब समझा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका वह माननीय नेता सदन मुख्य मन्त्री के पास भेजा गया है, अभी लौटा नहीं है। स्थिति स्पष्ट करने सम्बन्धी उनकी जानकारी आ जाय तब उस पर कार्यवाही होगी, अभी वह है सामने। मुख्य मन्त्री जी को स्थिति स्पष्ट करने हेतु भेजा गया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

वह ठीक है, भेजा गया, लेकिन नियमों में यह तो अवश्य है कि अगर प्राग्दर्शन से मालूम है कि ऐसा मामला है या नहीं है, यह तो कोई चीज बताई नहीं जाती। माननीय मन्त्री जी और आप जिस तरह से समझें करें, लेकिन हमको तो बताना चाहिये था कि हुआ क्या ? प्राग्दर्शन से कोई बात मालूम हुई या नहीं ? नियमों में यह थोड़े ही है कि मुख्य मन्त्री जी को भेजें तब बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष—

स्थिति वह बतायेंगे लेकिन 207 करण के अन्तर्गत सत्यता और वैधता के जो मामले होते हैं वह कार्यवाही हेतु भेजे ही जाते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

इतना निवेदन कर दूं कि जो मेरा प्रश्न था और उत्तर था तो उत्तर नहीं मंजूर किया गया, बड़ी शिकायत हुई थी जवाब आने की कि साक्ष्य नहीं मिला और मेरा बयान नहीं मिला, तो मेरा निवेदन यह है कि प्राग्दर्शन है क्या, वह चलता है या नहीं विशेषाधिकार का, यह मैं जानना चाहता था, दूसरा यह कि 12 तारीख को मैंने दिया तो कितने दिनों में, कोई लक्ष्य भी है, हफ्ते भर या दो हफ्ते ? यह तो तत्काल का मामला है, कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब अगर कोई बयान गलत दिया, किसी ने यह कहा, कि विशेषाधिकार के प्रश्न से इसे नहीं जोड़ा जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वह तो 207 करण के अन्तर्गत आता है और उसे स्थिति स्पष्ट करने के लिये भेजा जाता है। आने दीजिये उसे।

खेकड़ा, जिला मेरठ में पड़ी डकैती के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10, 11 जनवरी, 1973 की रात्रि में मेरठ जिले के केकड़ा कस्बे में कुछ डकैत घुस आये और उन्होंने लाला बनारसीदास के घर में घुसने की कोशिश की। मोहल्ले के लोगों के जाग जाने और शोर हो जाने के कारण वे भाग गये। करीब दो बजे रात्रि को डकैत उक्त कस्बे के अन्य हिस्से में स्थित जैनी मोहल्ला में श्री मरारी लाल के घर में घुसने में सफल हो गये। घर में घुसकर डकैतों ने श्री मरारी लाल व उनकी पत्नी को मारा पीटा। शोर मचाने पर पड़ोस के लोग जाग गये। उन्होंने डकैतों को पकड़ने की कोशिश की तथा छतों पर चढ़कर हेले बरसाये। इस पर डकैतों ने बन्दूक से फायर किया। श्री मरारी लाल के पोते, श्री अशोक कुमार की मृत्यु गोली से चोट लगने के कारण हुई तथा 6 अन्य व्यक्तियों को लाठी की चोटें आयीं। डकैत कुछ नगदी जेवर तथा कपड़े उठा ले गये।

करीब 3 बजे रात्रि को डकैत उक्त स्थान से लगभग 3 फर्लांग की दूरी पर स्थित श्री कृष्ण दत्त शर्मा के घर में दीवार फांद कर घुस गये व दरवाजा तोड़ने की कोशिश की पर इसमें वे सफल नहीं हुए। शोर होने पर जब बगल के घर से श्री कृष्णदत्त शर्मा के भाई दरवाजा खोल कर बाहर गली में निकले तो डकैत उनके घर में घुस गये तथा नगद रुपया, जेवर व कपड़े उठा ले गये। शोर मचने पर श्री शर्मा के समीप स्थित मकान से श्री महेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबिल जो मुरादाबाद में तैनात थे और अवकाश पर आये थे अपने पिता के साथ निकल कर आये तथा डकैतों को पकड़ने की कोशिश की। डकैतों ने इन्हें घेर कर लाठी से मारा जिसके फलस्वरूप श्री महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी। घटनास्थल पर सात अन्य व्यक्तियों को चोटे आयीं।

खेकड़ा कस्बे में एक थाना और दो पुलिस चौकियां हैं। एक चौकी कस्बे के बाहर नई मण्डी में स्थित है जहां पर घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। लगभग 1 बजे रात्रि, थाना खेकड़ा में एक चौकीदार द्वारा यह सूचना दी गयी कि कस्बे में कुछ बदमाश घुस आए और उन्होंने लाला बनारसी दास के घर में घुसने की कोशिश की। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, खेकड़ा कुछ कांस्टेबिलों को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचे और डकैतों के न मिलने पर उनकी खोज में लग गये।

डकैत इसी बीच लाला मरारी लाल के घर में घुसने में सफल हो गये थे। जिसकी सूचना थाने पर श्री मरारी लाल के पुत्र ने रात्रि 2.15 पर दी। डकैतों ने वहां बन्दूक से फायर किया था और गोली चलने की आवाज से थानाध्यक्ष का ध्यान इस घटना की

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

ओर आकर्षित हुआ। जब थानाध्यक्ष उक्त घटनास्थल पर पहुंचे तो डकैत वहां से जा चुके थे। और उन्होंने ही 'कृष्ण दत्त शर्मा के भाई के घर में डकैती डाली थी जिसकी सूचना पुलिस चौकी पर श्री शर्मा के भाई द्वारा उसी समय दी गई थी।

दिनांक 12 तथा 13 जनवरी को थाने के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्राधिकारी व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। खेकड़ा कस्बे में कोई हड़ताल नहीं हुई। 12 जनवरी, 1973 को बाजार की कुछ दुकानें 3—4 घंटे के लिये मृत व्यक्तियों की संवेदना में बन्द हुई थीं। उक्त घटना को लेकर खेकड़ा में असन्तोष था पर बाकी जिले में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्राधिकारी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। खेकड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से पी० ए० सी० तैनात कर दी गयी है। डकैतों के गिरोह का पता लगाने के लिये अथक प्रयास किया जा रहा है।

जब तक कि जांच से यह ज्ञात हुआ है कि इस मामले में पुलिस द्वारा समयोचित एवं संगठित तरीके से कार्यवाही नहीं की गई। थानाध्यक्ष, खेकड़ा, एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल तथा 13 कांस्टेबिलों को तरन्त लाइन हाजिर कर दिया गया था। थानाध्यक्ष, सब इन्सपेक्टर तथा पुलिस चौकी के इंचार्ज, हेड कांस्टेबिल को निलम्बित भी कर दिया गया है तथा पूरे मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को जानते हैं कि डकैत कस्बे में 12 बजे से पहले घुसे और 3 बजे, वह स्वयं ऐडमिट करते हैं, वह वहां से बाहर गये, इतनी देर तक कांड होता रहा, यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो चौकियां हैं उनका घटनास्थल से कितना फासला है और थाने का कितना फासला है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, थाने से 2 फर्लांग एक तरफ एक मकान है और 2 फर्लांग या इसके आस-पास दूसरी तरफ दूसरा मकान है। सीताराम के यहां जो दूसरी घटना हुई उसमें तीन, साढ़ तीन फर्लांग की दूरी हो जाती है। जैसे ही सीताराम के यहां की सूचना मिली तत्काल पुलिस वहां पहुची। जब दूसरी तरफ फायर हुआ तो वहां पहुंची। डाकू अपना कांड करते हुए आगे बढ़ते चले गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फनगर)—

खेकड़ा कस्बे में डाकू 3 घंटे तक लगातार रहे ओर जैसी मेरी जानकारी है 8 फायर किये गये और दरोगा जी को तुरन्त सूचना भी दी गयी थी तीन मकानों में उन लोगों ने जो डकैती डाली, लेकिन फिर भी दरोगा जी मौके पर नहीं पहुंचे तो क्या इसकी भी जानकारी मन्त्री जी को है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिस समय यह घटना हो रही थी उस समय नहीं पहुंचे यह तो स्पष्ट हो गया है उसके बाद वह गये। इसी कारण से कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से स्थिति का मुकाबला नहीं किया, इसमें उनकी लापरवाही भी सिद्ध होती है, तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, 1 बजे रात को चौकीदार ने डकैती पड़ने की सूचना दी पुलिस को और 3 बजे तक डकैती पड़ती रही तो क्या इसमें पुलिस की साजिश प्रतीत नहीं होती? इस की क्या सरकार जांच करायेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जांच तो हो रही है, इस बारे में कि उनकी साजिश थी या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चौकीदार ने सूचना जिस घर में डकैती पड़ने की दी, पुलिस वहां पहुंची, मगर डाकू चूंकि वहां प्रवेश नहीं पा सके, ये दूसरी जगह चले गये, फिर वे वहां से भी तीसरी जगह चले गये।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री जी का ध्यान 14 तारीख के हिन्दुस्तान पेपर की ओर गया है जिसमें यह लिखा है कि उनका सम्वाददाता स्वयं खेकड़ा गांव में गया और उसे पता चला कि वहां 11, 12, 13 व 14 तारीख तक कोई आफिसर जांच करने के लिये गया ही नहीं जबकि यह घटना 10 तारीख की रात की है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

किस तारीख को कौन गया यह अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जा चुके हैं और उन्होंने मौके का निरीक्षण भी कर लिया है। उन्हीं के आदेश पर ही पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

श्री बलवीर सिंह—

14 तारीख तक कौन-कौन अधिकारी जांच के लिये मौके पर गये?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने अभी बताया कि यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जब पहले घर में डकैती पड़ी और पुलिस वहां पहुंची तो एनकाउन्टर वहां हुआ या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य ने सुना नहीं, मैंने अभी बताया कि पहले पुलिस जहां पहुंची वहां डाकू मिले ही नहीं तो एनकाउन्टर किससे होता। जब दूसरी जगह पहुंची तो वहां से भी डाकू जा चुके थे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अब तक की जांच से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की। इनको तो तुरन्त बरखास्त कर देना चाहिये था। इन कर्मचारियों की लापरवाही ही डकैती का कारण बना। तो क्या सरकार इनको बरखास्त करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य तो कानून की बड़ी जानकारी रखते हैं। तत्काल तो यही कार्यवाही हो सकती है कि उनको निलम्बित कर दिया जाय। जांच के बाद यदि दोषी सिद्ध हुये तो दोष के अनुसार दंड दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इस रिपोर्ट को देखने से मान्यवर, पता चला है कि 5-5 घरों में डाकू दाखिल हो गये और अपनी कार्यवाही करते रहे जिससे पूरा कस्बा जग गया। तो उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कम से कम गफलत में जरूर रही, भले शामिल न रही हो, पुलिस सतर्क अवश्य नहीं रही तो इसको देखते हुए क्या आप आदेश देने की क्या करेंगे कि 15 दिन में इसकी कार्यवाही पूरी कर दी जाये, ताकि दोषी कर्मचारियों को समुचित सजा दे दी जाए ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कार्यवाही की एक प्रोसीडिंग होती है तत्काल जो होना चाहिये वह कर दिया गया है। निलम्बित कर दिया गया उसके बाद की कुछ प्रोसीडिंग होती है, जांच होती है, आरोपित व्यक्ति को भी अपनी सफाई देने का अवसर दिया जाता है, तब जाकर अन्तिम निर्णय होता है, इसमें समय लगता है। अब इस सबको देखते हुये जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि डकैतों के कस्बे से फरार हो जाने के बाद, जब पुलिस सब इन्स्पेक्टर लोगों के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वे अभी दो मिनट पहले गये हैं और यदि आप पीछा करें तो सम्भव है आप उन्हें अवश्य पकड़ लें, किन्तु पुलिस ने जाने से इन्कार किया और उसने कहा कि हम पहले मौका मुआयना कर लें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य की सूचना को आधार मान कर जानकारी हासिल करने की कोशिश करूंगा।

श्री आशा राम (जिला मेरठ)—

एक बजे से 3 बजे तक जब डकैती पड़ती रही, उस समय सेकेंड अफसर, थर्ड सब इन्स्पेक्टर और हेड कांस्टेबिल कहां थे ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

श्री बलवीर सिंह—

क्या गृहमंत्री जी को यह जानकारी है कि यह तीनों घर जिनको लूटने की कोशिश की गई है उन गवाहों के हैं, जिन्होंने खेकड़े के एक पान वाले और पुलिस के बीच होने वाली मारपीट में गवाही देनी चाही थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्री महेन्द्र सिंह नामक सिपाही जो अवकाश पर था और डकैतों के साथ मुकाबले में मारा गया था, उसके परिवार को क्या सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है ? यदि नहीं, तो क्या देने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वह विभागीय कर्मचारी है, उसके अच्छे कार्य के लिये उसको पुरस्कृत करने के बारे में विचार किया जायेगा ।

उत्तर काशी जिले में परिवार नियोजन अभियान के संबंध में वक्तव्य

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

चालू वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन में तीव्रता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में विशाल परिवार कल्याण उत्सवों का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी जिले में विशाल शिविर 15 नवम्बर, 1972 से प्रारम्भ हुआ था और 15 जनवरी, 1973 को समाप्त कर दिया गया। इस जिले के लिये शिविर का लक्ष्य 468 नसबन्दी निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में उपलब्धि 753 हुई। पुरोला ब्लाक नेटवाड नामक स्थानपर एक शिविर का आयोजन किया गया था क्योंकि यह तहसील मुख्यालय से पैदल के रस्ते से 23 मील और मोटर के रास्ते से 200 मील दूर पड़ता है। इस स्थान पर शिविर 28 नवम्बर से प्रारम्भ हुआ था। दिनांक 29 नवम्बर, 1972 से 2 दिसम्बर, 1972 तक जिलाधिकारी स्वयं इस स्थान पर उपलब्ध रहे। मौसम खराब होने के बावजूद भी इस अवधि में 57 नसबन्दियां हुई। शिविर 10 दिसम्बर, 1972 तक चलाया गया और कुल मिलाकर 84 नसबन्दियां हुई जबकि तहसील मुख्यालय पर केवल 46 ही आपरेशन हुए। शिविर में जो व्यक्ति नसबन्दी कराने के लिये आते हैं उनको लाने व वापस पहुंचाने की सुविधा भी शासन द्वारा दी जाती है। जिलाधिकारी को नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों के साथ बल प्रयोग करने, उनको हथकड़ी लगाने, रस्सी से बांधने और पीटने या डर से जंगल में भाग जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उनके शिविर से चले जाने के बाद भी न तो जिला मुख्यालय और न ही तहसील मुख्यालय पर इस किस्म की कोई शिकायत सामने आयी। उत्तरकाशी जनपद में जनता ने बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है और अभियान की सफलता अभूतपूर्व रही। यह निराधार समाचार छपवा दिया गया और माननीय सदस्य को भी गलत सूचना दी है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष, जी, यह बयान से साफ है कि टार्गेट के ऊपर उपलब्धियां यहां हुई और जिला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। मेरी निश्चित सूचना है। मुझे कई लोग मिले और कहे चूंकि वहां पर यह कांड हुआ है। जबरदस्ती लोग लाये गये, मारपीट भी की गयी। वह एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। गरीब है। सीधे सादे लोग हैं। उनको डरा धमका कर जबरदस्ती यह कार्य करवाया गया। चूंकि जिला अधिकारी भी मौजूद थे। यह रिपोर्ट उन्हीं की है। इसलिये क्या अन्य किसी बाहर के वरिष्ठ अधिकारी से वाकयात की फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

अगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही होती तो मैं समझता हूं कि यह कार्य इतनी सफलता के साथ सम्पन्न नहीं होता। लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि लोगों ने इसमें बहुत उत्साह से भाग लिया। एक भी शिकायत, आज तक न जिलाधीश के पास, न तहसील हेडक्वार्टर में आई, न गवर्नमेंट के पास आई, न किसी प्रेस से आई। किसी अखबार में ऐसा निकल गया है, उस के सम्बन्ध में जिलाधीश ने लिखा है कि इस आन्दोलन को बदनाम करने के लिये उनको बराबर ऐसा प्रयास रहता है कि

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

आन्दोलन को अनपापुलर किया जाय, यह प्रयास उनकी तरफ से है, वरना माननीय सदस्य को भी यह गलत सूचना मिली है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मंत्री जी ने बयान किया कि उनको कोई सूचना इस तरह की नहीं मिली कि किसी के साथ ज्यादती की गयी है। लेकिन नगी जी निश्चित सूचना दे रहे हैं, उनका आधार समाचार पत्र की खबर नहीं है, बल्कि लोगों ने मिल कर उनसे कहा है, जो सूचना वह दे रहे है। उनकी इस सूचना को क्या शिकायत मानते ह या नहीं ? अगर मानते ह तो उनको इस बात के स्वीकार करन में क्या आपत्ति है कि जिला अधिकारी के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले की जांच करवा लें ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

वैसे हमारी तो वहां पर एजेंसी रहती ही है। उनसे हम जांच कराते हैं। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि यह कहा जाता है कि आपने अपने ही अधिकारी से जांच करा ली। इस लिये हमन दूसरी एजेंसी से भी जांच करायी। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य से भी ऐसी शिकायत नहीं की होगी। अखबार में ही प्रकाशित हो गया। उसके आधार पर माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न कर दिया गया है। वसे इस प्रकार की कोई घटना वहां पर हुई नहीं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

एक बात मुझे माननीय मंत्री जी से कहनी है, और बहुत साफ तौर से कहना चाहता । सिर्फ अखबार में ही छपा नहीं है। अखबार के बावजूद, मैं लक्ष्मण झूला छुट्टियों में गया हुआ था, वहां ऋषिकेश के जिम्मेदार, सरकारी अस्पताल के डाक्टर से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मारपीट करके ऋषिकेश के अन्दर अस्पताल में आपरेशन करवाय गय, पटवारियों को सर्टिफिकेट दिखाया, इस तरह से अपनी जान बचायी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जब नसबन्दी करवाया तो मारपीट का प्रश्न क्या होता है। नसबन्दी करवाने के लिये राजी से जो ऋषिकेश आ सकता है तो मारपीट काहे के लिये होती ?

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपको भी मान्यवर, जानकारी होगी जेलखाने में कोई कैदी अगर नसबन्दी करा ले तो उसको पहले छोड़ दिया जाय। नसबन्दी को प्रलोभनों और दूसरे तरीकों से चलाया जा रहा है। एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर के मुकाबले में अपना कार्य पूरा करना चाहता है। और यहां तक हुआ कि लेखपालों से कह दिया गया है कि गेंहू उन किसानों को तभी मिलेगा जब वह नसबन्दी करा लेगा और ऐसा भी हुआ है कि नसबन्दी न होने पर डाक्टर ने सारा पैसा ले लिया और ग्राम सेवकों तथा लेखपालों ने इसलिये कुछ नहीं कहा ताकि उनकी नौकरी बच जाय तो इन तथ्यों को देखते हुये क्या सरकार जांच करायेगी कि इस किस्म की बातें हो रही हैं और प्रलोभन दिये जा रहे ह ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय, सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक स्टेस देंगे ! तो हमको प्रसन्नता होगी कि इस तरह की चीज हमारे सामने आये और हम उसकी जांच करें। आम तौर से कुछ वर्ग ऐसा है जो परिवार बढ़ाने के पक्ष में है, घटाना चाहता ही नहीं है वहीं वर्ग ऐसा प्रचार करता है। स्पेसिफिक इंस्टेंसेज देन पर हम उस की जांच करा लेंगे।

श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)--

जिस समय शिविर चल रहा था उसी समय उत्तर काशी में यह खबर फैल गयी थी जिसके कारण काफी लोगों में डर फल गया था। इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में परिवार नियोजन के कार्य में बाधा पड़ेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करा लें, क्या सरकार इसके लिये तैयार है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

किसी प्रकार की कोई बाधा पड़ी ही नहीं क्योंकि हमलक्ष्य से आगे बढ़े हैं। केवल एक अखबार वाले ने जो किसी कारणवश नाराज हैं ऐसी खबर निकाल दी जिससे लोगों में उत्तेजना हुई वर्ना मैं बतलाऊं कि पिछले वर्ष से 600 प्रतिशत से अधिक वहां कार्य हुआ है। इसलिये यह सवाल नहीं उत्पन्न होता कि हमारे कार्य में बाधा पड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मन्त्री जी ने स्वीकार किया टार्गेट से ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। मुख्यालय पर 46 नसबन्दियां हुई और शिविर म 86। लेकिन जब ठाकुर साहब की ऐसी सूचना है तो फिर माननीय मन्त्री को आश्वासन देने में कोई कठिनाई है कि किसी दूसरी एजेंसी से वह इसकी जांच करा लेंगे।

चिकित्सा मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

परिवार नियोजन कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जहां पर इस प्रकार के शिविर लगते हैं, वहां हर प्रकार सुविधा दी जाती है और नसबन्दी कराने वालों को कुछ धनराशि भी दी जाती है और यह शासन के हित में है कि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा सख्ती न बरती जाय। माननीय सदस्य ने जो मारपीट की बात कही उसे सुन कर आश्चर्य होता है। हमारे कायकर्ता लोगों को समझा बुझा कर तथा पुरस्कार दे कर लोगों को शिविर में लाने का प्रयास करते हैं। मारपीट का इसमें प्रश्न कहीं उत्पन्न होता है तो बहुत गलत बात है। यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे कि अमुक-अमुक व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की कायवाही की गयी है तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

लिखने की क्या बात है जब सदन के अन्दर बात कही जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब माननीय मन्त्री आपसे कह रहे हैं तो लिख कर दे दीजियेगा।

अब हम आगे चलते हैं। यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने फरमाया कि लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। यह सदन जानना चाहता है कि हर नसबन्दी करने वाले को क्या पुरस्कार नकद रूप में दिया जाता है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, पुरस्कार उस रूप में नहीं दिया जाता है जिस रूप में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। नसबन्दी करने वाले लोगों को 48 घंटे वहीं पर रहना पड़ता है ताकि कोई कांप्लीकेशन न हों। इससे उन लोगों का थोड़ा काम का हरजा होता है। वह कम्पेंशेशन के रूप में 60 रुपया उनको दिया जाता है। कम्पलशन का सवाल नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो आदमी नसबन्दी करने के लिये किसी को राजी करता है उसको क्या पुरस्कार दिया जाता है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

ग्राम पत्थर गढ़वा, थाना कंधरापुर (आजमगढ़) में गुण्डों द्वारा एक हरिजन की हत्या के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 जनवरी, 1973 की रात में नहीं वरन् 11 व 12 जनवरी, 1973 की रात में ग्राम पथरपुरवा, (शांतिपुर) थाना कंधरा जिला आजमगढ़ के तीन हरिजनों के घरों में 10-12 अज्ञात डाकुओं द्वारा डकैती डाले जाने और सामान लूटे जाने की एक घटना की सूचना थाना कंधरापुर पर दिनांक 12 जनवरी, 1973 को पूर्वान्ह में प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट के अनुसार डाकुओं ने दुलारे हरिजन को गोली मार कर हत्या भी कर दी तथा उनकी गोली से एक अन्य व्यक्ति सिठठू हरिजन को भी चोटें आई। डाक्टरी जांच रिपोर्ट के अनुसार सिठठू को आई चोटें साधारण थीं।

इस घटना के सम्बन्ध में थाने पर धारा 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज करके विवचना प्रारम्भ की गई । अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं लगा है । क्षत्राधिकारी न घटनास्थल का निरीक्षण किया । घटनास्थल पर सुरक्षा हेतु व्यवस्था कर दी गई है ।

यह सही नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा तीन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया । तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात अंकित नहीं है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या मानतीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्थरगढ़वा गांव में आज भी यही आशंका है कि वहां पर डकती हो जायेगी और लूट मार की जा सकती है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है । व्यवस्था के दृष्टिकोण से वहां पर फोर्स लगा दी गई है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो डकैती पड़ी है उसमें जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गई हों उसमें उन्होंन क्या-क्या क्षति कितने की दिखाई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उसमें धोती मरदानी लाल किनारा नाखूनी इस्तेमाली, साड़ी गुलाबी रंग किनारे पर सुनहले फूल रेशमी इस्तेमाली, साड़ी रंग आसमानी किनारा सफेद सूती इस्तमाली, कूर्ता के तीन तीन गज के टुकड एक सफेद दूसरे ललछऊ चद्दर गुलाबी रंग की फूलदार इस्तेमाली, ब्लाउज गुलाबी रंग हाथ व गर्दन पर फूल बने इस्तेमाली और हसुली चांदी की कटइला गड़न इस्तेमाली वजन एक पाव भर ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, कितने की क्षति हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इतने डिटेल की सूचना दे रहा हूं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनके घर पर डकैती पड़ी है उन्हें एफ० आई० आर० में मुल्जिमात को नामजद किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, कोई नामजद रिपोर्ट उन्होंने नहीं की है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायगे कि इसमें एक हरिजन मारा गया और दूसरे को चोट आई है । तो जिसकों चोट आई है उसका बयान भी हुआ है कि डकैती के क्या कारण थे । उसमें क्या लिखा गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डकैती हुई लेकिन डकैती के कारणों पर उसने कोई प्रकाश डाला नहीं है । उसे छर्रे की चोट आयी और उसकी डाक्टरी रिपोर्ट हुई ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उसका बयान क्या है । बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसका बयान तो इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, ग्राम खेकड़ा में जब डकैती हुई तो डाकुओं को एक घर से सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने 345 घरों में डकैती डाली उसी तरह से इस सरकार के दुलरुवा जो हरिजन हैं उनके यहां भी डाकू जब डकैती डालने के लिये गये तो उनको एक घर से सन्तोष नहीं हुआ और यह इस बात का द्योतक है कि माननीय मंत्री जी के राज्य में इतनी गरीबी बढ़ गयी है कि चोरों को भी एक घर से पूरा नहीं पड़ता है !

(हंसी)

(मंत्री जी को उत्तर के लिये पुकारा नहीं गया ।)

श्री विश्वनाथ कपूर—

माननीय मंत्री जी ने जो अभी क्षति की सूची पढ़ी उससे मालूम हुआ कि 3—4 सौ रुपये से अधिक की क्षति नहीं हुई और तीन घरों में डाका पड़ा है और मेरी निश्चित सूचना है कि उन हरिजनों के पास कोई खेती-बारी नहीं है केवल मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं, वहां डाकू डकैती करने के खयाल से नहीं गये थे बल्कि हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करने के खयाल से गये थे, इस तथ्य की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

किसी उच्च अधिकारी से अवश्य जांच करा लूंगा । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सिट्ठू हरिजन का बयान आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या आपको यह जानकारी है कि उसने अपने बयान में यह कहा है कि वह डकैती के रूप में नहीं थी बल्कि गुंडे हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करने की नीयत से डाके डाले थे ? यदि हां, तो क्या आप उस तथ्य की भी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरा प्रश्न है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आयी हैं लेकिन असरकारी दिवस होने की वजह से कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आप सुन तो लें । मैंने पहले 51 में दिया था तो आपने अल्पसूचित प्रश्न करने के लिये कहा था ताकि वह इसी सत्र में चला आवे लेकिन अब यह सत्र भी खतम हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको कार्यवाही के लिये हम भेज सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकार ने जांच करायी और जांच रिपोर्ट आ गयी है । तो उस पर अमल भी किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बार-बार आपको समझा रहा हूं कि जो नियम 56 की सूचना होती है, वह असरकारी दिवस के दिन, जो कि आपका दिन होता है, सरकारी काम को रोकने का सवाल नहीं उठता । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकारी काम भी इसमें डाल दिया गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल))—

मैंने भी एक नियम 56 का दिया है कि मंडी अधिनियम लागू होने के कारण फर्रुखाबाद में आलू से लदी ढाई हजार गाड़ियों का निस्तारण न होने से, उनमें दाग वगैरह लग जाने से खराब होने की आशंका है । अगर आपने उसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं स्वीकार किया है तो उसे उचित कार्यवाही के लिये तो सरकार के पास भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, भेज देता हूं ।

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972†

*श्री रुपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछडा वर्ग उत्थान विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय। मान्यवर, आजादी के 25 साल के बाद भी इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे राज्याधीन सेवाओं में पिछडे वर्ग के नागरिको के लिये संरक्षण हो, सेवाओं में और टैक्निकल शिक्षा में भी पहली बार यह विधेयक सदन के सम्मुख आया है और मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करता हू कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके इसका स्वीकार करेंगे क्यों कि इस सिद्धांत को करीब-करीब सभी मानते हैं मान्यवर, इस विधेयक से राष्ट्र और व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी और राष्ट्र का उत्थान होगा और समतायुक्त समाज की स्थापना होगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने देखा कि सन् 1953 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340(1) के आधीन एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था और उसकी रपट भी सन् 1955 में आ गयी। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कोई काम उसकी सिफारिशों को देखते हुए नहीं उठाया और न कोई शासनादेश ही जारी किया। यह जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं इनकी सूची में सरकार ने जो माना है वह 22 जनवरी को उसी सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय हरिजन एवं सहायक मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था, उसमें स्वीकार किया है। उन्होंने उस उत्तर में कहा है:—"उत्तर प्रदेश में कुल 66 जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गयी है और उनकी जनसंख्या राज्य की कुल जन संख्या का लगभग 20 प्रतिशत है। अन्य पिछड़े हुए वर्गों में 37 हिन्दू जातियां तथा 21 मुसलिम जातियां सम्मिलित हैं, जिनकी सूची संलग्न है।"

मान्यवर, जिन जातियों को पिछड़े वर्ग में सरकार ने खुद माना है उनके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है। राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिये कम से कम यह रखना चाहिये था:—

श्रेणी 1 (प्रथम)	27 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	30 प्रतिशत
श्रेणी 3,4 (तृतीय या चतुर्थ	30 प्रतिशत
और हरिजन वर्ग के लिये:—	
श्रेणी 1 (प्रथम)	21 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	19 प्रतिशत
श्रेणी 3,4 (तृतीय या चतुर्थ)	19 प्रतिशत

अगर हम देख लेंगे कि राज्याधीन सेवाओं में इनका रेप्रिजेंटेशन पर्याप्त हो गया है तब मान्यवर, इस अनुपात को रद्द किया जा सकता था लेकिन जब तक इनकी संख्या इनएडिकेट हैं तब तक यह इस राज्य के लिये कानूनन और मारली उचित है कि वह इस पर कानून बनावे। आर्टिकिल 16(4) की मान्यता भी यह है:—

"16 (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

---

†22 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

इसी तरह से आर्टिकिल 15(4) में भी यह प्राविधान है कि जो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिये टेकनिकल शिक्षा संस्थाओं में विशेष सुविधायें प्रदान की जायेंगी मगर कोई ऐसा प्राविधान राज्य सरकार ने नहीं किया है जब कि कार्यकारी आदेश से ऐसे आदेश वह दे सकती थी लेकिन बावजूद हमारे सवालों के सरकार ने कुछ नहीं किया है । माननीय जायसवाल जी ने एक संकल्प भी दिया था उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि इस समय यह अव्यावहारिक है इस समय राजनीतिक मामला है, पलटन का मामला है, इस पर इस समय कुछ नहीं कर सकते लेकिन इसकी भावनाओं का आदर करते हैं । अब मैंने कानूनी शक्ल में इसका एक बिल लाकर पेश कर दिया है तो मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि वे अब इसको पुराने आश्वासनों को देखते हुए स्वीकार कर लें, क्योंकि इसका औचित्य इसी बिना पर है कि ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं । कांस्टीट्यूशन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह तय किया था कि हिन्दुस्तान भर में जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी छानबीन करायी जाय कि कितने लोग ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाया जावे अब जमाना सीलिंग का आया है, हम भूमि पर, सम्पत्ति पर, धन पर सब पर सीलिंग लाना चाहते हैं उसी तरह से इनके रेप्रेजेंटेशन पर सीलिंग लाइये । जिनकी आबादी आज 6 प्रतिशत है उनका प्रतिशत 88 सरकारी नौकरियों में है लेकिन जो लोग 94 फीसदी हैं पिछड़ी, हरिजन और गरीब किसान लोगों के बेटे चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान उनका रिप्रेजेंटेशन 2 प्रतिशत है । हमने इसी विधेयक के उद्देश्य और कारणों में उसका बंटवारा दिखाने की कोशिश की है और वह भी जो आंकड़े हमको सरकार की ओर से दिये गये हैं उनके आधार पर हैं:—

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में हरिजन 1946 में 16, 1955 में 70 और 1960 में 194 थे । पिछड़ी जाति के 1946 में 34, 1955 में 25 और 1960 में 67 थे अग्रणी जातियों के 1946 में 1251, 1955 में 4,555 और 1960 में 8500 हो गये मुसलमान, ईसाई तथा अंग्रेज आदि 1946 में 1961, 1955 में 630 और 1960 में कुल 858 थे । इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजों के जमाने से कोई बदलाव नहीं हुआ । यह स्टेट्स जो मेनटेन रखते हैं । यह समाजवाद है इसलिये इस सिद्धांत को मान कर इसको अधिनियम के रूप में सदन स्वीकार करे और इसको पारित करे ।

तामिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा पंजाब राज्यों ने इस तरह का अपने यहां कानून बना दिया है । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने अपना निर्णय देते हुए कहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिये आरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है । इससे राष्ट्र का उत्थान होगा और राष्ट्रीयता बढ़ेगी । मैं सुप्रीम कोर्ट केसेज की पाक्षिक पुस्तक 15 अगस्त, 71 के पृष्ठ 302 पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि—

"The Court there observed that in adjusting the claim of both the weaker and stronger elements the reservation for the former should ordinarily be less than 50 per cent, although no inflexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevalent circumstances in each case."

मैंने पहले एक बिल दिया था लेकिन अध्यक्ष जी ने एडवोकेट जनरल की राय लेकर कि आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिये, उसको खारिज कर दिया था । अब हमने इस रूलिंग

को मान कर 49 प्रतिशत का प्राविधान किया है । एडवोकेट जनरल ने इस रूलिंग के निचले हिस्से को माननीय अध्यक्ष से छिपा लिया था। नीचे वाले हिस्से में है कि रिजरवेशन 50 प्रतिशत से भी आबादी यदि ज्यादा हो तो उसके आधार पर हो सकता है । इस रूलिंग को मानते हुए जो हमारा पुराना बिल अस्वीकार किया गया था, हमने अब केवल 49 प्रतिशत ही चाहा है । इसमें जो हरिजनों के कोटे का प्राविधान है वह भी पूरा नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने 49 प्रतिशत ही क्यों रखा है 60 प्रतिशत क्यों नहीं रखा है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, वही मैंने कहा और मैं आपकी रूलिंग को पढ़े दे रहा हूं । 7 दिसम्बर, 1972 को विधान सभा के सचिव ने मेरे पास सूचना भेजी है । वह इस प्रकार है कि "आपके 26 अक्तूबर, 1972 के पत्र के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के हेतु अस्थायी आरक्षण विधेयक, 1972 जो माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार महाधिवक्ता की राय के लिये भेजा गया था, महाधिवक्ता की राय के अनुसार उक्त विधेयक में 75 प्रतिशत का आरक्षण मांगा गया है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार विशेष आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिये । इसके अतिरिक्त विधेयक में आरक्षण जातियों के आधार पर मांगा गया है न कि पिछड़े वर्ग के आधार पर । इस प्रकार उक्त विधेयक स्पष्टतया असंवैधानिक है । ऐसी परिस्थिति में उक्त विधेयक वर्तमान रूप में सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।" इसलिये इसे अस्वीकार किया गया था । एडवोकेट जनरल ने इस रूलिंग के दूसरे हिस्से को छिपा लिया था । आबादी के लिहाज से यदि आबादी ज्यादा हो तो आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता था । आल इंडिया बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन ने रिकमनडेशन दी है कि इनका रिजर्वेशन कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिये । लेकिन आखिर में बहुमत की राय लेकर यह किया कि इस प्रकार का रिजर्वेशन क्लास वन में 25 प्रतिशत क्लास 2 में सवा 33 प्रतिशत और क्लास 3 व 4 में 40 प्रतिशत किया जाय। इस तरह से अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार भी हमारी मांग जायज है और आप इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर हमारे इस विधेयक को स्वीकृत दें । जहां तक आबादी का सवाल है इस प्रदेश की सन् 71 की जनगणना के अनुसार इन की आबादी 8·83 लाख हो गई, जब कि यह सन् 51 में 6·32 लाख थी । और इसमें से केवल 2·84 लाख ही काम पर ह और बकिया लोग बेकार हैं । इस तरह से 68 प्रतिशत लोग बेकार हैं, गरीब हैं और अशिक्षित हैं । इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । हम चाहते हैं कि उनके लिये भी इंजीनियरिंग कालेजेज में, मेडिकल कालेजेज में और टेक्नीकल कालेजेज में शिक्षा की व्यवस्था हो । इसीके लिये मैंने विधेयक के खंड 5 को संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार रखा है और उसके अनुसार सर्विसेज 49 प्रतिशत ताकि वह भी हर तरह की ट्रेनिंग और पढ़ाई कर के योग्य बन सके । यदि आप उनको हर प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे, उन को योग्य नहीं बनायेंगे तब तक राष्ट्र अपूर्ण और निर्बल रहेगा और पूर्ण रूप से राष्ट्र का निर्माण न हो सकेगा । इसलिये यह आवश्यक है कि उनको उचित स्थान शिक्षा संस्थाओं में अगर सामाजिक क्षेत्रों में मिले और उन का आरक्षण पिछड़े वर्ग के आधार पर हर जगह किया जाय । और यह भी जरूरी है कि हर वित्तीय वर्ष में एक सालाना रिपोर्ट सरकार दे और यह चीज हमने इस विधेयक के खंड 6 में रखी है ।

यह छोटा सा विधेयक केवल समाजवादी ही नहीं बल्कि यह सभी सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप है और इस को स्वीकार करना सदन के लिये श्रेयस्कर होगा और यहां की मर्यादा और गरिमा के मुताबिक एक अग्रगामी कदम होगा । करीब 6 करोड़ जनता के लिये यह करना आवश्यक है और आप इस पर अपनी सील मोहर लगायें क्योंकि हम ने एक गरीब

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

और पिछड़े वर्ग के लिये यह कानून बनाया है । यह एक क्रांतिकारी कदम है और मेरा सदन से अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव दें और इस पर अपनी सीलमोहर लगायें और इसे स्वीकार करें ताकि यह कानून है की शक्ल में आ सके ।

इसका कितना औचित्य है इसके लिये हम आप की आज्ञा से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करना चाहते हैं कि यह तो संविधान की मनशा को पूरा करने का कार्य है, यह कर्तव्य है कि रिजर्वेशन किया जाय और तामिलनाड और मैसूर में जो रिट हुआ उस के खिलाफ जो रूलिंग है वह मैं आप की आज्ञा से पढ़े देता हूं.....

(श्री राज मंगल पांडेय के कुछ कहने पर)

आपही की मेहरबानी से आज हिन्दुस्तान में ऐसे 84 प्रतिशत आर्थोडाक्स हिन्दू हैं जो छुआछूत और ऊंचनीच, जातिपांति को कायम किये हैं । इससे पांडेय जी न भड़कें और इस बड़ी खाई को खत्म होने दें । इस विधेयक से पिछड़ा वर्ग उठेगा और समान अवसर सब को मिलेंगे, समाज में समता आयेगी । आप उनको शैक्षिक और आर्थिक ढंग से ऊपर उठने दें । पांडेय जी जहां आप का क्षेत्र है, वहां भी 90 प्रतिशत लोग गरीब होंगे । आप इस पर जरा गम्भीरता से विचार कीजिये और मैं तो चाहूंगा कि आप इस विधेयक को सहर्ष स्वीकार करके अपने भाषण में ही कह दीजिये कि हम मानते हैं कि इस पर मोहर ला जानी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि इस पर सब लोग गम्भीरता से विचार करें और स्वीकार कर लें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में अन्तर निहित सिद्धांत और भावनाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । श्रीमन् जी, हमारे प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 25 वर्ष स्वराज्य होने के बाद भी इस प्रदेश में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है, अपने अधिकारों से वंचित है और उनके साथ न्यायपूर्ण बरताव नहीं किया जाता है।

श्रीमान् जी, किसी भी देश में प्रजातंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि उस देश और प्रदेश के हर वर्ग का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व प्रशासन में हो तब प्रजातंत्र चलता है और ऐसा हो कि प्रशासन में थोड़ी सी आबादी का हिस्सा हो और जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा उससे वंचित कर दिया जाय तो जनतंत्र का सुचारूरूप से चलना संभव नहीं होगा । आज हमारे देश में जनतंत्र स्थापित है, तब भी जनतंत्र को सफलतापूवक चलाये जाने की जो शर्तें जरूरी हैं, उनको पूरा करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है । यह बात सही है कि समाज में जो सबसे दबा हुआ और कुचला हुआ हिस्सा है, उसको सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिये कुछ आरक्षण कर रखा है 18 प्रतिशत, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाता है । 25 वर्ष में भी मुश्किल से 2–3 फीसदी उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में अभी तक हो पाया होगा । कारण यह है कि इस प्रदेश के रहन वालों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिये, वह नहीं हुआ है । बात तो यह है कि 25 वर्ष में जातीयता का विषय आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हो गया है । जो कटुता विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न वर्गों के बीच में गुलामी के जमाने में नहीं थी, वह आज सब चीजें हमारे समाज में मौजूद हैं और रोज बरोज जातीयता का विष बढ़ता जा रहा है यह विष न बढे, इसके लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है । यह एक ऐसी चीज है कि जो सब के लिये बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है, और इसके लिये सरकार का भी और वे लोग जो सरकार में नहीं हैं, उनका भी परम कर्त्तव्य है कि वे प्रयास करें जिससे यह जातीयता का विष न बढ़ने पाये और राष्ट्रीयता की भावना बढ़े । आप जब मसलों पर विचार करें तो जातीयता अपना प्रभाव न डालने पाये लेकिन जातीयता का विषय बढ़ रहा है और यही कारण है कि अनुसूचित

जातियों को संरक्षण व्यवस्था होते हुए भी उनके साथ अब भी संरक्षण को पूरा करने के लिये जैसा बरताव करने की अपेक्षा की जाती है, वैसा बरताव नहीं हो पा रहा है। आज तो हम यहां भी देखते हैं और रोज अखबारों में भी खबर निकलती रहती है कि जिले-जिले में उनके साथ किस तरह का बरताव होता है और किस तरह से वे पीटे जाते हैं और सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है । ऐसी स्थिति बहुत ही दुःखपूर्ण है ।

श्रीमान जी, हमारी सरकार की यह घोषणा है कि वह गरीब और अनुसूचित जातियों के साथ खास तौर से हमदर्दी करना चाहती है और चाहती है कि जो समाज का आगे का हिस्सा है, उसके समकक्ष यह जल्दी आ जायं लेकिन यह बात केवल कहने से पूरी नहीं होती है। यह तो अमल में लाने से ही पूरी होती है । हम कहते हैं कि अगर सचमुच सरकार यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी वे जातियां अपना न्यायपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकें तो केवल यही नहीं व्यवस्था होनी चाहिये थी कि जो संरक्षण उनके लिये मौजूद है वहीं पूरे हों परन्तु जिन जगहों पर उनके लिये संरक्षण नहीं है वहां पर भी उनको संरक्षण दिये जायं जिससे कि वे दूसरों को समकक्ष शीघ्र आ जायं । बहुत सी प्राइवेट रिकग्नाइज्ड संस्थायें शैक्षिक संस्थायें हैं । उनकी संख्या कहीं ज्यादा है । अगर सरकार सचमुच न्याय करना चाहती है तो वहां पर उनको संरक्षण क्यों नहीं दिया जाता । इससे उनके आगे बढ़ने की गुंजाइश हो जायेगी । फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत सी फैक्टरियां हैं । प्राइवेट फैक्टरीज हैं उनमें उनको संरक्षण नहीं है । वहां पर ऐसी सेवाओं के लिये रिजरवेशन कर देना चाहिये जहां टेक्नीकल नालेज की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अलावा सरकार बहुत से लाइसेंस और परमिट दिया करती है । जिसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है । अगर सरकार सचमुच चाहती है तो संरक्षण क्यों नहीं करती । यह अमल में आना चाहिये, बिना अमल के पूरा नहीं होने वाला है । जिन हरिजन भाइयों के लिये रिजर्वेशन है जब उन्हीं के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उनके साथ जिनके लिये रिजरवेशन नहीं है कैसे न्याय हो सकता है । यह सम्भव नहीं है श्रीमान् जी, इस प्रदेश में करीब 22 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की संख्या है । और पचपन प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या है । इस तरह से 77–78 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो पिछड़ी हुई है जिनको समाज में बराबर का स्थान नहीं मिलता है, जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में बिलकुल शून्य के समान है जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ होती है और यह बहुत दिनों से इस बात की मांग हो रही थी कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भी सरकारी सेवाओं में संरक्षण दिया जाय। लेकिन सरकारी पक्ष से हमेशा यह बात कही जाती रही है कि ऐसा कर देने से पृथकता की भावना बढ़ेगी । ऐसा करने की जरूरत नहीं है । मेरा विचार है कि सरकार इसको ध्यान में रक्खेगी । लेकिन इतने वर्ष हो गये हैं सरकार की तरफ से न्याय नहीं हो रहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिये लोग भी अपनी संख्या के अनरूप कम से कम उन सेवाओं में जिनके लिये कोई मुकाबिले की परीक्षा नहीं होती पहुंच जाय लकिन यह कहीं देखन को नहीं मिलता है। सरकार की अपनी घोषित नीति भी है । सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अपनी संख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में हो सकें जहां मुकाबिले की परीक्षा नहीं होती । विभिन्न विभागों में यह सरकार की घोषित नीति मौजूद है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किसी एक विभाग में भी इस नीति के अनुरूप कार्य हुआ है ? बल्कि यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को न्याय भी नहीं मिल पाता जो कि उन्हें मिलना चाहिये । अधिक सुविधायें देने की बात तो दूर रही। अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग जो ज्यादा अच्छी योग्यता रखते हैं नहीं लिये जाते और जो उन्नतिशील वर्ग के लोग हैं वे कम योग्यता रखने पर भी ले लिये जाते हैं । सरकार के यह कहने से कि यह पृथकता की भावना पैदा करेगी कुछ लोगों ने संतोष कर लिया कि सरकार का रवैया देखा जाय लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से

[श्री जयराम वर्मा]

पिछड़े हुए हैं तो देश और प्रदेश के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा पिछड़ा और उपेक्षित न रहे। अगर यह वर्ग पिछड़ा रहता है तो देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता ।

सन् 53 में एक आयोग नियुक्त किया गया और उसने 30 मार्च, 55 को अपनी रिपोर्ट दी। उसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं उस आयोग ने सिफारिश की कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाने के लिये सरकार को क्या करना चाहिये । उसने सिफारिश की कि प्रथम श्रेणी की सेवाओं में उनके लिये 25 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जायं। इसी तरह से टेक्निकल शिक्षा में भी स्थान सुरक्षित करने की सिफारिश आयोग ने की। लेकिन दुख की बात है कि उस पर आजतक पार्लियामेंट में बहस नहीं हो पायी। एक बार बहस शुरू हुई लेकिन वह भी अधूरी रह गयी। आज तक उस रिपोर्ट पर विचार पूरा नहीं हो पाया, उस रिपोर्ट को लागू करने की बात दूर रही। यह केंद्रीय सरकार की बात है कि उसको इस पर विचार करना चाहिये था। लेकिन केवल केंद्रीय सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। संविधान के आर्टिकिल 16 के खंड 4 में व्यवस्था है कि राज्य सरकार खुद इस काम को कर सकती है । अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय किया जाय, उन्हें विशेष सुविधायें दी जायं जिससे कि वह देश और प्रदेश की सही मायनों में सेवा कर सकें । लेकिन राज्य सरकार का उधर ध्यान नहीं गया । कई राज्य सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार किया है। राज्य सरकार के लिये जरूरी नहीं था कि केंद्रीय सरकार की ही प्रतीक्षा करती। बल्कि अपने आप इसकी ओर कदम उठाना चाहिये और व्यवस्था करनी चाहिये थी लेकिन जैसा कि मैंने कहा केंद्रीय सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करना चाहती, प्रांतीय सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करना चाहती है बल्कि जो सुविधायें अन्य पिछड़े वर्गों को दी गई थीं उनको भी राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। डा0 सम्पूर्णानन्द के जमाने में यह व्यवस्था हो गई थी कि यहां पर मेडीकल कालेजेज में जो सिलेक्शन होते हैं, उन सिलेक्शनों में कुछ रिजरवेशन अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये संयुक्त रूप से कर दिये गये थे । इस कारण अनुसूचित जाति के लोग उसमें अगर नहीं आते थे तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को वह स्थान मिल जाते थे लेकिन सरकार ने उस व्यवस्था को वापस कर दूसरी व्यवस्था कर दी । बहुत से लोगों के लिये अब रिजरवेशन कर दिया गया है लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये रिजरवेशन समाप्त कर दिया गया ।

इसके अलावा टेक्निकल एजूकेशन में डा0 सम्पूर्णानन्द के जमाने में व्यवस्था यह थी कि पोलीटेक्निक में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलाकर 25 प्रतिशत रिजरवेशन हो और यदि अनुसूचित जाति के लोग कम जावेंगे तो वह स्थान अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल जायेंगे । 25 प्रतिशत रिजर्वेशन के आधार पर और लगभग 10 प्रतिशत योग्यता के आधार पर स्थान मिल जाते थे और इस तरह से 45 प्रतिशत स्थान उनको मिल जाते थे । लेकिन इस व्यवस्था को भी सरकार ने वापस कर लिया है। तो न्याय के लिये कौन कहे जो सुविधायें पहले से थीं उनको भी वापस कर लिया है । इसके अलावा कुछ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें थीं । पुलिस विभाग में आयु के बारे में कुछ सुविधा दी गई थी लेकिन वह भी सुविधा वापस कर ली है। तो जो सुविधायें थीं वह बराबर वापस होती गई हैं और जो सुविधायें देना है उनके बारे में सोचना तो दूर की बात है सरकार ने बराबर यह कहा कि इस तरह के रिजरवेशन की जरूरत नहीं है । सरकार खुद इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि शिकायत का मौका न रहे। इसके विपरीत कार्यवाही हुई और जो सुविधायें थीं, उनको भी वापस कर लिया और बार-बार कहे जाने पर भी कार्यवाही

नहीं की गई। तो श्रीमन् जी अन्य पिछड़े वर्ग के लिये गुन्जाइश कहां रह गई है? वह किस तरह से सरकार के काम से सन्तुष्ट हो सकें। जैसा कि मैंने कहा कि कोई देश जहां 77,78 प्रतिशत जन संख्या दबी हुई हो, कैसे तेजी से विकसित हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर इस देश का सचमुच विकास करना है, अगर हम यह चाहते हैं कि इस देश की आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो, तो निश्चय ही हमारे देश की विभिन्न जातियों के बीच जो अन्तर है, वह मिटाना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि देश और प्रदेश की पिछड़ी हुई जनसंख्या, जो बहुत बड़ी है, उसको उचित सुविधायें दी जायं। उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाय।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात कहना गलत है कि जो उन्नत वर्ग के लोग हैं उनमें कुछ समझदारी ज्यादा होती है। जो उन्नतिशील वर्ग है, जितनी प्रतिशत प्रतिभा उनके बीच मिलेगी, करीब-करीब उतने प्रतिशत प्रतिभा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में मिलेगी, अगर यह खयाल नहीं है, तो वह सही नहीं है। जहां कहीं भी अनुसूचित जाति के लोगों को मौका मिला है, उन्होंने अपनी योग्यता को दिखाकर साबित कर दिया है कि उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। जब 78 प्रतिशत लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसके माने हैं कि 78 प्रतिशत लोगों के बीच जो योग्यता है, प्रतिभा है, देश की सेवा के लिये उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

दूसरे शब्दों में यदि कहा जाय कि अगर देश में बहुत सी खानें हों जिनमें अच्छे कीमती पत्थर, मोती-जवाहर निकलते हों, उन खानों में सिर्फ 20/22 को खोल रखा है और 78 प्रतिशत को बन्द कर रखा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मोती-जवाहर नहीं निकालना चाहते हैं 78 प्रतिशत खानों से कि जिसे देश की तरक्की हो सके और इस देश के लोग आगे बढ़ सकें। इस राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो पिछड़े हैं, जो दबे हुए हैं, उन्हें आगे लाया जाय। इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। डा0 सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि सबसे पहले इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये कि जिससे देश का जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वह न हो। इसलिये जो सरकार का काम रहा है, जिस जिम्मेदारी को सरकार ने पूरा नहीं किया है उसको पूरा करने के लिये जो एक विधेयक लाया गया है, उस विधेयक को न स्वीकार करने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इसमें वही बात कही गयी है, जिसकी जरूरत है इसमें यही कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में संरक्षण दिया जाय और जो हमारे अनुसूचित भाई है उनको और आगे बढ़ाया जाय कि जिससे अगर सचमुच नीयत सेवा करने की आप की है, तो उसकी पूर्ति हो सके और वे लोग जल्दी से जल्दी दूसरों के समकक्ष आ सकें। ऐसी व्यवस्था जरूरी है। इसलिये जो व्यवस्था की मांग की गयी है उसको पूरे सदन का समर्थन मिलना ही चाहिये और अगर उधर से इस बात के लिये इन्कार होता है और समर्थन नहीं होता, तो इसका माने यही होगा कि उस पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि 78 प्रतिशत जो इस देश के दबे हुये लोग हैं जिनको सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा मिले कि उनको अब भी दबाये रखा जाय और इस देश की आजादी आधार पर जो तरक्की हो सकती है, उसको रोके रखा जाय। इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं उधर के साथियों से कि इसके अन्दर जो भावना अन्तरनिहित है, उसको सबका समर्थन मिलना चाहिये और सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि इस तरह की व्यवस्था जल्द से जल्द इस प्रदेश के हित में की जाय।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी मौका दिया जांय। हम लोग न पिछड़ी जाति में हैं न अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन गरीब हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप गरीब होते तो उसके ऊपर कोई विधेयक लाये होते।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जिस भावना का दर्शन किया गया है, उस भावना से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस संबंध में मायन्वर, मैं यह सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के संबंध में रिजर्वेशन के जितने भी आदेश हैं, अभी तक नौकरियों में संरक्षण के सम्बन्ध में, वे कार्यान्वित हों। यह 25वीं जयन्ती मनाई जा रही है और सरकार की कोशिश है कि हरिजनों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें ी जायं। इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि सरकार जितने भी शासनादेश हुए हैं उनका पालन करे। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मैं केवल 2 बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक शासनादेश सन् 1964 में हुआ था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के लोगों को, जहां पर उनका संरक्षण पूरा नहीं होगा, 45 फीसदी रखा जायगा और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में, जहां उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, 25 फीसदी रखा जाए। यह शासनादेश सन् 1964 से चला आ रहा है और एस0वी0डी0की सरकार ने भी उस पर बड़ा भारी जोर दिया था, मगर वह कागजी जी0 ओ0 ही बन कर रह गया और आज तक उसका पालन नहीं हुआ। विशेषकर यही कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में भी, जिनके लिए किसी विशेष शक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रहती है, अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। उसका कारण यह है कि अफसरों की पत्नियां अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पसन्द नहीं करती हैं क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी घर में खाना बनाते हैं, बरतन भी मांजते हैं और दूसरे काम तो करते ही हैं। वे सोचती हैं कहीं पानी छू न जाय। खाना बनाने का काम वे कर नहीं सकते इसलिए उन्हें किसी न किसी बहाने निकाल दिया जाता है। इस तरह की चीजें हो रही हैं।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान एक दूसरे आदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं। सन् 1971 में उत्तर प्रदेश सरकार की कबिनट ने यह निर्णय लिया कि प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जायगा, मगर वह भी कागजों में ही पड़ा हुआ है क्योंकि कुछ आफिसर, जो हरिजन विरोधी तत्व हैं, यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि वह निर्णय लागू ही न हो। इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पहले यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि केन्द्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकारों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या नियम है और जब तक यह जानकारी न हो जाय तब तक इसको उलट दिया जाय। तो इस तरह से अडंगे अटकाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शासनादेश से तो अधिनियम बड़ा होता है। इस अधिनियम के बारे में कहें।

श्री माता प्रसाद—

अधिनियम के होते हुए बहुत से कानून हैं जिनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। भूमिहीनों को जो हरिजन हैं जमीन देने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने अधिनियम बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सहूलियतों के होने के बावजूद भी मौके पर अगर आप देखें तो उनको भूमि नहीं मिल पा रही है। आज आबादी के बारे में भी सरकार का यह प्रयास है कि जिन लोगों के पास आबादी की जमीन नहीं है उन्हें बसने के लिये भूमि दी जाये, लेकिन, उन्हें मान्यवर, जमीन नहीं मिल रही है। केवल कागजों में जमीन दी

जा रही है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मौके पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अभी एक रोज मने कहा था कि नैनीताल जिले में 52,000 एकड़ भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है और इसी तरह से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में 42,000 एकड़ भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है जोकि ग्राम समाज की जमीन कहीं जा सकती है। मिर्जापुर में जहां आदिवासी जाति के लोग 80 प्रतिशत हैं और उनकी झोपड़ियां मौके पर हैं लेकिन कागजों में किसी की काश्त किसी का फार्म दर्ज है। 80 प्रतिशत आदिवासियों को मिर्जापुर में रहने के लिए जमीन आज भी नहीं है जबकि सरकार उनको जमीन देने की व्यवस्था कर रही है। तो मान्यवर, चाहे हरिजनों के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में हों या उनको जमीन देने के सम्बन्ध में हों, सरकारी आदेश का कहीं पालन नहीं हो रहा है। इस का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब ये जितने भी अधिकारी हैं, बड़े-बड़े, जो सुपरिंटेंडेंट हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं ये अगर गवर्नमेंट के शासनादेशों या कानूनों का पालन न करें, तो उनकी बैड-इंट्री दी जानी चाहिए और जो लोग, जिलाधीश, कमिश्नर या दूसरे बड़े अधिकारी जो अपने विभागों के कार्यों में रिजर्वेशन को पूरा करें या सरकारी आदेशों का पालन करें उनको कुछ न कुछ पुरस्कार, गुड एन्ट्री या प्रमोशन के अवसर दिये जान चाहिए। अगर इस तरह की चीजें की जाती हैं तब तो ठीक होगा, वरना चाहे कितने ही कानून बनायें, कितने ही शासनादेश हों उससे कोई हरिजनों को या बैकवर्ड लोगों को फायदा नहीं होगा।

एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिलों में हरिजन कल्याण समितियां बनी हुई हैं। वे इतनी बड़ी हैं कि जितने भी एम0एल0ए0 और एम0 पी0 और अन्य लोग हैं तो उसकी बठक में सभी लोग ठीक से उपस्थित नहीं होते हैं। इस वजह से सुचारू रूप से काम नहीं होता है। पहले ऐसा था कि अनुसूचित जनजाति के या और गरीब वर्ग के लोग उसमें मेम्बर रहते थे तो उस वक्त ठीक से काम चलता था।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ ज्यादा शोर हो रहा है, सुनाई नहीं देता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

सरकार की ये आलोचना कर रहे हैं तो सरकार को छोड़ दें, काहे को वहां हैं?

श्री माता प्रसाद--

यह सुझाव है, सरकार को पालन करने के लिये कह रहा हूं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिलों में जो हरिजन कल्याण समितियां बनी हैं उनको छोटा किया जाय, 8-7 आदिमियों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी उसका काम सुचारुरूप से चल सकता है।

एक चीज यादव जी ने इस विधेयक में कही है कि जो हरिजनों को जमीन मिली है उन्हें सिंचाई की सुविधा दी जाय और उर्वरक की, कृषि के यन्त्रों की सुविधा दी जाय, तो वास्तव में जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको तो जमीन मिली नहीं है, फिर वह सुविधा देने वाली बात कहां से पैदा होती है?

मान्यवर, जिलों में एक भूमि सुधार के सम्बन्ध में जिलाधीश ने एक कमेटी बनायी। दूसरे जिलों का तो मालूम नहीं, हमारे जिले में एक बार उस कमेटी की बैठक हुई। इसमें भूमि के आबंटन और दूसरी दिक्कतों के सम्बन्ध में विचार हुआ। उसके बाद फिर आज तक बैठक नहीं बुलाई गई। तो मैं चाहता यह हूं कि एक चीज की ओर असुविधा है रेवेन्यू के कर्मचारी यह कहते हैं कि हमारे पास इतने अधिक काम होते हैं कि हम उस काम

[श्री माता प्रसाद]

को कर नहीं सकते हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ, अलग से कर्मचारी रखे जो इसी काम को करें। लेखपाल के ऊपर इतना अधिक भार रहता है कि वह इस काम को ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं इसलिए बहुत समय लगता है।

एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो भूमि देने का तरीका है वह ठीक नहीं है। गांव समाज...

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

यहां तो अधिनियम का सवाल है, भूमि वितरण से क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष--

इस विधेयक को पास करने के लिए शासक दल की सहायता की भी आपको अपेक्षा है या नहीं?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

आप में तो हाथी का बल है, हमारा तो चींटी का बल है। वह चाहे तो एक सेकेंड में पास करा सकते हैं। आप सरकार पर दबाव डालिये सक्रिय।

श्री माता प्रसाद--

जिस रूप में आपका विधेयक आया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। भावनाएं तो ठीक है। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि जो बांटी जाती है भूमिहीनों में, ऐसी व्यवस्था हो कि नायब तहसीलदार मौके पर, जिनको भूमि बांटी जाय, वही मौके पर जमीन को डिमार्केट कराकर कब्जा दिलाये और उसी जगह पर जो सरकारी कागजात है वहीं पर कागजात में इन्द्राज कर दिया जाय। वहीं पर उनको जो बही या अधिकार-पत्र जमीन मिलने का दे दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं-कहीं यह देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को जमीनें बांटी गयी हैं, दो-दो साल वह तरमीम कराने के लिये तहसीलों के चक्कर लगाते हैं और जब तक अच्छी तरह से बहुत से अधिकारियों को सन्तुष्ट नहीं कर लेते हैं तब तक भले ही गांव समाज द्वारा उनको जमीन दे दी गयी हो वास्तव में उनको जमीन मिलती नहीं है।

एक चीज का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केवल भूमिहीन को जमीन न देकर भूमिहीन खेतिहर मजदूर को जमीन देनी चाहिये। यह कानून में परिवर्तन होना चाहिए नहीं तो होशियार लोग अपने को भूमिहीन बना कर जमीन ले लेते हैं।

रहा हरिजन उत्थान के सम्बन्ध में, यों तो सरकार ने बहुत सी योजनायें उनके उत्थान के लिये बनाई हैं लेकिन केवल शिक्षा की योजना से ही उनको लाभ पहुंचा है, और योजनाओं से उनको नहीं के बराबर लाभ पहुंचा है। जहां तक उनके मकानों का सम्बन्ध है, एक-एक जिले में दस-दस मकान हरिजनों को दे दिये गये जबकि दो-दो, तीन-तीन लाख की उनकी आबादी एक-एक जिले में है। तो इस तरह से अगर सौ साल भी सहायता दी गयी तो भी हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। 25 साल में उनके लिये पानी भी पीने की सुविधा हम नहीं कर सके। जब हरियाणा नहीं बना था और केवल पंजाब था तो वहां की सरकार ने सभी नागरिकों पर एक हरिजन वेलफेयर टैक्स लगाया था। हरियाणा अलग हो गया तो इस सम्बन्ध में जो रुपया इकट्ठा हुआ था, वह दोनों सरकारों में बट गया और उन्होंने अपने यहां एक हरिजन कल्याण निगम बना रखा है जिसके द्वारा आज जो भी हरिजन रोजगार करना चाहते हैं उन्हें बहुत कम सूद पर रुपया दिया जाता है।

तो मैं प्रदेश की सरकार से भी यह मांग करता हूं कि वह हरिजनों के कल्याण के लिये एक निगम की स्थापना करे और उसके द्वारा, आज जो लोगों को मुर्गी पालने के लिये, सुअर पालने के लिए सुविधायें दी जाती हैं या जो 10–20 मकानों की सुविधा दी जाती है, यह सब बन्द करके, नामिनल सूद पर उनको ऋण दिया जाय। इससे यह मकान भी बना सकेंगे और उद्योग-धन्धे भी कर सकेंगे। आज हरिजनों में शिक्षा तो काफी बढ़ी है लेकिन इसके परिणामस्वरूप उनके सामने एक परेशानी यह आई है कि वैसे तो हरिजन मजदूरी कर लेता लेकिन पढ़ने लिखने के बाद मजदूरी कर नहीं सकता और नौकरी मिल नहीं रही है ? ये एक बड़ा भारी विस्फोट पैदा हो रहा है।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह पीठासीन हुए।)

मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो पढ़े-लिखे हजारों की संख्या में हरिजन हैं नौकरी उनको मिल सके। आज ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको हरिजन मिल जायेंगे।

सान्यवर, पिछड़ी हुई जाति में भी कुछ लोग इतना पिछड़े हुए हैं जिनकी हालत हरिजनों से भी बदतर है। उनकी और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहार तथा भर जाति ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुयी हैं। एक मुसहर जाति है जो केवल पत्तल बनाने का काम करती है। उसी से उसकी रोटी चलती है। इनकी दशा इतनी सोचनीय है कि ये लोग ठीक तरह से कपड़ा तक नहीं पहन पाते। खाने में यह लोग मेंढक, सांप और चूहे तक खाते हैं। आज जगह-जगह जो जंगल कट रहे हैं और सड़कों के किनारे के पेड़ आदि पहले कटते जा रहे हैं इससे उनको पत्ते आदि तक नहीं मिलते, अगर कहीं लकड़ी या पत्ते लेने जाते हैं तो बेचारे, पीटे जाते हैं। इनकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनके रहने के लिए भी कोई मकान आदि नहीं है। 25 वर्ष की आजादी के बाद भी आज तक मुसहर जाति के लिये कुछ नहीं किया गया है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं बैकवर्ड क्लास के जो फर्स्ट क्लास के छात्र होते हैं केवल उन्हीं को स्कालरशिप दिया जाता है। स्कालरशिप भी पहले की अपेक्षा अब बहुत कम दिया जाता है। अगर आप हर बैकवर्ड क्लास के सेकिंड क्लास छात्र को स्कालरशिप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी फीस ही माफ कर दीजिये। जब तक कुछ किया नहीं जायगा उनका भला नहीं होगा। केवल कहने से कुछ नहीं होगा।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। प्रदेश में जो हरिजन हैं उनकी हालत आजादी के 25 वर्ष बाद भी आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा कोई दिन देखने में नहीं आता जब यहां सदन में ही यह सुनने को न मिलता हो, कि फलां जगह हरिजन के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ, अमुक हरिजन की लड़कियों की असमत लूटी गयी। मारा-पीटा गया और उनकी अस्मतों को लूटा गया। आज हमको यह देखना है कि यह क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है और कौन कर रहा है ?

(श्री गोस्वामी राधा कृष्ण अन्य माननीय सदस्यों के साथ एक स्थान पर बैठे गम्भीर विचार विमर्श करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

गोस्वामी जी, यदि आपका विषय बहुत आवश्यक हो, तो उस पर ही चर्चा करा लूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हिम्मत सिंह—

इस सदन में जब यह आवाज गूंजती है कि वहां के दरोगा, वहां के एस0 पी0, वहां के कलेक्टर आये दिन ऐसी घटनाओं पर पर्दा डाल रहे हैं तो उसे बड़ी ठेस पहुंचती है और यहां से इंक्वायरी की बात होती है—सी0 आई0 डी0 की हो, सी0बी0आई0 की हो या उच्च न्यायालय की हो। और हमें आगे फिर घोर दुख होता है तो हम सोचते हैं कि आखिर इस मुल्क का क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं कि जो लोग जांच करने जा रहे हैं वे वायस्ड हैं। ये लोग जो जांच करने जाते हैं इनके द्वारा प्रायः आततायी लोग प्रोत्साहित किये गये हैं कि तुम जुल्म ढाओ खूब, कोई चिन्ता न करो। जब यह भावना है, जब ऐसा वातावरण है तो यह मांग उठना आवश्यक हो जाता है कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है संकट कैसे दूर हो। इसके लिए सन् 53 में आयोग बना था और उसने सन् 55 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, किन्तु उस पर कोई अमल नहीं किया गया और उसकी रिपोर्ट को कोल्ड-स्टोरेज में डलवा दिया गया और जानकर डलवा दिया गया। क्योंकि उस समय यह भावना जोरों से उठी थी कि इस देश का मालिक कौन हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र में बराबर इनकी सरकार रही है और अधिकांश प्रदेशों में भी इन्हीं की सरकार रही है, सिवाय कुछ अल्प काल को कहीं-कहीं छोड़कर और यह पालिसी मेटर दो एक दिन में तय नहीं होते हैं। केन्द्र और प्रान्त में इन्हीं की एक पार्टी की सरकार रही है। उन्हीं की यह देन है कि जो आज तक इस चीज को दबोचा गया है। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर कोई कार्यवाई नहीं हुई है। जैसे कढ़ाई में जब दूध उबाल खाता है तो पानी छिड़क कर उसे शान्त कर दिया जाता है, वैसे ही यह भावना पहले बड़ी तेजी से उठी थी, किन्तु कमीशन लाकर सरकार ने उसे ठंडा कर दिया। जब हाउस में आए दिन वाक्यों पर चर्चा चलती है तो फिर यह भावना लोगों में उभड़ती है कि जो अधिकारी बैठा है वह डंडे से पीट पीटकर भूसा भर रहे हैं, डंडे के डर से आज राज हो रहा है। यह भावना फिर बल पकड़ रही है कि संविधान ने हमें क्या दिया। वह कहता है—समान अवसर देंगे। वह मिलेगा, लेकिन आज जब हाउस में हम पूछते हैं कि हमारा 18 परसेंट का आरक्षण कहां गया तो पता चलता है कि उनमें से कोई एफीसियेंट नहीं थे, उस लेवेल तक नहीं पहुंचे। इसीसे सम्बन्धित एक असरकारी रेजूलूशन रखा गया है कि तमाम प्रकार के प्राथमिक स्कूलों को समाप्त करके सबको समान स्कूलों में, समान प्रकार की शिक्षा दी जाय।

आज देश में नाना प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। एक तरफ एक-एक लड़के की शिक्षा पर 100—150 रुपए खर्च किये जाते हैं और दूसरी ओर एक पूरे स्कूल पर 100 रुपए खर्च होते हैं। जिनके पास बच्चों के बैठने के लिए फटी हुई पट्टियां हैं और खुली छतों के नीचे लड़के बैठते हैं। हालत यह है कि मास्टर पश्चिम को मुंह करके बैठता है तो लड़के पूरब में मुंह करके बैठते हैं। वहां एक-एक क्लास में 70—80 बालक भरे होते हैं जो खर्चीले बड़े-बड़े स्कूल हैं वहां एक कक्षा में 15—20 ही लड़के होते हैं, फलस्वरूप वहां ज्यादा और व्यक्तिगत ध्यान उन पर दिया जाता है। ऐसी सामन्य बात की ओर भी क्या सरकार का ध्यान गया है ? नहीं गया है, तो यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों ? जब शिक्षा का विधेयक आया था तो बड़ा अच्छा आश्वासन मिला था। वह नहीं तो अब आप हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजरवेशन देने की बात से आनाकानी क्यों करते हैं। संविधान की धारा 16 (4) के अनुसार भी आपको एक कमीशन बिठाना चाहिये था।

पिछड़ी जातियों और हरिजनों को पूरा रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिला है। इसलिए आप करने में भी कासिर रहे हैं। इसलिए आज बहुत जरूरी हो गया कि इन सबका रिजर्वेशन रिवाइज किया जाय। इस प्रदेश में 80 फीसदी पिछड़े और हरिजन लोग हैं। वह किससे हांके जाते हैं, कौन उनका अगुआ है ? जो उनसे हेटरेड करते हैं, जिनके खून

खून में घृणा पैदा हो गयी है। आज उनके द्वारा ही इस देश में शासन किया जाता है। जब इस प्रदेश का शासन उनके द्वारा किया जाता है तो वे उनके उत्थान की बात सोच नहीं सकते। आज कह दिया गया कि बिरादरी के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देंगे मत दो। अगर कोई कमीशन बनाया जाय, एजूकेशन में देखा जाय कौन पिछड़ा है, तो सब जगह उनका ही पिछड़ापन, दिखायी पड़ेगा। आप सीधे नाक पकड़ें या उल्टे नाक पकड़ें, वही जातियां हैं, जिनको मारा है, पीटा है, छीना है, गुलाम बनाकर रखा है, वह इस प्रदेश में पिछड़े हैं। आज उन्हीं के लिये सोचना है कि उनका रिजर्वेशन कितना होगा। देखिये मैसूर और हरियाणा में क्या हो रहा है। वहां रिजर्वेशन है। उनको सुविधा मिल रही है। उनकी तरक्की हो रही है, वह आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने प्रदेश में ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिटेन टेस्ट में आई० ए० एस०, पी० सी० एस० में कम्पीट करते हैं लेकिन इन्टरव्यू में जाकर फेल हो जाते हैं। इसलिए आज आपको सोचना और समझना पड़ेगा। उनका उत्थान करना है।

आपने कुछ सुविधायें हरिजनों को दीं लेकिन आज उनको नहीं मिल रही हैं। चतुर्थ श्रेणी वालों को तो ले सकते थे। वहीं इफीशेंसी नहीं थी, वहां इटेलिजेंस नहीं था। कौन कह सकता है कि चतुर्थ श्रेणी में वह काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जन्म सिद्धगुण हैं। उनके आधार पर, उनके छुआछूत मानने के आधार पर यह सब कुछ हो रहा है। आज उनका आर्थिक ढांचा इतना बिगड़ गया है कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। हमने कानून ऐसे बना दिये हैं जिससे उनका आर्थिक ढांचा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इस प्रदेश का गरीब आदमी या तो खेती करता है या खेती सम्बन्धी मजदूरी करता है या छोटी-छोटी मिलों में जाता है। वह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता। क्या प्रदेश की सरकार ने उन लोगों के लिये कम्पीटीशन में जाने के लिये कोई स्कूल कायम किये हैं? जहां पर वे शिक्षा पा सकें? 24घंटे में 20 घंटे पढ़कर वह कम्पीटीशन में जाता है, क्या उनकी तैयारी के लिये ऐसे स्कूल खोल दिये हैं जहां उनको समान अवसर मिले? और क्वालिटी भी उनकी बढ़े? प्रदेश की सरकार ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। समान अवसर पर लाने के लिए, कम्पीट कराने के लिए, नीचे के स्तर से चलना पड़ेगा। तब जाकर आपका काम चलेगा। जैसे रोगी को बैसाखी दी जाती है। अच्छा होने पर बैसाखी फेंक देता है। उसी तरह से 15 साल के लिए उनके लिये रिजर्वेशन माना है।

इन पर 15 साल के अन्दर आपको बुनियादी बातों पर सोचना होगा। शिक्षा तथा ट्रेनिंग स्कूल्स पर ध्यान देना होगा। बगैर उसके कम्पीटीशन में वे नहीं आ सकते और इसके कारण 25 वर्ष के अन्दर आप हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं कर सके। आप कहते हैं कि क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलते। कहां से मिलेंगे? एम० ए०, एम० एस० सी० फर्स्ट डिवीजन लेकिन कम्पीट नहीं कर सके। उसका कारण आपको ढूंढ़ना होगा।

कहा जाता है कि एफिशियेंट नहीं हैं। काम दो एफिशियेंट अपने आप हो जायेंगे। यह इनफीरियारिटी काम्पलेक्स आपकी बनाई हुई है। इसको खत्म करना होगा। दूसरी ओर जो सुपीरियारिटी काम्पेक्स है उसे भी खत्म करना होगा। इस प्रदेश का उत्थान उनके उत्थान पर ही निर्भर करता है। आपने 80 फीसदी हरिजनों का उत्थान कर दिया तो निश्चय ही प्रदेश तथा राष्ट्र का उत्थान होगा। लिहाजा जो सुविधायें उनको पिछले दिनों में मिलती चली आ रही थीं उनको तुरन्त पुनः चालू करें और जो रिजर्वेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है उसको मुस्तैदी के साथ पूरा करें। मैं इसलिये यह सब कह रहा हूं कि आप क्रांतिकारी होने का दावा करते हैं। गरीबी मिटाने का दावा आप करते हैं। रोजी और रोटी देने की बात करते हैं। लेकिन आपने गरीबी बढ़ा दी। रोजी और रोटी छीन ली। बेकारी बढ़ा दी है और कुछ लोगों के हाथ में रोजगार दे दिया है।

[श्री हिम्मत सिंह]

अंग्रेजी के माध्यम से जो पेपर पास करते हैं उनको अच्छे नम्बर मिलते हैं और हिन्दी के माध्यम से कम नम्बर मिलते हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी को हर कम्पीटीशन में लागू करना चाहिये। वर्ना इस देश तथा प्रदेश का उत्थान नहीं होगा। कुछ वेस्टेट इंटररेस्ट वाले अंग्रेजी को इस प्रदेश तथा देश पर लादे रखना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को इस भाषा सम्बन्धी मसले पर भी ध्यान देना होगा तभी हरिजन को कम्पीटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोल नहीं पाते वे एफिशियेंसी बार क्रास ही नहीं कर पाते और इसी कारणवश जो 18 परसेंट का नौकरियां में उनका कोटा है वह पूरा नहीं हो पाता है। देश और प्रदेश का अगर आपको उत्थान करना है तो राष्ट्रभाषा हिन्दी को अनिवार्य करना होगा।

इंजीनियर्स की हड़ताल से प्रदेश में त्राही-त्राही मची हुई थी लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्ग तथा हरिजनों को मार कर ढेर कर दिया। किसी सज्जन ने नहीं कहा कि हड़ताल के कारण और पानी न मिलने से उनकी खेती सूख गयी। उसका मुआविजा कौन देगा ? उनके खाने भर के लिये अनाज पैदा नहीं होगा। जो पिछड़ावर्ग है, हरिजन है वह बेई-मानी तथा भ्रष्टाचार से दूर है। अपर क्लास का हिन्दू ही वह वर्ग है जो भ्रष्टाचार के तरीके जानता है। इंजीनियर्स की दुहाई दी गयी है। लेकिन आपको यह भी ज्ञात होना चाहिये कि कलस्टर स्कीम के अन्तर्गत अंगूठा के हरिजन से इन इंजीनियरों ने 2 हजार के बदले 10 हजार पया वसूल किया और शिकायत करने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और स प्रकार जो हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग है वह लूटा जा रहा है। उसको बचाने के लिये एक ही सालयुशन है कि उनका सर्विसेज में रिजर्वेशन पूरा किया जाय, उद्योग उनके द्वारा खुलवाये जांय। ऐसा न होने पर देश व प्रदेश पिछड़ा बना रहेगा और उनका कोई उत्थान नहीं होगा। सारी योजनायें चलाई जा रही हैं। जो अपढ़ हैं, निर्धन, हैं वे फेल क्यों हो रहे हैं ? उसका क्या कारण है। जो ऊपर बैठे हुये अधिकारी हैं वे सोचते हैं कि उनको मारना है और उनको उभरने नहीं देना है। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफलीभूत हों, इसके लिये बहुत जरूरी है कि आप इस पिछड़े वर्ग को ऊपर उठावें। मैं चाहूंगा जब माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में बोलें तो इसका अवश्य जिक्र करें जो मैंने कहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे पारित करें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा निश्चित मत है कि प्रस्तुत विधेयक में न केवल राज्य के पिछड़े वर्ग की बल्कि समस्त राज्य के उन्नती की संभावनायें पोटेंशियल निहित हैं। मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक का विषय इतना आवश्यक है कि इस विषय के सम्बन्ध में शासन को आज नहीं, वर्षों पहले इस बिल को लाना चाहिये था और इसे सदन को पारित कर देना चाहिये था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। इस सामयिक विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय रूपनाथ सिंह जी यादव को बधाई देता हूं। पेश्तर इसके कि मैं इस बिल की विषय की आवश्यकता और संवैधानिक पहलू और राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपने विनम्र विचार रखूं श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस बिल का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर चर्चा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर करना चाहिये। जसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इस बिल का महत्व इतना आवश्यक है जो न केवल पिछड़े वर्ग से ही अपितु समस्त राज्य के अन्दर जितनी उन्नती सम्बन्धी समस्यायें हैं उनसे सम्बन्ध रखता है। प्रस्तुत विधेयक पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन के केवल एक पहलू, राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में है। इसकी आवश्यकता के

बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांचवी पंच वर्षीय योजना के एप्रोच का जो एप्रेजल है और पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की जो मूल्यांकन रिपोर्ट है उनका आप अध्ययन करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेगें। कि सभी रिपोर्ट्स ने एक स्वर से यह कहा है कि योजना के कार्यक्रमों की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसमें प्रदेश की समस्त जनता का इन्वाल्वमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो।

श्रीमन्, यह मेरा निश्चित मत है कि जब तक राज्य के कार्यों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होगा तब तक प्रदेश का योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं चल सकेगा। वह बिना राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के सहयोग, पार्टीशिपेशन और इन्वाल्वमेंट के संभव नहीं है। इस प्रस्तुत विधेयक में जो उद्देश्य और कारण दिये हुये हैं उसमें एक अनुसूची दी हुई है और वह शासन द्वारा दिये गये उत्तरों पर आधारित है। शासन आज तक राज्य की सेवाओं में कितना रिप्रिजेन्टेशन पिछड़े वर्ग को दिया है, यह देखने की बात है। गजेटेड जाब्स में आपने अब तक पिछड़े वर्ग को केवल 9 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया है। आज भी इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर देते समय यह बतावें कि राजकीय कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं में गजेटेड और नान-गजेटेड जाब्स में शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास को कितना रिप्रिजेन्टेशन दिया है। श्रीमन्, एक ही कमरे में, यह गैर मुमकिन है कि कहीं रोशनी कर दें और कहीं अंधेरा कर दें। राज्य के एक वर्ग को ऊंचा कर दें और एक वर्ग को पिछड़ा ही रहने दें। इसी दृष्टि से जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस बात पर पूर्ण विचार किया और 340 (19) में इस बात का प्राविधान किया कि जब कांस्टीट्यूशन लागू हो जाय तो राज्य में इस पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु एक कमीशन की नियुक्ति करेंगे।

मान्यवर, 29 जनवरी, 53 को महामहिम राष्ट्रपिता के द्वारा एक कमीशन का गठन हुआ और काका कालेलकर उसके चेयरमैन थे। दो वर्ष के बाद उसकी रिपोर्ट आयी और उस रिपोर्ट में एक निश्चित सिफारिश की गयी है जो मैं आपकी आज्ञा से वह पढ़ देता हूं। वह अंग्रेजी में है और इस प्रकार है:—

"We, therefore, recommend that where education is sufficiently high among the communities, the reservation should be in proportion to the population of the communities of the other Backward Classes."

निश्चित रूप से उन्होंने संस्तुति की है कि जब राज्य के अन्दर पिछड़े वर्ग के लोगों की सम्बन्धित राजकीय सेवाओं में भर्ती की जाय तो राज्य के अन्दर पिछड़े वर्ग की जो आबादी हो उसके अनुपात से ही भर्ती की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पिछड़े वर्ग की जातियों का आपने विवरण दिया है उस अनुसूची के अनुसार अगर उनकी आबादी को जोड़ लिया जाय तो मेरा निश्चित मत है कि किसी तरह से वह 80 प्रतिशत से कम न होगी। उस 80 प्रतिशत के खिलाफ जब इस प्रदेश के अन्दर 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन हो तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नितान्त आवश्यक है कि इस प्रदेश की समस्त सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त किया जाय, इसमें पिछड़े वर्ग का सवाल नहीं है, बल्कि वर्ग के सहयोग प्राप्त करने की बात है और पिछड़े वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है प्रदेश की योजनाओं को पूरा करने के लिये और इसलिये यह जरूरी है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही पिछड़े वर्ग वालों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व हो। प्रश्न यह उठ सकता है कि कहीं संविधान तो इसमें बाधक नहीं है। संविधान के अन्दर राज्याधीन सेवाओं में सब समान अवसर देने की बात है। इसमें दिया हुआ है कि राज्य की सभी नौकरियों में, राज्य की सभी सेवाओं में भर्ती होने के लिये सभी को समान अवसर दिया जायेगा परन्तु उसके अन्दर एक अपवाद है और वह अपवाद आर्टिकल 16(4) में दिया हुआ है जो इस प्रकार है:— इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका

[श्री शिव राज सिंह]

प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी ।

मान्यवर, संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा कि अगर किसी राज्य के अन्दर यह स्थिति हो कि पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन बहुत कमजोर हो तो वहां पर एक विशेष प्राविधान कर सकेंगे आरक्षण के लिये और यह बिलकुल संविधान की आत्मा के अनुरूप होगा । इसलिये इस विधेयक में यह रखा गया है कि सरकारी सेवाओं के लिये यदि पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोग पर्याप्त संख्या में मिल जांय तो यह नितान्त आवश्यक है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और उसी अनुपात में टेक्निकल कालेज में भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण हों । इससे यह लग सकता है कि कहीं इस बात से कि जातियों के आधार पर इस प्रकार का रिजर्वेशन हो, यह संविधान के विपरीत तो नहीं होगा ? जातियों के आधार पर समान व्यवहार करने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है । उसमें भी संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से अनुच्छेद 15(4) बनाया है। वह इस बात की इजाजत देता है कि राज्य में इस प्रकार का आरक्षण जाति के आधार पर कर सकते हैं । यह संविधान के विरुद्ध नहीं जाता । सम्बन्धित अनुच्छेद को आप देखें जिसमें लिखा हुआ है 15(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे वर्गों के लिये जो समाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में रुकावट न डालेगी ।

इतना ही नही, इस सम्बन्ध में कई निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जा चुके हैं । मद्रास राज्य के अन्दर एक विशेष प्राविधान और आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिये मेडिकल कालेजेज में प्रवेश हेतु विशेष आरक्षण किया गया, वहां इस सम्बन्ध में रिट फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के आदेश को बहाल किया और कहा कि सरकार इस प्रकार का आरक्षण संविधिक रूप से कर सकती है । तो चाहे बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिशें हों चाहे संविधान की धारायें हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट में उनकी जांच हुई हों, सबके अन्दर इस बात को माना गया है कि इस प्रकार का आरक्षण किया जाना चाहिये और अगर किया जाता है तो वह संविधान की दृष्टि से ठीक ही है । आज जो परिस्थितियां हमारे राज्य के अन्दर हैं, वे भी इस बात की मांग करती हैं कि इस तरह के कार्य करना सरकार का कर्तव्य है। आज सरकारी नौकरियों में पिछडे वर्ग का प्रतिनिधित्व है वह उनकी आबादी के अनुपात से कम ही क्या बिल्कुल ही नगण्य हैं । इसलिये सरकार का फर्ज अवलीन है कि वह इस प्रकार का आरक्षण करे और इसीलिये आज यह बिल जो लाया गया है वह बहुत ही आवश्यक है और सामयिक भी है । न केवल सामयिक है बल्कि यह ओवरड्यूस भी है ।

अब एक बात और । मैं इस विधान सभा में पिछले 15, 20 वर्षों से बैठ रहा हूं। इस सम्बन्ध में पिछड़े वर्ग के लिये जो आदेश हों गये हैं वे भी एक-एक करके धुंधले पड़ गये हैं और उनका कार्यान्वियन नहीं के बराबर है । गत वर्षों में राज्य सरकार के ये आदेश हों चुके हैं कि मेडिकल कालेजेज में भरती के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष आरक्षण दिया जाय । मैं जानना चाहूंगा कि क्या आज वह आरक्षण जीवित है ? इसी प्रकार से विशेष आदेश हैं कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज की भर्ती में उनको विशेष आरक्षण दिये जांय, क्या वे आदेश जीवित हैं, इसी प्रकार से आदेश हों चुके थे समस्त विभागों के लिये कि क्लास फोर को जितने भी रिक्रूटमेंट्स हों उनमें पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले एप्वाइन्ट किया जाय। मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि क्या कार्यान्वियन की दृष्टि से ये आदेश जीवित हैं और लोकल बाडीज के लिये यही आदेश हो चुके थे मैं जानना चाहूंगा कि उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हों सकी ? मैं अपील करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि वे उन सब आदेशों का संकलन करें, इकट्ठा करें और सदन को आश्वासन दें कि जितने

पिछले आदेश हैं उनका कार्यान्वयन करायेंगी । और इससे अधिक यह भी कि जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की शिफारिशें हैं उन पर भी पूरा-पूरा विचार शीघ्र होगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि उन्होंने इस तरीके की कार्यवाही की तो वे इतिहास में अमर हो जावेंगी ।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि को बुलाये जाने पर) श्रीमन् इस पर बहुस से बोलने वाले हैं उनको भी अवसर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता

इस विधेयक के मामले में विरोधी पक्ष तो सरकारी पक्ष ही है इसलिये मैंने उनको बुला लिया है । आपको भी अवसर मिलेगा ।

*श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)

श्रीमन्, मैं बैठे-बैठे अभी माननीय सदस्य, के भाषण सुन रहा था तो मुझे पिछले कई वर्षों की बातें याद आ रही थीं। यह विधेयक यादव जी अगर चौधरी चरणसिंह जी के जमाने में लाये होते तो मैं इस प्रस्ताव का बड़ी खुशी से समर्थन करता लेकिन मुझे इस समय संकोच हो रहा है और उसके कारण में कई बातें हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगा। माफ करेंगे, दो तीन मिनट की एक कहानी है उसे पहले सुनाना चाहता हूं। किसी जमाने में वैश्या उन्मूलन कमेटी बनी थी । उसके जो जनरल सेक्रेटरी थे ये एक वैश्या के कोठे पर पहुंच गये तो वह समझी कि कोई उसका ग्राहक आया है उसने पान मंगवाये । उन्होंने उसकी थैली में पांच रुपये के नोट डाल दिये । फिर वह सेवा करने के लिये आई। सेक्रेटरी कहने लगे कि मैं यहां इसलिये आया हूं कि आप इस कोठे पर अपना जीवन इस तरह से क्यों बर्बाद करती हैं । आप किसी की धर्मपत्नी बनकर देश के लिये उत्तम संतान पैदा करें । उसने कहा कि आप गलत जगह पर आ गये हैं । यह जो सामने धर्मचन्द जी का कोठा है आपको वहां जाना चाहिये था । उनकी महरी की कुंआरी लड़की 18 साल की थी उसके गर्भ रह गया । इसी तरह से उसने कई लोगों की मिसाले दीं । वह वहां से अपना सा मुंह लेकर चले आये । मैं यादव जी से प्रार्थना करूंगा, हम तो मुक्त भोगी हैं, यह प्रचार तो जनता में होना चाहिये था । यहां पर आपके वर्ग के लोग. . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाल्मीकि जी आप विधेयक के सम्बन्ध में ही बोलें ।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि—

मैं उसी पर बोल रहा हूं क्योंकि इसमें पिछड़े वर्ग के अलावा हरिजनों को भी सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिये कह रहा हूं । हरिजनों की कहानी कभी-कभी आती है तो वह बहुत धुंधली सी आती है । मैं उसको साफ करके सदन के सामने रख दूंगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--

मैं विरोध नहीं कर रहा हूं । आप देखेंगे कि मामला बड़ा गम्भीर है । मेरे दिमाग में एक शेर आती है कि " न दिल बदला न दिल का आरजू बदली म वे बदले तो हम कैसे इंक्लाबें आसमां कर लें ।" इलेक्शन के प्रचार के लिये यह बात की जाती है तो बात दूसरी बात वरना मुझे याद आता है कि लालकुर्ती बाजार में एक कुआं था उसमें हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

किस्से तो किताबों में बहुत लिखे हैं यहां नहीं होने चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

एक और सुन लीजिये ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

एक आन्दोलन शुरू हुआ और 200-400 आदमी इकट्ठे हुये । प्रस्ताव रखा गया कि इस कुएं में पहला डोल हीरा चौधरी डालेगा । एक सज्जन ने कहा कि पहले उसका डोल कैसे जायगा जो पहले इसी मामले में स्वर्गवासी हो चुका है, हीरा चौधरी का डोल नहीं पड़ेगा । वह किस्सा वहीं खत्म हो गया । हरिजनों को जो कठिनाई पिछड़े वर्ग की ओर से आती है उसका जिक्र करूंगा । इसी तरह से जिला फर्रुखबाद में कायमगंज तहसील है उस कस्बे में मुझे बुलाया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाल्मीकि जी, मैंने आप से निवेदन किया था कि विधेयक प्रस्तुत है उसी पर आप चर्चा करें बजाय इसके कि और कठिनाइयां हैं उनके ऊपर कुछ कहें ।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि--

मान्यवर, जो चीजें छूट गई हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं । श्रीमन्, मुझे समय दे दिया इसी बहाने से मैं अपना निवेदन कर सका ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

आपने कोई संशोधन किया होता और हम स्वीकार न करते तब तो बात थी ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--

मुझे वहां बुलाया गया क्योंकि एक दर्जी ने किसी हरिजन का कुर्ता सिलने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह उसके शरीर को कैसे छुयेगा और कैसे नाप लेगा । अभी शाहजहांपुर से तीन महीने पहले एक शिकायत आई थी कि एक नाई ने हरिजन की हजामत बनाने से इंकार कर दिया तो उन्होंने हमें लिखकर भेजा कि आप हमको इजाजत दीजिये कि हम बाहर पादरी को बहलाकर ईसाई क्यों न बन जायें ।

मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि यहां पर यह चीज आई, इसे मैं अनुचित कहता लेकिन अगर इसका प्रचार समाज में किया जाता है तो मैं तो यह कहता हूं और पहले भी मैंने कहा है कि सब से पिछड़ा वर्ग अगर कोई है तो वह भंगी और मेहतरों का है । आज भी उन की चोटियों की हिफाजत करने की असली कुंजी आप के हाथ में है । एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों में मुसलमान और धोबी की गिनती नहीं की गई है, मुसलमान भाई भी धोबी को नहीं अपनाते, उन को न हरिजनों में और न आप में और न कहीं सुविधा मिलती है । मेहतर लोग आज पिछड़े वर्ग से ही परेशान हैं । मुझे हमीरपुर जिले की बात याद है । वहां एक पिछड़े वर्ग के एक आदमी के यहां बच्चा पैदा हुआ तो वहां उस पैदाइश के सिलसिले में मेहतरों की महिलाओं की बहुत सख्त डयूटी लगती है ।

इन चीजों पर आप सोचें और विचार करें कि सब से बुरा एक नासूर हिन्दू मुसलमानों में है । यह एक पिछड़े वर्ग का ही सवाल नहीं है । मैं यादव जी से निवेदन करूंगा कि आप इस का प्रयत्न करें कि सबसे गिरा जो तबका मेहतरों का है उन के बारे में भी कोई प्राविधान करायें और उनके साथ भी हम रखें ।

श्री राम सागर—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रूप नाथ सिंह यादव द्वारा उपस्थित विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके साथ-साथ मैं उनकी सराहना भी करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक सदन में पेश किया है । प्रश्न यह है कि ऐसा विधेयक उन्हें क्यों उपस्थित करना पड़ा और इस के लिये सरकार को जितनी निंदा करना पड़े वह कम है । यह विधेयक वास्तव में सरकार की ओर से आना चाहिये था । यदि यह उनकी तरफ से आधा होता तो विरोधी पक्ष के भी लोग उसका सर्वसम्मत से समर्थन करते । लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी । इसलिये शहरों से देहात तक जिन्दगी और मौत से खेलने वाले हरिजन और पिछड़े वर्ग की दयनीय दशा को देख कर और उनके उत्थान की कोई सूरत न दिखाई देने के कारण यह विधेयक असरकारी पक्ष की ओर से लाना पड़ा है । मैं आज इस सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यह देश आजाद हुआ सन् 47 में तो जिन जातियों के विषय में यह विधेयक आया है उनके दिलों में भी अरमान थे कि जब देश आजाद होगा तो हमें भी हर तरह की आजादी और अवसर मिलेंगे, चाहे वह सामाजिक, शिक्षा का या आर्थिक कोई भी क्षेत्र हो । वह भी आगे बढ़ने का मौका और अवसर चाहते थे । लेकिन यह कह सकता हूं कि एक योजनाबद्ध तरीके से उनको जानबूझकर पीछे ढकेला गया है । यह समझा गया कि यदि उनका शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भला हो गया और उन को भी अगर खाने कपड़े की समस्या से फुरसत मिल गई तो से वह भी देश और समाज के सामने आगे बढ़कर कहेंगे कि हम पीछे क्यों रहें इसीलिये सरकार ने समझा है कि जितनी भी क्वालिफिकेशन हैं, जितनी अच्छी सर्विसेज हैं वे सब अमीरों के लिये ही हैं और उनके लिये केवल समाजवादी भाषण ही बाकी है ।

भारतीय संविधान में, जो सन् 50 में लागू हुआ यह हक दिया गया है और उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि इन जातियों के लिये 18 प्रतिशत सरकारी सेवाओं में स्थान मिलेगा । यदि एक साधारण नागरिक ही संविधान का उल्लंघन करता है तो सरकार की ओर से सजा है लेकिन यदि सरकार ने ही उल्लंघन किया हो तो उसके लिये फिर कौन-सी सजा उपयुक्त होगी हर चुनाव जीतने के बाद हम सब और सरकार संविधान के अनुरूप चलने की शपथ लेते हैं कि हम उस की व्यवस्था के अनुसार करेंगे । उसी संविधान में यह भी है कि 18 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों को मिलने चाहिये । लेकिन इतना करने के बावजूद भी केंद्रीय सरकार में उच्च पदों पर एक फीसदी स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश सरकार में 25 साल की आजादी के उपरान्त भी 3 फीसदी भी नहीं हो पाया । कह दिया जाता है कि इनके उत्थान के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया है । आज इन पिछड़ी जातियों की हमारे देश और प्रदेश में, उत्थान की परिस्थिति यह है ।

बड़ी घोषणा की जाती है कि उनको स्कालरशिप दिया जाता है, मुक्त शिक्षा दी जाती है । जो छात्रवृत्ति 1953 में इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिये 27 रुपये निश्चित की गयी थी वही अब भी मिल रही है जबकि महंगाई इस समय उस समय के मुकाबले में आसमान छू रही है । जो सीमा पहले थी, अर्थात् 1953 में, वही आज भी है । क्या न्याय का यही तकाजा है ? आज सरकारी कर्मचारी आन्दोलन कर रहा है, मजदूर भी आन्दोलन कर रहे हैं । और विधान सभा में पक्ष और विपक्ष के सभी लोग भी स्वीकार करते हैं कि महंगाई के अनुरूप वेतन होना चाहिये लेकिन छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । 27 रुपन में एक

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसागर]

छात्र तेल साबुन और कपड़े का भी खर्च वहन नहीं कर सकता है तो कैसे वह अपने खाने आदि का काम चला सकता है । देहातों में रहने वाले जो लोग हैं, वे मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं । अगर वे अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। घोषणा होती है कि उनके बच्चों को वजीफा दिया जाता है । जो विद्यार्थी होस्टल म ठहरे हैं, उनको 40 रुपया दिया जाता है । मैं नहीं समझता कि इस 40 रुपये से कैसे उसका कल्याण हो सकता है । जब प्रदेश में माननीय टी0 एन0 सिंह की सरकार थी उस समय के मंत्रिमंडल ने एक साहसिक निर्णय भी लिया था महंगाई के स्तर को देखकर कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को 50 रुपया छात्रवृत्ति, बी0 ए0 के विद्यार्थी को 75 रुपया और एम0 ए0 के विद्यार्थी को 100 रुपया दिया जाय लेकिन आप लोगों के सरकार में आने पर सब योजनायें रद्द कर दी गयीं । उन्हें कुछ नहीं दिया गया। अगर आप उनका उत्थान चाहते हैं तो प्रारम्भिक स्टेज से शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि जो योजनायें इन पिछड़े या हरिजन जातियों के उत्थान के लिये आप भाषण में कहते हैं । 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनका उत्थान नहीं होगा । यदि आप वास्तव में इनका उत्थान करना चाहते हैं तो आपको व्यावहारिक कदम उठाने पड़ेंगे । जिस प्रकार से महंगाई से अन्य लोग पिस रहे हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी पिस रहे हैं ।

आप देखें कि सरकारी नौकरियों में इनको कितने स्थान दे रहे हैं ? उद्योगों में कितने स्थान दे रहे हैं । कहीं नहीं मिले हैं । पूछने पर आप कहेंगे कि योग्य आदमी नहीं मिलते हैं। पुलिस विभाग में 1 फीसदी भी नहीं है और इसी प्रकार से आई0 सी0 एस0 और आई0 एस0 एस0 कैडर में एक फीसदी भी नहीं हैं । आपका साधारण सा उत्तर हो जाता है कि योग्य आदमी नहीं मिलते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि योग्य बनाने के लिये किस के ऊपर जिम्मेदारी है । आप उन्हें आई0 सी0 एस0, आई0 ए0 एस0 की परीक्षायें पास करने की सुविधा दीजिये । पहले तो एक कोचिंग क्लास भी चलती थी लेकिन अब पता नहीं है कि वह चलती भी है या नहीं । यदि आप उनको तरजीह नहीं देंगे, उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं देंगे, तब तक उनका उत्थान नहीं होने वाला है । मैं तो यह कहता हूं कि अगर योग्यता का ही प्रश्न आपके सामने है तो उन पदों पर जैसे चपरासियों जिन पर किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आदि पर आप रिजर्वेशन पूरा नहीं क्यों करवा रहे हैं ? मैंने यहीं पर विधान सभा में एक प्रश्न किया था गत बजट के समय पर और मुझे मुख्य मंत्री जी द्वारा बताया गया कि जिस विभाग में अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की संख्या पूरी नहीं की जायगी, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी और उसकी चरित्र पंजिका में बैड एंट्री की जायगी । जब मैंने पूछा कि इस आदेशों का कहां तक पालन हुआ, कितने अधिकारियों ने इन आदेशों का पालन किया, कितने लोगों के विरुद्ध कैरेक्टर रोल में प्रतिकूल प्रविष्टियां हुईं ? तो बताया गया कि इस आदेश का पालन कहीं नहीं हुआ है क्योंकि कुछ अधिकारियों को इन आदेशों का पता नहीं था और जिनको पता था, उन्होंने पालन नहीं किया । यह आपकी नौकरशाही की हालत है। और प्रशासन की कुर्सी पर बैठकर इस तरह की मनमानी करने की आप छूट देते हैं । तो मैं समझता हूं कि आपको इस प्रशासन की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । आप सबसे ज्यादा उनका वोट लेते हैं । आप पर उन्होंने विश्वास किया है । जिन्दगी और मौत से लड़ने के बावजूद भी आप पर फिर एक बार उन्होंने विश्वास किया है और आप बार-बार विश्वासघात करते हैं । यही क्रम लगा हुआ है । कोटा, परमिट और बड़े फार्म एक तरफ और अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये केवल भाषण सुना दिये जाते हैं। भाषण की खेती करिये, भाषण का कपड़ा बनाइये । इन भाषणों से काम चलने वाला नहीं है । मैं कह देना चाहता हूं कि अगर वह वोटर एक दिन जाग जायेगा तो इनको ऐसा उठाकर फेंकेगा कि इनका पता भी नहीं चलेगा ।

मान्यवर, पिछले वर्ष एक आचार्य जुगल किशोर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ था। उसने अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको पढ़ लीजिये। उसमें बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। वह कमीशन 1964 में गठित हुआ था। उसने 150 रिकमेंडेशन्स की थीं। आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी को लागू कर देंगे तो निश्चित ही हरिजनों का कल्याण हो जायगा। हम विरोधी पक्ष के लोग आपको हृदय से धन्यवाद देंगे। आपका कदम साहसिक ढंग से आगे बढ़ना चाहिये। आपको लाखों करोड़ों दिलों की दुआयें मिलेंगी। आप पिछड़े वर्ग संघ की कमीशन की रिपोर्ट का भी अध्ययन कर लें। आपको वह नीति निर्धारण में सहायक होगा और आप उसमें सफल भी होंगे। इसके अलावा, विधान सभाओं में भी चर्चायें हुई हैं और आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने अत्याचार उन पर हो रहे हैं। वे अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। कहीं उनके घर फूंके जा रहे हैं। कहीं कत्ल किये जा रहे हैं। मान्यवर, यह प्रतिदिन का सिलसिला है। आपकी तरफ से घोषणा भी हो जाती है और आप हरिजन सम्मेलन में लम्बे ऊंचे भाषण भी दे आते हैं। हम कहते हैं कि उनके ऊपर होने वाले सारे अत्याचार एक दिन में समाप्त हो जायं अगर आप उनको भुखमरी के मुंह से बचा लें। अगर आपने उनकी समस्याओं के निराकरण में कदम उठाया तो निश्चित है कि पिछड़ी और हरिजन जातियां अपने पैरों पर खड़ी हो जायेंगी और देश के हर मोरचे पर जूझने में अभूतपूर्व भूमिका निभा सकेंगी।

मान्यवर, जिन-जिन देशों ने तरक्की की है वे महसूस करते हैं कि हमारे देश का कोई वर्ग कमजोर न रहने पाये। आपको मालूम होना चाहिये कि देश की रक्षा के लिये टाटा, बिरला आदि के लड़के आगे अपनी गरदन कटवाने और बलिदान करने नहीं पहुंचते हैं। गरीब का ही लड़का कुर्बानी करता है। टाटा, बिरला आदि ने तो देश की पीठ में पीछे से छुरा ही भोंका है। उन्होंने तो देश के साथ विश्वासघात ही किया है। चाहे वे अपना कुछ रुपया आप लोगों को इलेक्शन के लिये दे देते हों परन्तु वह देश की भूमिका के लिये शून्य है। और आपके ही आंकड़े यह बताते हैं कि सन् 47 में 51 करोड़ थी 1972 में 951 करोड़ की हो गयी। टाटा की 50 करोड़ थी तो वह 950 करोड़ हो गयी। इतना अधिक वे लोग बढ़े।

आज यह जो विधेयक पेश किया गया है यह बहुत ही मजबूरियों में पेश किया गया है। इन लोगों को भी पढ़ने लिखने का मौका दिया जाय और यह काम आप भाषण से नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीका अपना कर करें। जब आप व्यावहारिक तरीका अपनायेंगे और यह लोग भी पढ़ लिख कर तैयार होंगे तो वे प्रशासन से लेकर सीमा तक हर भूमिका को बखूबी निभायेंगे। हरिजनों को तो नाममात्र के लिये स्कालरशिप दी जाती है। लेकिन पिछड़ी जाति के लिये कुछ अजीब रवैया सरकार का है। हमें पता चला है कि जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं उन्हें ही वजीफा दिया जायगा। शायद वह भी छुटे जा रहे हैं। इसमें निदेशालय की कमी नहीं है। जैसा आदेश आप देंगे वह वही करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों जो शिक्षा दीक्षा दें। लेकिन उनकी गरीबी उनकी शिक्षा में रुकावट डालती है। इसलिये पिछड़ी जाति के बच्चों के लिये भी आप कंपलसरी स्कालरशिप कर दें। अगर आप मेरिट के आधार पर करेंगे तो बहुत से होनहार लड़के जो एक दो नम्बर कम लायेंगे वह इससे वंचित रह जायेंगे और नहीं पढ़ सकेंगे। इस विधेयक को पेश करने की भी यही मंशा है कि सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में उन्हें भी जो संवैधानिक हक है वह दें और साथ ही साथ उनकी गरीबी और आबादी को देखते हुए नौकरियों में स्थान सुरक्षित करें और आने वाली पंचवर्षीय योजना में उसी हिसाब से उनके उत्थान के लिए धनराशि निर्धारित करें। जब आप इस प्रकार करेंगे तब आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा और प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भी साहस के साथ खड़ा होकर देश के निर्माण कार्य में भूमिका निभायेगा।

*श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है मैं इसका समर्थन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री भी मेरे भाषण के थोड़े से पहले आ गये क्योंकि वही इस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। हरिजन कल्याण विभाग से तो केवल वजीफा का हिस्सा ही संबंधित है, संरक्षण करने का जहां तक संबंध है वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है। इसलिये मुख्य मंत्री जी आ गये यह खुशी की बात है। वैसे तो हरेक विभाग के कैबिनट मिनिस्टर को रहना चाहिये और सुनना चाहिये था। अब मैं सदन को इसके एक दूसरे पहलू से अवगत कराना चाहता हूं कि क्यों संरक्षण होना चाहिये। संरक्षण इसलिये होना चाहिये कि काका कालेलकर की रिपोर्ट में इसकी ताईद की गयी है। इस बारे में माननीय शिवराज सिंह और वर्मा ने तरतीबवार बतला दिया है। मैं तो दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। इससे देश में आर्थिक समानता भी आयेगी। आज हमारे प्रदेश में 141 करोड़ रुपया सार्वजनिक सेवाओं और यात्रा भत्ता आदि पर खर्च होता है और इसमें से सिर्फ 2 प्रतिशत हरिजन वर्ग को मिलता है, जिनकी आबादी 20 या 22 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग की आबादी 55 प्रतिशत है परन्तु उनको सिर्फ 1 प्रतिशत मिलता है और बाकी रुपया उन लोगों को मिलता है जिनकी आबादी 15 या 20 प्रतिशत है। क्रिश्चियनों और मुसलमानों आदि को 9 प्रतिशत मिलता है। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। तो जो धन टैक्स सरकार किसानों से इकट्ठा करती है वह उस वर्ग को जो उत्पादन करने वाले हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और कल कारखानों में उत्पादन करते हैं, नहीं मिलता है। यह रुपया तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों को मिलता है। तो यह इसका आर्थिक पहलू है। अगर रिजर्वेशन कर दिया जायेगा, तो आनुपातिक धनराशि इस वर्ग के पास भी जायेगी। जिस वर्ग के लोग गजेटेड अधिकारी होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा आदि में सुविधायें मिल जाती हैं और नैनीताल आदि घूमने के अवसर मिलते हैं। इस कारण वह कम्पीटीशन में अच्छे नम्बर पाते हैं।

सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति के लोग बराबरी से गांव में उठने बैठने नहीं पाते हैं। हमारे बहुत से विधायक यहां पर हैं जिनके गांव में वह लोग चारपायी पर बैठ नहीं पाते हैं। तो सामाजिक असमानता तभी दूर होगी जब उनके बच्चे गजेटेड अधिकारी के रूप में कार्यालयों में सभी जगहों पर हों। जिस जिले में हरिजन कलेक्टर चला जाता है, हरिजनों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। जहां कहीं तहसीलदार या सब इन्सपेक्टर पहुंच जाता है, वहां उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो सामाजिक समानता की दृष्टि से भी नौकरी में संरक्षण मिलना चाहिये। तभी सामाजिक असमानता दूर होगी। इससे अस्पृश्यता निवारण भी हो सकेगा। यही नहीं इसका राजनैतिक पहलू भी है। कोआप्शन के इलेक्शन हो रहे थे तो जहां के अधिकारी जिस जाति के थे, उसी जाति वालों को अधिक वोट मिले हैं। अन्धे और अनपढ़ लोग कहते कुछ थे और होता कुछ था तो इससे राजनैतिक ह्रास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि अध्यापक पिछड़े वर्ग का नहीं है तो अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उसके अनुपात में हो।

(इस समय 3 बज कर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब पढ़ने लिखने की बात रही...हमारे जिले में पिछड़ी जाति के एक वकील हो गये। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उस वकील का रहना मुश्किल हो गया। तो अगर ऐसा हो जायगा, तो वह मजाक भी कम हो जायगा जब ये गजेटेड आफिसर बनेंगे तो कुछ दिनों के बाद जिस तरह से आज गजेटेड आफिसर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के हैं, उनके लड़के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जितनी किताबें पढ़ लेते हैं, जितना लोगों से मिलजुल कर बात करने का मौका मिलेगा, तो उनके मुकाबिले कम्पटीशन में उनसे अच्छे निकलेंगे। इसलिये संरक्षण जरूरी है। आप कहेंगे योग्यता नहीं है। योग्यता तो है। वह मेहनत से पढ़ते हैं। लिखित में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं। लेकिन जब मौखिक लिया जाता है तो जब नैनीताल, शिमला और दिल्ली के सवाल उठा दिये जाते हैं, तो वे उत्तर नहीं दे पाते नम्बर कम हो जाते हैं। लिखित में अच्छे आते हैं, मौखिक में नम्बर घट जाते हैं और बेचारे लिये नहीं जाते। ये सब सवाल ऐसे हैं कि केवल इस वर्ग के उत्थान के नहीं हैं। यह तो राष्ट्रीय उत्थान का सवाल है। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। जब तक हमारे देश में 80% दबे और पिछड़े और कमजोर लोग रहेंगे, तो मान लीजिये चीन में—भगवान न करे ऐसा हो—हमारे ऊपर हमला कर दिया तो केवल 20 % लोग क्या हमारी रक्षा कर सकेंगे ? क्या 20 % लोगों की बुद्धि से काम चलेगा ? नहीं रक्षा कर सकेंगे। आपको सारी जनता को उठा कर मजबूत करना पड़ेगा, तभी स्वतन्त्रता की रक्षा होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जायेगा। यह राष्ट्रीय समस्या है। कोई जाति विशेष की समस्या नहीं है। अगर एक कड़ी कमजोर रहती है तो सारा देश कमजोर रहता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है।

कुछ लोग कहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग आयेंगे तो हमारी जाति के लोग घटेंगे। लोगों को यही परेशानी है। मान लीजिये 56 हजार गजटेड आफिसर की जरूरत है। उसमें अगर इन लोगों का पर्सेंटेज बढ़ा दिया गया तो उनका घट जायेगा। तो दोष लगाते हैं कि जाति पांति की बात करते हैं। हम अलगाव की बातें करते हैं। लेकिन हम जो अलगाव है उसको खतम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समानता, वर्गविहीन और जाति विहीन समाज बनाने की हमारा उद्देश्य है, वह जल्द से जल्द पूरा हो। गरीबी और अमीरी का जो प्रश्न है, वह और प्रश्न है। उसके लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये। मैं उसको मानता हूं। यह कैसे दूर होगी ? उद्योग धंधों को रिजर्व कर दें कि इतने पर्सेंट गरीबों को उद्योग दिये जायेंगे। गरीबों को ही लाइसेंस देंगे। टाटा-बिड़ला को लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। वे सरकारी क्षेत्र में खुलें। प्राइवेट सेक्टर को बन्द करें। गरीबों को दें। छोटे उद्योग चाहे किसी बिरादरी का हो, जिसकी 250 रुपये से कम आमदनी हो, उनको मिले। जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, जो बड़े-बड़े लोगों के नाम हैं, उसको रोकिये। उनको ऐसे लोगों को दें जिनकी 200 रुपये से ढाई सौ रुपये की आमदनी है। लेकिन यह सर्विस का मामला है। इसमें कहें कि जातियता का आधार नहीं होगा, तो उससे देश का नुकसान हो जायेगा। पहले वजीफा जाति के आधार पर होता था। परन्तु सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कह दिया कि आर्थिक बेसिस पर होगा। लिख दिया कि तहसीलदार या रेवेन्यु आफिसर लिखेंगे। तहसीलदार के यहां जाते हैं। जो उनकी बिरादरी के हैं उनको ज्यादा तादाद में वजीफा मिल जाता है और जो पिछड़ी हुयी जाति के हैं और जिनको सेंट-परसेंट मिलता था, उनको अब केवल 25 परसेंट मिलने लगा। आंकड़े मंगाकर देख लिये जायें। 75 प्रतिशत उन्नतशील जाति के लोगों को मिल गया गरीबी के आधार पर जिनकी आबादी 20 प्रतिशत है और जिनकी आबादी 80 प्रतिशत है उनके लड़कों को मिला 25 प्रतिशत।

इस विधेयक को माननीय मुख्य मन्त्री जी पढ़ें और अपने विभागों से आंकड़े मंगा लें। सन् 1962 में एक प्रश्न हुआ था और उसके अनुसार सरकार का जवाब आया था। उसको मैं माननीय मुख्य मन्त्री को सुना देना चाहता हूं। सन् 1946 में गजेटेड आफिसरों में हरिजनों की संख्या 16 थी, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की 34 थी अग्रणीय जाति के लोग 1351 थे और मुस्लिम तथा ईसाई वगैरह 1901 थे। सन् 1955 में ये आंकड़े हो गये—हरिजन 70, अन्य पिछड़ी जाति—25, अग्रणीय जाति—4555 और दूसरे लोग की संख्या 630 रह गयी। सन् 1960 में आंकड़े थ—हरिजन 194, अन्य पिछड़ी जाति—67, अग्रणीय जाति—8500 और दूसरी लोगों की संख्या 868 थी। तो ये आंकड़े बतलाते हैं कि किस तरह से उनकी संख्या बढ़ रही है। अब आप प्रतिशत देखें।

[श्री राम बचन यादव]

सन् 1960 में हरिजनों का प्रतिशत 2 था, पिछड़ी हुई जाति का 1, अग्रणीय जाति का तथा मुस्लिम, ईसाई वगैरह का 9 प्रतिशत था। सन् 1955 में श्री राम स्वरूप वर्मा ने ये आंकड़े इकट्ठे करवाये और श्री राम नन्दन सिंह, एम० एल० सी० ने भी प्रश्न किया था। संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार संरक्षण दे सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में संविधान की अवहेलना आज 20–25 वर्षों से हो तो चली आ रही है। ऐसा कई प्रदेशों ने किया है और जिन प्रदेशों ने किया है वे प्रदेश आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हर माने में जबकि उत्तर प्रदेश भारत के सभी प्रदेशों के मुकाबिले, में एक-दो प्रदेशों को छोड़ कर, पिछड़ता चला जा रहा है। जब तक आप रिजर्वेशन नहीं करेंगे शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ रहेगा और अगर आप इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो इस विधेयक को लागू करें। अगर लागू करेंगे तो यह प्रदेश और पिछड़ जायगा और देश कमजोर हो जायगा। यह पिछड़ी हुई जातियों की समस्या नहीं है, यह हरिजनों की समस्या नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। अगर राष्ट्र को उठाना है, देश को आगे बढ़ाना है और दूसरे मुल्कों के मुकाबिले में लड़ाई में सफल बनाना है तो इस विधेयक को लागू करें। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में विभिन्न राय हैं। हमारी भिन्न राय इसलिये है कि पिछड़ी हुई जाति की बात कही गयी है लेकिन आज देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने हरिजन दुखी हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं उतने पिछड़ी जाति वाले कम हैं। चाहे शिक्षा में देखिये और चाहे आर्थिक मामलों में देखिये उनकी स्थिति बहुत खराब है। हमारे रूपनाथ यादव जी एक अच्छे खासे जमींदार के लड़के हैं। इनके भी जमीन है और इन्होंने भी हम हरिजनों को कभी त्रास किया है, लेकिन जो बिल लाये हैं उस बिल में हरिजनों के सम्बन्ध में भी बातें कही हैं। आज ही सौभाग्य की बात है कि यह बिल.....

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जब यह सरकार और मुख्य मन्त्री इनको पीटते हैं तब तकलीफ इनको नहीं हो रही है।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

आप भी मन्त्री रहे थे और रही पीटने की बात तो यह बिल तो आपके जमाने में लागू नहीं हुआ। यह काम तो इस कांग्रेस का है जो गांधी जी के सिद्धान्त को लेकर चलते हैं और सत्य अहिंसा पर आरूढ़ यह सरकार है और मुख्य मन्त्री हैं जो गरीबों को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि पं० कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में इस बिल का पूर्णरूपेण पालन होगा। आप कहते हैं कि चरण छूते हैं तो चरण छूना तो सौभाग्य की बात है जो उस देवता के चरण छूते हैं और उसके चरण में बैठकर इस भारतीय राज्य को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। माफ कीजिये जब महर्षि बाल्मीकि के चरण राम के पुत्रों ने और सीता जी ने छुए तो क्या यह ऐतिहासिक सत्य नहीं है? अगर हम ब्राह्मण के चरण छूते हैं जो वह हमारे सिरमौर हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भी मैं कहता हूं, मैं आज ही पंडित जी के पास गोंडा का एक डेपुटेशन ले गया था और जो बात पंडित जी ने कहा है वह सुनने लायक है। मैंने कहा पंडित जी, 1965 में सीलिंग से जो जमीन निकली है और गांव समाज की जमीनों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है तो पंडित जी ने कहा कि "अगर प्रजातंत्र न होता, लोकतंत्र न होता तो आज इन ठाकुरों और ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाता। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, प्रजातंत्र के नाते।" तो उस क्रांतिकारी देवता का जो विचार था..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखेंगे अगले समय के लिये।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 (क्रमागत)†

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

मान्यवर, सुबह के वक्त माननीय अध्यक्ष जी ने आज्ञा दे ी कि मैं विरोधी पक्ष के दलों के नेताओं से परामर्श कर लूं और सबकी राय हो तो इस समय उसको ले लिया जाय। मैंने उनसे बात कर ली है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो रखा हुआ है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

वह निकाल दिया गया था। अध्यक्ष जी ने ऐसे आदेश दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो है ही सदन के समक्ष पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, ने इसको निकाल दिया था, काट दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जब सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी नेताओं ने सहमति जाहिर कर दी है तो....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी ने खारिज कर दिया है कि यह एजेंडा पर है ही नहीं। यह तो अध्यक्ष का आर्डर सबेरे ही बहस के बाद हो गया था यह आउट आफ आर्डर है। यह सवेरे रूलिंग दी थी। बात जरूर की, लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहता था। वह तो खारिज हो गया, अब नये रूप में जो आया है वह कर ें।

श्री उपाध्यक्ष—

मद 19, 20, 21 और 22 का क्रम आखिर में है। अगर कोई निर्णय हो गया था तो उस पर विचार किया अध्यक्ष ने। मान लिया कि कोई हो गया..

---

†23 जनवरी, 1972 की कार्यवाही से।

श्री बंशीधर पांडेय—

वही मैं आपको करेक्ट कर रहा था कि अध्यक्ष ने वह आइटम निकाल दिया था और जो अभी आया है वह एक नये रूप में आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

निकालने का प्रश्न नहीं उठता है। मेरी व्यवस्था यह है कि जो छप जाता है, वह रहता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष जी ने जो रूलिंग दी है वह फाइनल है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन तो लें। मैं यह कह रहा हूं कि जो छपा है 19, 20, 21, 22 इसको अगर हम मान लें कि यह रख दिये गये हैं, यह लिया जायगा, तो यह बात नहीं है, क्योंकि जिस अवसर पर जो चीज आती है उसके बारे में निर्णय लिया जाता है । यही परिपाटी रही है। उस पर जब उन्होंने कहा तो यह कह दिया था कि अगर विरोधी पक्ष के लोग चाहेंगे तो लिया जा सकेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह नहीं कहा था। यह तो बाद में उन्होंने मूव किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं था नहीं, लेकिन जो आप कहते हैं कि इसको काट दिया, तो यह तो छप गया है, इसको कैसे काट दिया ?

श्री मोहम्मद अफरार अहमद—

उन्होंने एजेंडे से काट दिया, कोई चीज उस पर रहेगी नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो विरोधी दलों से मिल कर पुनः ला सकती है। लेकिन एजेंडा से खारिज है। यह तो आपको मानना ही पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

छापाखाने से कोई चीज छप कर यहां आयी। तो कोई आदेश उस छापाखाने की अब तक की प्रक्रिया को उलट नहीं सकता ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

जिस आर्डर से आना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं जानते तो...

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं यह कह रहा हूं कि जब उन्होंने एक आउट आफ आर्डर कर दिया बाद के एजेंडे से.....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अपने सेक्रेटरी से तो पूछ लीजिये पहले ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उनका आदेश था तो वह आदेश अन्तिम नहीं था।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष का आदेश तो अन्तिम है। क्या मैं यह मान बैठूं कि कल आप सदन स्थगित कर के चले जाते हैं तो आपका आदेश अन्तिम नहीं है और उसके बाद भी हम यहां बैठ कर कार्यवाही करते रहे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो अध्यक्ष ने कहा और उसके बाद उन्होंने जब पुनर्विचार किया होगा तो कोई प्रक्रिया तो होगी। मुंह में जाब उन्होंने नहीं डाली होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उन्होंने उसको रूल आउट आफ आर्डर कर दिया। यह हाउस तो जब कोई चीज चाहे तो ला सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन में नहीं था इसलिए मैं उसके बारे में बिल्कुल चुप हूं। अब आप क्या चाहते हैं कि लिया जाय या न लिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अब आप आये हैं सही रास्ते पर ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

यह बात अपनी जगह सही है कि अध्यक्ष जी ने यह घोषणा की थी कि आइटम 19 और उसके बाद के आइटम्स निकाल दिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

निकाल दिये गये या नहीं लिये जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

यही लफ्ज़ कहे थे उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि अगर विरोधी दल और सरकारी पक्ष में समझौता हो जायगा तो वह आइटम लिया जा सकेगा। यह बात सही है कि विरोधी दलों और सरकारी पक्ष के बीच में समझौता हो गया है और जिस पर कल बहस थी कि वह प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय, सरकार ने उसको निकाल देना मंजूर कर लिया है। इसलिये यह आइटम ले लिया जाय, इसमें हम लोगों की सहमति है।

श्री उपाध्यक्ष—

तब तो फिर से प्रश्न रखना पड़ेगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन), विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 2, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973।

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन (सशोधन),अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उप-धारा (1) में—

(क) शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 1973" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 1973" रख दिये जायं।

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस बीच में उत्तर प्रदेश में शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा आरोपित करने की कोई विधि प्रवृत्त न हो जाय तो राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को बढ़ा सकती है, किन्तु 31 अक्टूबर, 1973 के पश्चात् नहीं।"

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973, के खंड 2 के उप खंड (क) में से कोष्ठक व अक्षर (क) और उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 2 के उप खंड (क) में से कोष्ठक व अक्षर (क) और उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 जसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधानन सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ.' आगे पृष्ठ 1139 पर।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट 1141 पर।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1144 पर।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह आज के एजेन्डे में तो है नहीं, कहां से पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ये आज के एजेन्डे पर नहीं है, अभी-अभी विधान परिषद् से आये हैं, उसकी सूचना सचिव सदन जी दे रहे हैं।

(अगला आइटम पुकारे जाने पर)

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। गत दिसम्बर मास में जो विधेयक विधान मंडलों के सदस्यों के बारे में उनको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के सम्बन्ध में कूपन दिये जाने के बारे में पास हुआ था, वह कूपन अभी तक हमें नहीं मिले हैं। माननीय मन्त्री जी कृपया बतला दें कि कूपन कब तक मिल जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न ऐसा नहीं है जो यहां उठाया जाय इस वक्त।

सरकार द्वारा गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लिये जाने की योजना पर चर्चा

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

आज हमारे देश में अन्न का संकट उपस्थित है।.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष जी के कमरे में सुन रहा था, अभी जो जमींदारी एबालिशन या जो बिल यहां पेश किये गये वे आज के एजेन्डे पर तो थे नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो केवल सूचना मात्र थे। उसकी सूचना दी गयी थी।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज अपने देश की खाद्य स्थिति नाजुक है, गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चूंकि अबकी बार अनावृष्टि रही है, देश के बहुत से हिस्सों में बारिश नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, इसलिये अन्न की पैदावार कम हुई और इसलिये अन्न का संकट देश के सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके बहुत ब्योरे में बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन 2 बात आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, जिससे यह प्रकट होगा कि इस सूखे के कारण खाद्य स्थिति नहीं बिगड़ी है। इसका थोड़ा असर अवश्य हुआ, लेकिन जो संकट आज हमारे यहां है, वह इस सूखे के कारण पैदा नहीं हुआ। मैं दो फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, सन् 70–71 में 10.78 मीलियन टन अर्थात् 10 करोड़ 78 लाख टन अन्न पैदा हुआ, जितना अधिक अब तक कभी पैदा नहीं हुआ था। उस पर बड़ी खुशियां मनाई गयीं। उससे हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि अब यह जो फालतू पैदा होने वाला है, उसे गवर्नमेंट कहां रखेगी, क्या उसका करेगी ? जबकि उस वक्त भी वास्तव में वह फालतू नहीं था। हिसाब से 2250 कैलरी एक आदमी को खाना चाहिये, जबकि उस उत्पादन के हिसाब से केवल 2116 कैलरी एक आदमी के हिस्से में आती थी, 134 कैलरी की फिर भी कमी थी। फालतू वह इसलिये था कि बहुत से लोगों के पास उसे खरीदने के लिये पैसा ही नहीं था। आज से नहीं सन् 63 से नेशनल सेम्पेल सर्वे के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 50 परसेंट लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाने को अन्न नहीं मिल रहा है। तो सन् 70–71 में भी पर्याप्त नहीं था, फालतू का तो सवाल ही नहीं था। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा उस वर्ष पैदा हुआ था। और सन् 71–72 में बढ़ने के बजाय 112 मीलियन टन का आंकड़ा था, आशा की गई थी कि इतना पैदा होगा। किन्तु उसके विपरीत अच्छा मौसम होने के बावजूद केवल 10.46 लाख टन यानी 10 करोड़ 46 लाख टन हुआ। इस प्रकार से आप देखें 32 लाख टन घट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। बारिश अच्छी हुई, और किसी किसी इलाके में ज्यादा हुई, फिर भी, जबकि 112 मीलियन टन का अनुमान था, 10 करोड़ 46 लाख टन हुआ। उस समय तो सूखा या अनावृष्टि नहीं थी, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अनावृष्टि के कारण यह उत्पादन कम नहीं हुआ।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था, वह यह है कि असल कारण यह है कि कृषि की तरफ हमारी कांग्रेस लीडरशिप ने ध्यान नहीं दिया, इसको सेकेन्डरी चीज समझा। बराबर व्याख्यान में कहा गया कि औद्योगिक तरक्की आर्थिक विकास की मूल जड़ है। इधर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से हजारों प्रयास के यह स्थिति पैदा हुई और वही सूरत अब भी है। मैं उसकी तफसील में न जाकर केवल यही कहना चाहता हूं कि अंग्रेज जब यहां से गये थे, तो उस समय कृषि क्षेत्र का 20 फीसदी रकबा सिंचित था और 25 साल के स्वराज्य के बाद वह बढ़कर केवल 30 परसेंट हुआ। जरा सी वर्षा नहीं हुई और देश के भूखों मरने की नौबत आ गई। अगर 50 फीसदी नहीं केवल 40 फीसदी रकबे में सिंचाई की व्यवस्था कर देते तो यह नौबत नहीं आती। जमीन कम आबादी इतनी ज्यादा और कृषि की तरफ ध्यान न देना, अरबों का गल्ला और रुई मंगा लेना। इतनी कोई लीडरशिप नेगलेक्टफुल हो सकती है कि लोग खाने के लिये दूसरों पर निर्भर रहें। अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिंचाई। उसकी तरफ इतना ध्यान कि 25 वर्ष में दस प्रतिशत रकबे का एक्सपेंशन हुआ, सिंचाई में। असल में लीडरशिप की नीति कृषि के प्रति उपेक्षा की है, उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। तो जिनके हाथ में गवर्नमेन्ट है, और जिनके हाथ में गवर्नमेन्ट नहीं है, उन का भी फर्ज है कि कोई तरीका निकाले कोई उपाय सोचे कि लोग भूखों न मरने पाएं। बाहर से अन्न जो लिया जा सके, वह लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद अन्न की कमी रहेगी। तो क्या किया जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से स्कीम है कि होलसेल ट्रेडिंग इन फूडग्रेंस, गवर्नमेन्ट के हाथ में आ जाय, गल्ले का थोक व्यापार गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले ले। पहले इरादा यह था कि अन्न ही नहीं और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं उन सबका व्यापार भी अपने हाथ में ले ले। उसके बाद गांधीनगर में यह तय हुआ कि नहीं, केवल फूडग्रेंस को लिया जाय। धीरे-धीरे यह रह गया कि गेहूं और चावल और अभी यह तय हुआ कि रबी में गेहूं और चावल अगली खरीफ में।

आज यह मालूम होता है कि प्रदेश में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इंटरमीडियरी है, दूकानदार वगैरह, उनको हटाया जाय क्योंकि उनकी तरफ से बहुत से नाजायज काम होते हैं, दाम बढ़ाते हैं, जनता का हित उनके सामने नहीं होता, अपना स्वार्थ उनके सामने होता है। गल्ला सब लोगों को पहुंच सके। यह आयडिया है। यह आयडिया समझ में आता है। बहुत मुनासिब है। लेकिन असल में उद्देश्य क्या है। असल उद्देश्य तो यह है कि जिन लोगों को गल्ले की जरूरत है उनको रीजनेबिल प्राइस पर मिल जाय। गल्ला किसान के पास से आयेगा। उसके दो रास्ते हैं। एकरास्ता यह है, जो 1967 में बनाया गया था कि गवर्नमेन्ट सीधे बड़े किसानों से ले। उनके पास फालतू गल्ले का अनुमान हो सकता है, पिछली पैदावार के लिहाज से, उनके रकबे को देखकर, इसका लिहाज रखकर कि उनके फार्म पर, उनके खेतों पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गयी है, सारा नहीं, पार्ट आफ दि सरप्लस लिया जाय।

गांव में गरीबों को, शहर में गरीबों को माकूल मूल्य पर वह गल्ला दिया जाय और किसान का कोई नुकसान न हो बल्कि इंसेंटिव हो कि गल्ला दे दें। बजाय इसके कानूनी कार्यवाही की जाय, तो प्राइसेज ऐसी हों जो उसके लिए रेमुनरेटिव हो। अपने आप दे देगा। गवर्नमेंट की तरफ से सबकी तरफ से समझा जाय कि देश पर मुसीबत आ गयी, उसके दिल को छुआ जाय तो गल्ला वह दे देगा। फिर जैसा मैंने कहा वह गल्ला जो आयेगा, इतना नहीं आयेगा कि सबको मिल जाय। सबकी जरूरत भी नहीं है। जो उसके पास फालतू बचता है वह हमने किसान के पास छोड़ दिया वह प्राइवेट ट्रेडर्स लें। जिन लोगों की अच्छी आमदनी है वह प्राइवेट

[श्री चरण सिंह]

ट्रेडर्स से खरीदें। लेकिन जो वलनेरेबिल सेक्शन है, जो गरीब हैं उनको खिलाने की जिम्मेदारी सरकार की हो एक यह रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि जो एंटायर सरप्लस किसान के पास है वह सरकार द्वारा सब ले लिया जायतो फिर जिम्मेदारी सरकार की है। 9 करोड़ जनता को सिवा प्रोड्यूसर के, खिलान की जो कस्बे में, तहसील में अथवा शहर में रहती है। ये दो कोर्सेज हमारे सामने हैं।

पहला रास्ता अगर अपनाया जाता है तो जो बहुत सी कठिनाइयां रास्ते में आने वाली हैं वे आपक सामने नहीं आयेंगी। इन्तजाम तब भी आपको करना होगा। दूसरे रास्त में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा मसलन आपको देखना होगा कितने किसान हैं। 9 करोड़ की आबादी में 2 तिहाई किसान हैं और 5 आदमियों का एक परिवार मान लिया जाय तो 1 करोड़ 20 लाख किसान के परिवार हुए। इनमें से आपने उन किसानों को छोड़ दिया जो दो एकड़ वाले हैं। मेरे अनुमान से 35 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 42 लाख घर आपने छोड़ दिये। 1 करोड़ 20 लाख घर में से 78 लाख घर ऐसे रह गय जिनसे सरकार को गल्ला लेना होगा और उसका सारा सरप्लस लेना होगा। सारा सरप्लस कितना होगा उसके लिये अनुमान राज्य कर्मचारी लेखपाल पर अन्ततोगत्वा भरोसा करना होगा। उससे गल्ती हो जाती है और ज्यादा गल्ला ले लिया जाता है तो किसान को परेशानी होगी जिसके कारण रेसिस्टेंस होगा। पहली स्कीम में पार्ट आफ दी सरप्लस लिया जा रहा है। अगर गल्ती हो जाती है राज्य कर्मचारी से और ज्यादा भी उसमें ले लिया जाता है तो कुछ न कुछ उसकी नीड के लिये रहेगा ही। लेकिन दूसरी स्कीम के मातहत आप एंटायर सरप्लस ले रहे हैं इसमें रिस्क है। जितनी जरूरत है उसको उतना भी आपने उसके पास नहीं छोड़ा और जो सरप्लस है उससे ज्यादा आपने ले लिया। अब 78 लाख किसान परिवार से आप सारा सरप्लस लेंगे। कौन सा आप इंतजाम करेंगे? कितन परचेजिंग सेंटर आप खोलेंगे मुझे मालूम नहीं। फिर ट्रेडर्स के जरिये मंडी में गल्ला लायेंगे जैसा 71–72 में किया गया तो उससे जो लोगों को तकलीफ होगी अथवा जो शिकायत पैदा होगी वह सबको मालूम है। बड़े-बड़े गांवों में अथवा 10, 5 गांवों में केन्द्र खोलेंगे तो आसानी से लोग आ जायंगे। पश्चिम में तो रिवाज है कि किसान जिसकी हालत अच्छी ह वह मंडी में खुद गाड़ी ले जाता है लेकिन पूर्व में दुकानदार का एजेंट या गांव का कोई दूकानदार किसान के यहां जाता ह और खरीद कर मंडी में ले जाता है वहां किसान खुद मंडी में नहीं जाता। तो वहां क्या कीजियेगा जहां किसान मंडी में नहीं जाता है।

इस स्कीम में आपको कितने राज्य कर्मचारी रखने होंगे जो पर्मानेन्ट नहीं होंगे। और वह नेसेसरिली टेम्परेरी होंगे। कितना करप्सन होगा, कितना ट्रान्सपोर्ट चाहियेगा, कितन आपको गोडाउन्स चाहिये? ट्रेडर जो हैं उसके गोडाउन्स और कोठी आप नहीं ले सकेंगे, न वे आपके काम आ सकेंगे, न आपको वे मिल पायेंगे और फिर इस सबसे आपको नुकसान कितना होगा? अच्छे से अच्छे इन्तजाम करके भी यदि गल्ला रखा जाता है तब भी नुकसान होता है। जिसको अपना प्राइवेट इन्टेरेस्ट है उसके कोटे में भी नुकसान हो जाता है कीड़े खा जाते हैं, सुरती खा जायगी और चूहे खा जायेंगे। इसके अलावा यदि गोदाम ठीक से न हो तो बारिस की वजह से गल्ले का नुकसान होगा। ओवर हेड कास्ट कितनी होगी? तो इस स्कीम के मातहत उपभोक्ता को ज्यादा दाम देना पड़ेगा 25 फीसदी या 30 फीसदी। अल्टीमेटली कन्ज्यूमर पर ही भार पड़ेगा। आज आप होल-सेल लेना चाहते हैं ट्रेड को, तो इसका मतलब यह है कि कोई राइवल परचेजर नहीं होगा। जब कोई राइवल परचेजर नहीं होगा और इसका मतलब यह होगा कि आप उसका सारा प्रोड्यूस नहीं ले रहे हैं। जब आप सारा उसका प्रोड्यूस नहीं ले रहे हैं तो फिर होल-सेल ट्रेड कहां हुआ? क्योंकि और भी ट्रेडर्स आपके साथ होंगे। तब तो और भी मौज है किसानों से कम दाम पर गल्ला ले लो।

मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से और जो मेरे दोस्त उधर बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप रूस का इतिहास पढ़िये। वहां पर क्या हुआ था? वहां के किसानों से गवर्नमेंट ने सस्ते दाम पर गल्ला लिया ताकि बाहर से उन्हें इंडस्ट्रीज डेवेलप करने के लिये पैसा मिले। किसानों ने गल्ला पैदा करना छोड़ दिया क्योंकि उनके गल्ले के कम दाम मुकर्रर किय गये। नतीजा यह हुआ कि वहां से 50 लाख आदमी साइबेरिया भेज दिये गये, मार दिये गये या कत्ल कर दिये गये। उनसे कहा जा रहा था कि वे कोआपरेटिव में आ जायं और कोआपरेटिव फार्मिंग से खेती करें। ऐसा करने के लिये वहां के किसान तैयार नहीं थे। खैर, मैं ज्यादा वहां की हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं वह बहुत लम्बी चौड़ी है। म यह मान भी लूं कि आप उस तरफ नहीं जाना चाहते लेकिन मैं आपसे पूंछना चाहता हूं कि आज प्लानिंग कमीशन में जो लोग वहां पर हैं उनकी क्या मानवता है, क्या साइकालौजी है और अपने देश के किसानों की प्रोब्लेम्स के प्रति क्या अन्डरस्टैंडिंग है। कांग्रेस अधिवेशन में जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, यू0 पी0 के, बंगाल के, मैसूर और गुजरात के उन सभी न जिनको कि इसका इल्जाम भुगतना पड़गा,अपन तरीक से विरोध किया और खामोश रहे किन्तु फिर भी वह पास हो गया।

मैं एक बात और माननीय सदस्यों से यह कहकर उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जनवरी 1959 में तीन आइटम्स नागपुर अधिवेशन में रखे गये थे और वे ये हैं—सीलिंग,कोआपरेटिव फर्मिग और स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स। सीलिंग अपनी जगह पर है, कोआपरेटिव फर्मिग अपनी जगह पर और स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स अपनी जगह पर। वही तीन बातों के बारे में आज भी वही कहा जा रहा है। इससे मालूम होता है कि आप रूस की नकल करना चाहत ह। क्यों पैदावार होगी खेतों में जब किसानों को छोड़कर आप हजारों एकड़ के फार्म बना देंगे। अमेरिका से फिर गल्ला मंगाने के लिये मजबूर होना पड़ा है और वह भी एक साल के लिये नहीं बल्कि तीन साल के लिये जिसमें 5 अरब साढ़े 47 करोड़ रुपया खर्च होगा। यूरोप में जहां किसान खेती करते ह वहां पैदावार ज्यादा है बनिस्बत रूस के जहां कोआपरेटिव फार्मिग होती है। रूस में किसानों की मर्जी के खिलाफ कोआपरेटिव फार्मिग कह लें या कालेक्टिव फार्मिग कह लें, करायी जाती है और गवर्नमेंट जबरदस्ती खेती कराती है, तो वहां पैदावार सबसे ज्यादा कम है। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस लीडरशिप के मन में ऐसा पड़ता है कि किसान जमीन हवा से निकालता है और वह अपने आपको हारमनी में नहीं पाता है। यहां के देहातों और किसानों के बारे में अध्ययन करने से उनको कोई मतलब नहीं है।

माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 28 मार्च, 59 को नागपुर कांग्रेस में पास हुए एक रेजोल्यूशन को पढ़ते हुए लोक सभा में एक बात कही थी। चलते चलते मुझे ख्याल आया तो कुछ प्वायंट्स में किताब से लिख कर लाया हूं। उन्होंने 28 मार्च, 59 को लोकसभा में कहा था "सीलिंग, कोआपरटिव फार्मिंग एंड स्टट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स आर कोरिलेटेड एंड शुड बी लुक्ड ऐज वन पिक्चर।" यानी सीलिंग, कोआपरेटिव फार्मिग और स्टेट ट्रेडिंग एक दूसरे से संबद्ध है। तो अध्यक्ष महोदय, किसान को यह भी अन्देशा हो सकता ह कि आप कम दाम पर उसका गल्ला लेंगे और अगर वह नहीं बोयेंगा तो उसके ऊपर जुर्माना करेंगे और फिर कहेंग कि जमीन कौम की होती है और 'एक्चुअली कौम की होती ह। हमने भी इस तरह के हजारों व्याख्यान दिये हैं। सरकार किसानों से कह सकती है कि तुमने गल्ला पैदा नहीं किया और स्वार्थ में फंसे हुए हों और मेहनत नहीं करते हो इसलिये गवर्नमेंट उसको चलायेगी। इस तरह का अन्देशा किसान को हो सकता है। इसके अलावा जो दूकानदार हैं, लाखों टन, मिलियन टन बेकार हो जायगा। कोई हर्ज नहीं है, और दूकानदार ज्यादा नफा करता है, नफा नहीं बल्कि प्रोफिटियरिंग करता है तो उसको दीजिये सजा, खतम कीजिये। लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ा नफा लेने वाले अपने यहां के 60 लाख लोगों अनइम्पलायड कर देंगे तो वे गरीब कहां जायेंगे। जो अनइम्पलायड पहले से है उनको ही आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह से अगर ये अनइम्पलायड हो जायेंगे तो एक बड़ी

[श्री चरण सिंह]

समस्या पैदा हो जायेगी। फेक्रिकेटेड हाउसेज बनाने जा रहे हैं, सड़कों के लिये मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और रोटी बनाने के लिये जो बेकरीज बनाते जा रहे हैं तो लाखों लोग जो उस रोजगार में लगे हुए हैं वे भी बेकार हो जायेंगे तो आपने कभी सोचा भी है कि उन बेकार आदमियों का क्या होगा ? यह बात दूसरी है कि आप प्रोफिटरियरिंग को रोकने की बात सोचें और उस पर सख्ती करें। मैं आपको बताऊं कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था और मुझे 8 महीने तक वहां काम करने का मौका मिला था तो उस समय भी गल्ले पर सेल्स टैक्स वगैरह लगाने के सिलसिले में वर्षों से जो मामला उलझा हुआ था उसके लिये हमने ट्रेडर्स के रेप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और इनमें बहुत से मुझे माकूल आदमी मालूम हुए और अन्त में वह मामला हल हो गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि अगर आप ट्रेडर्स से बात करें तो यह मामला हल हो जायेगा। उनसे बुला कर आप मशविरा करें वरना इतने आदमियों को बेरोजगार करके आप एक प्रोबलम खरीद लेंगे क्योंकि उससे लाखों आदमियों की बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जायेगी। कल ही केंद्र के खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अहमद का व्याख्यान हुआ है जो आज के पेपर में निकला है और उससे जाहिर होता है कि अब वे दूसरा कोर्स अपनाने जा रहे हैं। उनके अल्फाज यह हैं जो उन्होंने कंसल्टेटिव कमेटी आफ पार्लियामेंट में कहे हैं:—

'He said that the main objective of the decision was to eliminate the intermediaries between the producers and public agencies in the sphere of purchase of foodgrains and to ensure supplies to the consumer at a reasonable rate.'

यानी खरीदने वाले और उत्पादकों के बीच जो मिडलमैन (मध्यवर्ती) है उसको निकालना है। और यह जो खरीद करने वाली एजेंसियां फूड कारपोरेशन हो या कोआपरेटिव सोसाइटीज हों उनको और उपभोक्ता के बीच में से निकालना और सारे इंटरमीडियरीज को निकालना और सब उपभोक्ताओं तक गल्ला पहुंच जाय और यह महान गलती उन्होंने स्वीकार की कि इस स्कीम को कामयाब बनाने में बहुत सी कठिनाइयां रास्ते में हायल होंगी जिन्हें हल करना है। वे कठिनाइयां जो हमारा सेट अप है उसमें बिलकुल हल नहीं हो सकती हैं, उसके लिये आपको बड़ा जबरदस्त इंतजाम करना होगा। रोज हमारे राज्य कर्मचारियों की एफीशियेंसी के बारे में आती रहती हैं शिकायतें कि उनका परफारमेंस दिन पर दिन निम्न से निम्न होता जा रहा है और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने शिर पर लेना चाहते हैं और सारे लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी आसान नहीं है, इतनी बड़ी आबादी, एक तिहाई आबादी किसानों की निकाल दो, कैसे करोगे, सोचो, कल्पना करो, केवल डिसिप्लिनरी ऐक्शन का हिपप रख देने से काम नहीं निकलनेवाला है जिससे सारे चीफ मिनिस्टर्स मजबूर हो जावें और करें। मैं उपाध्यक्ष जी, बतलाना चाहता हूं कि इसमें आप फेल होंगे। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन जनता को नुकसान होगा और आपकी बदनामी होगी, अगर कोई नेकनामी बाकी रह गयी है थोड़ी बहुत वह भी खत्म हो जायेगी। यह मैं भविष्यवाणी करता हूं, इसमें कोई अक्ल की बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपको इनमें अब भी कोई नेकनामी दिखाई देती है ?

श्री चरण सिंह—

इनके कारनामों से इनकी बदनामी हो कोई बात नहीं है लेकिन है तो यह यू० पी० की गवर्नमेंट केवल पंडित कमलापति त्रिपाठी की नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि पहली वाली स्कीम को आप लें जिसे सन् 1967 में अपनाया गया था। अगरचे उस वक्त भी कांग्रेस वालों

ने उसका विरोध किया था। लेकिन जगजीवनराम जी ने पहले तो कहा था कि यह स्कीम अच्छी है यू० पी० की लेकिन बाद में फिर उसका विरोध करने लगे लेकिन मैं आपसे साफ कहता हूं कि इस पक्ष के लोग और हमारे बी० के० डी० के लोग इसको सपोर्ट करेंगे, हम आप के साथ कोआपरेट करेंगे लेकिन अगर उसे करना है तो एक बात करनी पड़ेगी और वह यह कि गल्ले की प्राइस अच्छी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि करप्शन न हो तो परचेजिंग सेन्टर्स पर सब चीजों का इन्तजाम करना पड़ेगा। वह फूड पैदा करते हैं लेकिन उसे नान एग्रीकल्चरल चीजों की जरूरत होती है, जैसे लोहा है, सीमेंट है, गैरजरूरती चीजें वह सभी चीजें यह सही है कि आपके पास ज्यादा देने के लिये नहीं हैं लेकिन जितनी भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हों वह सब किसानों के लिये मौके पर दीजिये और उधर से गल्ला लीजिये। जितना दे सकते हों उनको उतना उनको उसी के परचेजिंग सेंटर पर उपलब्ध करा दो। तो पहली स्कीम लागू करो और उसमें हमारा कोआपरेशन आपके साथ होगा। वरना दूसरी स्कीम अगर आपने लागू की तो वह आपकी सामर्थ्य के बाहर है और वह इस सरकार की सामर्थ्य के बाहर है। इससे आप बचिये, बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

चौधरी साहब कृपा करके यह बतलावें कि क्या यह किसानों के लिये रिम्यूनरेटिव चाहते हैं। आपने अच्छा ही किया जो अब रिम्यूनरेटिव प्राइस को किसानों के लिये स्वीकार कर लिया।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र जिम्मेदार पार्टी के मेम्बर रहे हैं। आज उन्होंने मुझ से सवाल किया है इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने इलेक्शन मनीफेस्टो देखा होगा उसमें, यह शब्द लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा में ऐसा होता है कि जो उसको प्रस्तुत करता है वह संक्षेप में अपने विचार रखता है। इसके बाद सरकार का संक्षेप उत्तर आता है। इसके बाद बहस होती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, चर्चा में जरूर ऐसी बात होती है जैसा आपने कहा है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, एसी बात भी होती है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा होती है तो विरोधी दलों के नेताओं को समय पहले दे दिया जाता है। फिर सरकार की राय आती है। अब समय बहुत कम रह गया है। अभी सरकार का उत्तर आयेगा। फिर कैसे यह सम्भव हो सकेगा कि आप किसी व्यक्ति को समय दे सकें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इसकी चर्चा का समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रस्ताव आज के एजेंडे में पढ़ने को मिला कि होल सेल टेक ओवर और स्टेट ट्रेडिंग के बारे में माननीय चौधरी साहब अपनी राय रखने वाले हैं, तो मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। मैं जानता हूं कि चौधरी साहब इनीशियली एक किसान हैं और इस मसले के इम्पलीकेशन्स को वे अच्छी तरह से समझते हैं। उनके भाषण से जो बात निकलती थी वह

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

उन्होंने सरकास्टीकली कही। लेकिन वह छिपी नहीं रह सकी अगर आपका नाम कुछ बाकी रह गया है तो चौधरी साहब को मेरे नाम की जैसा कि वह मौजूद है, उनके मन में परोक्ष रूप से यह बात थी कि इसके संबंध में बहुत अच्छे सुझाव दिये जायं और वह इस बातको जानते थे कि इस स्कीम के ऊपर विशद रूप से विचार हो रहा है और ऐसे समय में उनके सुझाव हमारे लिये बड़े सहायक सिद्ध होंगे। वे बड़े बुजुर्ग हैं और तजुर्बेकार हैं और उनके सुझाव हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और उनसे हमको बड़ी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही साथ माधवप्रसाद जी त्रिपाठी का रुख देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे बड़े उत्सुक हैं अच्छी बात को बताने के लिये। यह बड़े उपयुक्त समय से काम हो रहा है। अभी माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कहा कि हम लोग बिलकुल हारमोनियम एटमोसफियर में चल रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इस विषय पर मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि माननीय चौधरी साहब के भाषण में मैंने एक चीज मार्क की। उनका भाषण दो प्वाइंट को लेकर शुरू हुआ। लेकिन आगे चलकर उन्होंने एकांगी मारकेटिंग सरप्लस की बात ही उन्होंने कही और उसी के बारे में उनके सुझाव आते रहे। अगर उनकी पहली राय मान ली जाये और उस पर अमल करन लग जायं तो उनकी राय नहीं मिल पायगी। मैं चाहता था कि वे दोनों प्वाइंट्स पर अपनी बात सोचते और हमारे सामने दोनों प्वाइंट्स पर सुझाव आते जिनसे हमारा पथ प्रदर्शन होता। लकिन सेकिंड प्वाइंट पर ही हमारे सामने उनकी राय आई और पहले सवाल पर नहीं आई। अगर मारकेटिंग सरप्लस की बात गवर्नमेंट सोचती है तो बी०के०डी० के लोग हमारा साथ देंगे। यह हमारे लिये बड़े इनकरेजमट की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि बाकी माननीय सदस्यों की राय मेरे सामने आ जाने दीजिये। इसके बाद मैं विशद रूप से उत्तर दूंगा।

श्री चरण सिंह--

मैंने कहा कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि बड़े किसानों से पार्ट आफ दि सरप्लस ले लिया जाये। मेरा मतलब था कि पार्ट आफ देयर सरप्लस लिया जाय। जो स्कीम पहले की है उसका ही मैं समर्थन करता हूं लेकिन यदि वह सभी किसानों से सरप्लस लेना चाहते हैं तो वह उचित न होगा, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हुई मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया लेकिन मेरा, मतलब यह था कि जो गल्ला किसी किसान से लिया जाय वह मार्केटिबिल सरप्लस है और जो बाद में लिया जाय उस को मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। मेरा मतलब मार्केटेबिल सरप्लस स नहीं था बल्कि मार्केटेड स था, आपने मार्केटेबिल की बात कही, मार्केटेड की नहीं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

मंत्री जी पहले अपने होलसेलट्रेड की रूप रेखा बता दें कि उनकी योजना क्या है।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

अभी इस पर चर्चा हो रही है, आपके विचारों और सुझावों से हम लाभान्वित होंगे और उसके बाद हम आप के सामने उनकी रोशनी में जो रूपरेखा अभी बन रही है उसको रखेंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, हमारी सरकार ने गल्ले का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। वैसे इस विषय के हर पहलू पर माननीय चौधरी साहब ने प्रकाश डाला है और अधिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष बातें हमें अब कहने को नहीं हैं लेकिन हम अपने कुछ विचार भी इस सम्बन्ध में सदन के सामने रख देना चाहते हैं।

पहली बात तो हम यह कहते हैं कि सरकार ने यह बड़ी भूल की है। इसके जो कुछ परिणाम होंगे वे अवश्य ही समाज के लिये और प्रदेश के लिये हानिकारक होंगे। अच्छा होता कि सरकार एक राइवल ट्रेडर की तरह एक रेमुनेरेटिव कीमत पर गल्ले की खरीदारी के लिये बाजार में उतरती। इस तरह से एक फ्री मार्केट की स्थिति रहती और उससे कीमतें भी नहीं बढ़तीं और जो दुर्गुण इस सारे ट्रेड को लेने के कारण पैदा होने वाले हैं वे न होते। एक अन्य परिणाम इसका यह भी होने वाला है वह यह कि उनकी मनशा ही खब्त हो जायगी और उससे न तो ट्रेड का ही लाभ होगा और न उपभोक्ता का। दूसरे मुझे तो इस बात का भी पूरा विश्वास है कि एक बात जो माननीय चौधरी साहब ने यहां बढ़कर कह दी, पता नहीं उन्होंने वह क्यों कह दी, लेकिन वह अपने इस कमिटमेंट को निभा नहीं पायेंगे। अगर वह निभा पायें तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह इस अपने कमिटमेंट को निभाने में असफल होंगे। सारे ट्रेड को लेकर सही वितरण अनाज का वह सही ढंग से कर सकें, सब के पास समय से अनाज पहुंच सके, सही कीमत पर उचित मात्रा में पहुंच सके। एक जबरदस्त आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ेगी और इससे प्रदेश में तरह-तरह का करप्शन बढ़ेगा, हर तरह का क्लेनडेसटाइन ट्रेड बढ़ेगा। इसके अलावा जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, जो अनाज के व्यापार की व्यवस्था है कि उसमें लाखों आदमी लगे हैं वे सब बेकार हो जायेंगे। एक तरफ प्लानिंग कमीशन बेकारी दूर करने की बात कहता है और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी नई बेकारों की फौज तैयार करेंगे।

मैं अपनी बात को ज्यादा विस्तारपूर्वक न कहकर केवल थोड़ा ही संक्षेप में कहूंगा। एक बात यह कि कृषि विभाग के एक वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की ओर से लिख दिया गया कि 20–22 लाख टन अनाज सरकार खरीदेगी और इस कार्य में 174 करोड़ रुपया खर्च होगा। कहते हैं कि केवल गेहूं खरीदेंगे। सवाल यह है कि यह रुपया कहां से आयेगा? यह इन्सटीट्यूशंस आफ फाइनेंसिंग से आयेगा जो बैंक वगैरा हैं उन से आयेगा और आप जानते हैं कि बैंक का ब्याज का रेट आज सवा 9 और साढ़े 9 प्रतिशत से कम नहीं होता। यह किस खाते से और कहां से या सब चुकायेंगे।

दूसरी बात जब ये अनाज के व्यापार को अपने हाथ में लेंगे, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, भंडार का प्रश्न इनके सामने आयेगा। इनके पास जितना गल्ला मौजूद है उसके लिये ही उपयुक्त भंडार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और न इतने समय में कर ही सकते हैं। ये स्टोरेज की व्यवस्था ही नहीं कर पायेंगे। 3 वर्ष के अन्दर अर्थात 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का लगभग 22 करोड़ रुपये का स्टोरेज में लौस हुआ है। मेरा अनुमान है कि इनका भी 3 या 3 1/2 करोड़ रुपये से कम लौस स्टोरेज में नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये उसे किस खाते में डालेंगे?

तीसरी बात मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो भंडार बनवायेंगे, उसके लिये भी जो पैसा खर्च होगा वह कहां से लायेंगे?

चौथी बात ट्रान्सपोर्ट की है, उसमें कैसे करेंगे, उसे यहां से वहां कैसे ले जायेंगे, इस पर भी जो पैसा व्यय होगा, वह ये कहां से लायेंगे?

पांचवीं बात इसमें लाभ होने की कोई स्थित है ही नहीं क्योंकि काम करने वाले हानि और लाभ की भावना से काम नहीं करेंगे। एक तरह से इसका सरकारी करण होगा। मैंने चहवाण साहब का भाषण पढ़ा। उन्होंने कहा है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन जिस आशा के साथ किया गया था वे आशायें पूरी नहीं हुयी हैं। छोटे और साधनहीन व्यक्तियों को ऋण देने के लिए जो उद्देश्य बनाया था वह भी पूरा नहीं हो पाया और उसमें गड़बड़ियां हैं। सरकारीकरण के कारण आज जो दुर्गति हो रही है बैंकों की उसे अन्दाज लगाया जा सकता है कि गल्ले के

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने से, जिस पर सारे समाज का जीवन निर्भर होगा क्या दशा होगी। मैं समझता हूं इस प्रश्न पर भी इन्होंने विचार नहीं किया है।

छठी बात मुझे रेल्वे फ्रेट के बारे में कहनी है। उसमें जो रुपया व्यय करना पड़ेगा वह कहां से आयेगा? क्या इन्होंने कभी इसका भी हिसाब लगाया है? इशू और खरीद की क्या प्राइस होगी? अगर डिफरेन्स रहेगा तो क्या स्थिति होगी। इस समय आप गेहूं 76 पये प्रति क्विंटल ले रहे हैं और यही लैवी का रेट रहा तो 110 पये के हिसाब से आप देते हैं और वह बीच का मुनाफा कहलाता लेकिन क्या यही रेट फिक्स करके विश्वास है कि प्रोडक्शन में काश्तकार जो रुपया लगाता है, उसको कोई रैम्युनरेटिव प्राइस मिल रही है, क्या इससे उसका इन्सैन्टिव बढ़ेगा? यदि काश्तकार को उतना दाम न मिला जितना वह प्रोडक्शन में लगाता है तो उसका खेती करने में कोई मन नहीं लगेगा, वह हतोत्साहित हो जायगा। इस समय बाजार में चने का क्या भाव है? और गेहूं का खुले मार्केट में क्या भाव है। गेहूं का भाव चने के भाव से कम है। चना 100 रुपया प्रति क्विन्टल से अधिक है। लेकिन गेहूं इससे कम दाम पर बिक रहा है अगर यह स्थिति है तो काश्तकार क्यों गेहूं और चावल बोयेंगे। वे ऐसा अनाज बोयेंगे जिनके दाम अधिक हैं। उसे आज मोटे अनाज की कीमत अधिक मिल रही है। क्या आपने कभी इस पर भी विचार किया है खुले मार्केट में अगर उसे अधिक दाम मिलते हैं तो आप उसका गला क्यों दबोचते हैं। दो सबसे बड़ी हानि उसकी होगी जो पैदा करता है। उसकी स्थिति किसी भी हालत में संभलने वाली नहीं है। तो रूस की स्थिति को सफरमैना बन कर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि काश्तकार अपने आप खेती करना ही छोड़ दें।

साधारण सी चीज है। पब्लिक सेक्टर में यह चीज जा रही क्या इसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ है। उसका केवल एकउदाहरण देना चाहता हूं। पांच सौ करोड़ का नुक्सान हो चुका है। इस पर कभी आपने देखा। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। उसमें तुलनात्मक दृष्टि से चीजें रक्खी ह। पब्लिक सैक्टर का पांच सौ करोड़ रुपया लगा लागत का और प्राइवेट सैक्टर का पांच सौ करोड़ रुपया। यानी दोनों एक समान लगे। पांच करोड़ की लागत से चली हुई फैक्ट्री में एक सौ पांच करोड़ पये निकले और प्राइवेट सैक्टर तीस परसेन्ट इन्कम टैक्स दिया गया। इस तरह से आप यह सोच सकते हैं कि प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में ऐसे मामले में जिसमें अभी तक चला आरहा था कोई बेसिक इन्डस्ट्री का प्रश्न नहीं था उन्होंने होलसेल मोनोपोली लेने की बात क्यों सोची। अगर इसमें मोनोपोली ले लेंगे तो इस ट्रेड में किसी काश्तकार को आल्टरनेटिव नहीं रह जायेगा। इन्हीं को देगा सारा गल्ला वह इन्हीं के पास पहुंच जायेगा। तो मान्यवर, इनकी क्या स्थिति होगी। ये करायेंगे किससे काम अब मान्यवर उपभोक्ता बीच में आ गये। उपभोक्ता के पास यह अनाज कैसे पहुंचेगा। इनका सोर्स क्या है। इनकी सहकारी सन्स्थाओं का परफार्मेन्स क्या है। ये किस प्रकार लूट रहे हैं और रक्त चूस रहे हैं। सहकारी संस्थायें जो काम करती हैं अनाज के क्षेत्र में उनसे काम लिया गया है। तो भगवान मालिक है। मान्यवर, उसके बाद सप्लाई डिपार्टमेंट आता है, जो हैन्डिल करेगा सीचुएशन को। मुझे ठीक ठीक स्मरण है। जब हम लोग पढ़ते थे तब सप्लाई डिपार्टमेन्ट नहीं था। जब से यह खुला तब से करप्शन पहुंच गया। इन्होंने बीज देने और खाद देने में बड़ी अगुवाई की। मान्यवर फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया अनाज चलता है तो वह हमारे गोदामों तक आता खराब-आता हो जाता है। यह तो करप्शन उन्हीं की ओर से आताहै। जब वह आता है गरीब उपभोक्ता के लिये तो उसकी स्थिति क्या जाती है इसको आप स्वयं सोच सकते हैं। वह उसको लेने के लिये तैयार नहीं रहता। उससे कम कीमत का कभी मिलता है तब वह भी मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है।

दूसरे सप्लाई डिपार्टमेन्ट का करप्शन सोच लीजिये। फेयर प्राइस शाप पर भी उसी दाम पर कीमत नहीं मिलती है क्योंकि सप्लाई इंसपैक्टर को जो पैसा मिलता रहता है, उससे ऐसा

होता है। जब यह कारोबार उनको दे दिया जाता है तो भी अन्दाज नहीं लग सकता है कि क्या होगा। जिसमें पब्लिक का न विश्वास प्राप्त किया है और न वे उनका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। दूकानें दस से चार बजे तक खुलेंगीं। इसके बाद जरूरत पड़े तो कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। मैं इसीलिये कह रहा था कि ऐसी स्थित उत्पन्न हो जायेगी अगर ट्रेड सरकार ने अपने हाथ में में लिया। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था अब पुनः कहता हूं कि सरकार को चाहिये था कि वह राइवल की तरह उतरती तब कहीं इसमें सुधार हो सकता था। लेकिन सरकार ने सब अपने हाथ में ही ले लिया। जैसे कि पब्लिक सेक्टर की हालत हो रही है वैसी ही स्थिति होगी। खाने के लिये भी करप्शन टाप पर पहुंच गया है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। जैसा कि नारा दिया था कि गरीबी हटाओ उसने हैडलाइन्स को कैच कर लिया था आज यह होलसेल ट्रेड ने भी किया है इसने भी हैडलाइन्स को ही कैच किया है, चाहे उसने बाद में आपही को भ्रम में डाल दिया है। यह सरकार तो मान्यवर इस समाज को न जाने किधर ले जा रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पुनर्विचार करने में लगी है। पहले बड़ी तेजी से चली थी कि फूड का होलसेल ले लेना चाहिये। केन्द्र से और प्रान्त से भी वही आवाज आने लगी थी। लेकिन जब सम्हलकर सोचना प्रारम्भ किया है तब इनकी गति धीमी हो गई है। मेरा निवेदन है कि यह होलसेल फूडग्रेन्स का अपने हाथ में न लें नहीं तो अनर्थ हो जायेगा बेकारी और अनएम्प्लायमेंट की दृष्टि से हममें और चौधरी साहब में कुछ फर्क है। गालिबन इनके दिल में कुछ मुहब्बत बाकी है लेकिन मेरे दिल में कांग्रेस के लिये कोई मोहब्बत बाकी नहीं है क्यों कि हर पहलू से मैंने उसको सड़ा पाया। इसलिये अच्छा होगा यह पुनः विचार करें और होलसेल ट्रेड को छोड़ दें।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब की सारी बातें सुनने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी बड़े किसान के पास अगर उसको अपनी जरूरत से ज्यादा बच जाता है तो क्या यह सरकार सारे बचे हुए अन्न को ले लेगी या कुछ हिस्से को लेगी। अगर सारी बची हुई अन्न को सरकार ले लेती है तो जो उनकी आवश्यकतायें हों जिन्हें उसने सोच रखा हो तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। मान्यवर, मैं चौधरी साहब का बड़ा आदर करता हूं और आज भी उनकी बुद्धि और विवेक का आदर करता हूं। सरप्लस या बचने का मतलब यही होता है कि जो उसकी आवश्यकता है उसके बाद जो उसे ही सरप्लस कहेंगे। यह निश्चित है कि कोई भी सरकार जो कि कल्याणकारी राज्य की जनता से सम्बन्ध रखती हो यह नहीं चाहेगी कि काश्तकार को कठिनाई में डाल कर उससे उस अन्न को ले ले जो कि वह देना नहीं चहता। मार-केटीबुल सरप्लस या मारकेटेड सरप्लस का इसलिये सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उसकी आवश्यकता स बचेगा वही सरप्लस है।

श्री चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। मारकेटेबुल सरप्लस कह लो या होल आफ दि सरप्लस कह लो। होल आफ दि सरप्लस लेंगे या पार्ट आफ दि सरप्लस लेंगे। अगर आप पार्ट आफ दि सरप्लस लेंगे तो बाकी को ट्रेडर उनसे लेगा और अगर सारी सरप्लस लेंगे तो आप उसको निभा नहीं पायेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं उनकी बात से बहुत ही सहमत हूं कि इसको लेने में सरकार के सामने बड़ी कठिनाइयां हैं। इसमें दो राय नहीं। सबसे बड़ी कठिनाई गोदाम की है। दूसरी कठिनाई 174 करोड़ पया जुटाने की है। तीसरी कठिनाई साढ़े आठ परसेन्ट ब्याज की है। स्टेट बैंक आफ इंडिया से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

बात कर रहे हैं। वह तैयार होंगे या नहीं, यह भी एक सवाल है। उसके बाद भी कठिनाइयां हैं। हमारी जरूरत 24 लाख टन की है। हम 14 लाख टन के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। दो चार लाख टन के लिये कोशिश कर रहे हैं कि खुले भंडार होंगे। चार छः लाख टन के लिये कोई व्वयस्था नहीं है। उसके लिये हम उनसे बातचीत कर रहे हैं जिनसे यह व्यापार ले रहे हैं। यह उनकी मर्जी पर है कि वह किराये पर हमें जगह देंगे या नहीं इसी तरह से सूद वाली बात है। जब तक भारत सरकार से आश्वासन नहीं मिलता कि वह सब्सीडाइज करेंगे या नहीं तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिये बड़ा भारी बोझ होगा। या तो नये टैक्जेशन करना पड़ेगा या ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि अपने सीमित साधनों को बढ़ा सकें और खर्च को कम कर सकें। यह सारी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब से निवदन करना चाहूंगा कि इसी सदन में दो साल से बार-बार विरोधी पक्ष से सुझाव आया है कि सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। जब-जब गल्ले की कमी है तो बनिये के खिलाफ इतना प्रचार हुआ कि सरकार को चाहिये कि फौरन इस ट्रेड को अपने हाथ में ले ले।

श्री चरण सिंह—

इसके लिये बी० के० डी० ने कभी यहीं कहा है।

श्री राजमंगल पांडेय—

इस सदन की दूसरी पार्टीज ने कहा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

विरोधी पक्ष में मैं भी आ जाता हूं। मेरी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकार बनियों और पूंजीपतियों से मिली हुई है और वह थोक व्यापार को लेना नहीं चाहती है, ऐसे आक्षेप आते हैं। ऐसा श्री अनन्त राम जायसवाल ने कहा है और जब उनकी बात मान ली गई तो कहा जाता है कि यह नहीं होना चाहिये। समझ में नहीं आता है कि आखिर हम वह कौन सा आचरण करें कि सारे विरोधी पक्ष के लोग खुश रहें। कहा जाता है कि यह व्यवहारिक नहीं है। आखिर हम सारे जनमत की भावना का आदर करते हुए इस नये एक्सपेरीमेन्ट को करें या न करें। आज जो सैकड़ों साल का इतिहास है वह हमें बतलाता है कि जब कमी होती है तो यह वर्ग कीमतें बढ़ा देता है। क्योंकि उनके पास पूंजी होती है और वह शुरू में खरीद लेते हैं। बाद में ऊंचे भाव पर बेचते हैं। काश्तकार की हैसियत गल्ला रखने की होती नहीं है और दूसरी वस्तुएं भी उसको लेनी पड़ती है। तो सरकार इसको अपने हाथ में ले ले ताकि किसानों की रक्षा कर सके। छोटे-छोटे काश्तकारों को हम पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं और सरकार ने इसी कारण से यह कदम उठाया है। यह बड़ा साहसिक कदम है। कोई भी सरकार इस कार्य को करेगी तो व्यवहारिक कठिनाइयां आवेंगी। विरोधी पक्ष को तो बधाई देना चाहिये कि ठीक से कार्यान्वयन न होने से इससे हमारे ऊपर बदनामी आ सकती है। उसको हम उठाने को तैयार हैं। चौधरी साहब ने कहा कि जिसके पास प्रतिष्ठा है, उसको सोचना चाहिये, जिसके पास नहीं है वह क्या सोचेगा। मैं तो यह कहता हूं कि प्रतिष्ठा सरकार की है या नहीं इसका निराकरण मेरे या उनके कहने से नहीं हो सकता है। यह बात तो साल डेढ़ साल में सामने आ जावेगी। हमने जनमत का आदर करते हुए यह साहसिक कदम उठाया है। इसमें बड़ी दिक्कतें हैं और हमारी बदनामी भी हो सकती है। इसका सही रूप भी अभी हमारे सामने नहीं है कि इसकी कौन-कौन सी एजेन्सी होगी। हम किस-किस से कर्ज लेंगे।

श्री हिम्मत सिंह--

जनमत का आदर करते हुए किया है, यह आपने कहा है, तो आप तो लाखों रुपये एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 पर खर्च करते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय--

कौन कितना खर्च करता, यह ऐसा सवाल है, जिस में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । लोगों को बी0 के0 डी0 का टिकट मिला और जीप और 10, 10 हजार रुपये भी मिले ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आपके यहां ही गाड़ियां मिलती हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

यह तो आपको अपने नेता से शिकायत होनी चाहिये । हम यह कार्य जनता की भावना और विरोधी पक्ष की भावना के कारण करना चाहते हैं । इस डिबेट को भी हमने इनीशिएट नहीं किया है । यह डिबेट माननीय चौधरी साहब ने इनीशियेट किया । हमारे सामने यह लक्ष्य जरूर है कि सरकार 80 प्रतिशत गरीबों को, जिनका ये शोषण करते रहे हैं और सस्ते दर पर गल्ला खरीदकर दूने दाम पर बेचते रहे हैं, उनको इनके चंगुल से मुक्त किया जाय । यह निर्णय हमने लिया । अब इसकी क्या रूपरेखा होगी । अभी इसके बारे में विवाद भी जारी है । यह निर्णय किसी पार्टी बन्दी और दलबन्दी के आधार पर नहीं किया गया। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सारे विरोधी पक्ष के नेताओं से बातचीत की जाय कि इसकी क्या रूपरेखा होगी । हम किस तरह से क्या करें । हम भारत सरकार से सबसिडी की मांग करते हैं । वह हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं । हम गल्ला कितना और किस रेट पर खरीदें और बेचेंगे । कितना खर्च लगेगा । जब बाजार में जायेंगे तो जो गल्ला खरीदा गया है, कहीं ऐसा न हो कि व्यापारी जिस रेट पर देता है, उससे महंगा हो जाय । ये सारी चीजें हैं । तो इस पर बेकार की बहस की जाय, तो यह बात उचित नहीं होगा । हमको और आपको मिलकर विचार करना है और इसको कामयाब बनाना है ताकि सरकार सारा फूडग्रेन अपने हाथ में ले और वितरण भी अपने हाथ से करे जिससे कि हम गरीब किसानों को गरीबी के चंगुल से मुक्त कर सकें और उसकी जरूरत के मुताबिक उसको गल्ला दें सकें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो योजना इनको प्रस्तुत करनी चाहिये थी, वह तो इन्होंने किया नहीं । कहा यह है कि विचार हम जरूर कर रहे हैं--सुझाव आ जाय तो विचार करेंगे । ये सारी बातें ह । दूसरी तरफ रोज अखबारों में यह बयान हो रहा है कि सरकार खाद्यान्नों का व्यापार करना चाहती है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार इस व्यापार का सरकारीकरण करना चाहती है--यह जो बिचवैया है, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में, उसको खतम करना चाहती है । उद्देश्य इनका क्या है ? यह उद्देश्य साफ नहीं हो सका । उदाहरण के लिये, श्रीमन्, इन्होंने कृषि मूल्य आयोग की कीमत के अनुसार प्रदेश में 76 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की और करीब-करीब मोटे तौर पर उपभोक्ता के पास पहुंचा 100 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से । मैं मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जरा बता दें कि राशन की दूकानों पर किस दाम से बेंचना चाहते हैं....

श्री यादवेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, तो उनको जानकारी कर के बोलना चाहिये था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हमको जानकारी करके बोलना चाहिये था और जब जानकारी नहीं थी तो आप को सिर नहीं हिलाना चाहिये था ।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

हमको जानकारी थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

तो बतायें क्या है?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

हम उसमें फंसने वाले नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सच्चाई यह है, श्रीमन्, कि इनको 100 रु0 क्विन्टल के हिसाब से इनको सारी की सारी रास उपभोक्ता को देनी पड़ रही है । अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि 76 रु0प्रति क्विन्टल की खरीदारी की और उसके रखरखाव आदि पर जो खर्च बैठ रहा है, उसको देखते हुए यह सरकार के लिये कतई मुनासिब नहीं कहा जा सकता । इसलिये आज जो हालत है कि क्या यह सरकारीकरण जो होने की सम्भावना है और जिसको सरकार कह रही है इनके उस उद्देश्य की पूर्ति के खिलाफ तो नहीं जा रहा है जो उद्देश्य इन्होंने राज्य व्यापार खाद्यान्न के सिलसिले में निर्धारित किया था ? श्रीमन्, संयुक्त कांग्रेस के 10 सूत्री कार्यक्रम में इस बात को भी शामिल किया गया था लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ताओं की जेब काट ली जाये और उसका सरकारीकरण कर लिया जाए । इतना ही नहीं, इन्होंने जो बात कही उसको आज तक साफ नहीं कर सके कि इनका उद्देश्य क्या है । किसान को कितनी पैदावार बढ़ानी चाहिये और उत्पादन बढ़ाने के लिये कितनी सुविधा मिलनी चाहिये, यह तो अलग सवाल है और इस पर विस्तार से चौधरी साहब ने बात बतायी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस थोक व्यापार की सीमा आप क्या निर्धारित करना चाहते हैं और खरीदारी की आप कौन सी एजेन्सी रखना चाहते । खरीदारी की एजेन्सी के रूप में इन्होंने भारतीय खाद्य निगम को अपना एजेन्ट मुकर्रर किया था और उसी खाद्य निगम के विरुद्ध एक बार नहीं अनेक बार चार्जेज लगाये गये कि उसमें बेहद भ्रष्टाचार है, तोल में गड़बड़ी करते हैं और कीमतों में गड़बड़ी हो रही है । मन्त्री जी ने यह कहा था कि भारतीय खाद्य निगम अगर गड़बड़ी कर रहा है तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, मैंने उसको एलाट नहीं किया था और चूंकि वह खरीदारी कर रहे हैं इसलिये हम इस पर विचार करेंगे । फिर इन्होंने दूसरी तरकीब निकाल दी कि कुछ सहकारी समितियां खरीदेंगी । मर्जजहां का तहां रहा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक बढ़ता चला गया । यह हालत है खरीदारी की । जब मन्त्री जी बोलेंगे तो इस मामले को साफ करेंगे कि उनकी खरीदारी की मशीनरी क्या होगी ।

जब माननीय बेनी सिंह अवस्थी जी खाद्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था इस सदन में और इन्हीं राज्य मन्त्री जी ने उसको पढ़ा था कि हमारे पास गोदामों की समस्या इतनी बड़ी हो गयी है कि हम खरीदारी करने में एकदम असफल हो रहे हैं । आपका स्टेटमेंट इस सदन में है, इंकार करने से काम नहीं चलेगा । उस समय इनडायरेक्टली इन्होंने यह कहा था कि हरित क्रांति ने यह समस्या पदा कर दी है जरा गौर करिये हरित क्रांति ने यह समस्या पैदा कर दी है । इनके पास इन्तजाम नहीं था और ये लक्ष्य की बात कहते हैं । ये जो खरीदारी और वितरण की बात कर रहे हैं क्या ये महज शहरों तक अपने को सीमित रखेंगे या देहातों तक ले जायेंगे? शहरों तक अगर सीमित रखना चाहते हैं तो टोटल राशनिंग के जो नतीजे जनता के

साम ने आए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं और अगर इसको देहातों तक ले जाना चाहते हैं तो जो मशीनरी आपके पास है उससे काम चलने वाला नहीं है। आप 20 लाख टन खरीदारी की बात करते हैं। आपने अपने स्टेटमेन्ट में उसका हिसाब दिया था। जब सारी खरीदारी और सारा वितरण आपके हाथ में होगा तो ओपिन मार्केट जैसी कोई चीज नहीं होगी। उसमें इनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न मुहैया करें और जब उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न मुहैया करने का सवाल पैदा होता है तो फिर आप किसी से यह नहीं कह सकते कि आप को अब केवल 4 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से देंगे या 2 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से देंगे। आपको यह कहने का अधिकार नहीं है। आपने दूकानों से सीधे-सीधे यह ऐलान कर दिया कि जो जितना और जब खरीदना चाहे तब उसकी खरीदारी कर सके? लेकिन यह ऐलान करने में ये अभी तक समर्थ नहीं हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यह करीब-करीब तय सा है और आपने देखा कि कृषि मूल्य आयोग ने यह तय किया पिछले वर्ष की 76 रुपया प्रति क्विंटल पर गेहूं किसानों से खरीदा जाय और कम करते-करते वह 72 रुपये तक आ गया। जब मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ तो सुबह के वक्त डा० शंकरदयाल शर्मा जो सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कृषि मूल्य आयोग ने जो कीमत निर्धारित की है वह उपयुक्त नहीं है और किसानों को ज्यादा मिलना चाहिये और शाम को जब प्रधान मन्त्री ने सारे मुख्य मन्त्रियों को बुलाकर हुक्म दिया कि कृषि मूल्य आयोग ने जो कीमत निर्धारित की है उसे मान लो तो सुबह का निर्णय शाम को बदल गया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सारे व्यापार पर केवल एक व्यक्ति का राज हो जायगा जो व्यक्ति देश के प्रधान मन्त्री के नाम से आज मशहूर है। तो केवल एक व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा इन्तजाम देना किसी भी तरह मुनासिब नहीं हो सकता, क्योंकि जो वह कहेगा वह कृषि मूल्य आयोग कहेगा और जो कृषि मूल्य आयोग कहेगा वह चीफ मिनिस्टर कहेगा और जो चीफमिनिस्टर कहेगा वह सारे यहां के बैठे हुए लोग कहेंगे और उसी नीति का सारे अफसर ढिंढोरा पीटेंगे और मारा जायगा कौन ? गरीब, किसान, पल्लेदार, छोटा व्यापारी। और लाभ कौन उठायेगा ? इनके अफसर, दलाल और इनकी पार्टी और पार्टी में काम करने वाले दूसरे सफेदपोश दलाल। इसलिये मैं आपसे एक निवेदन करना चहता हूं कि आप जरा देखें कि आखिर इनकी नियत ही साफ नहीं है ऐसी स्थिति में इस बात का पूरा विश्लेषण जब तक जनता को समझाया नहीं जायगा, जनता के सामने नहीं आयेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में शंका पैदा हो।

अभी उन्होंने चीनी की वितरण व्यवस्था अपने जिम्मे ली। उसमें जो धांधली हो रही है और जिस प्रकार मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार और चोरबाजारी हो रही है वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि मुनाफाखोरों का बीच से सफाया होना चाहिये। उन्हीं की और अफसरों की मिली भगत से यह गड़बड़ हो रहा है। इस सारी लूट में सही मानों में समाजवाद का नाम लेना ही बेकार होगा और यह सरकार, श्रीमन्, जैसे "बन्दर के हाथ में अस्तुरा" दे दिया जाय उस प्रकार से करना चाहती है। यह सरकार संयुक्त कांग्रेस की घोषित नीतियों के विरुद्ध चलकर जनता में उसको बदनाम करने के लिये ऐसे हथकंडे अपनाना चाहती है जिससे ये स्वयं बदनाम हो जायं तो हो जायं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य उन नीतियों को बदनाम करना है जिनके चलते आज इनको खतरा पैदा हो गया है और व्यर्थ ये "'समाजवाद", "बराबरी" और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज भी कहेंगे कि हम उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के लोगों का खात्मा करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी सफाई के साथ पूरा चित्र सामने रखेंगे तब इस तरह का प्रश्न पैदा होगा कि क्या इनकी इन नीतियों का, कार्य-प्रणाली का समर्थन हो सके या न हो सके।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

निवेदन है कि इस पर आप समय बढ़ा दें। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में जितना बोल सकें बोलें ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष

जितने माननीय सदस्य खड़े हुए हैं उसमें समय बढ़ाना बहुत आवश्यक नहीं समझ रहा हूं। बाद में देखा जायगा ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । इसके साथ इन्साफ किया जा सके इसलिये मैं भी माफी मांगता हूं, थोड़ा अधिक समय मुझे दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय ज्यादा तो नहीं है लेकिन संक्षेप में आप कहें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बिल्कुल संक्षेप में । मान्यवर, पिछली रबी की फसल कुदरत की मेहरबानी से अच्छी हो गयी थी । सरकार को गुमान हो गया कि उसकी हरित क्रांति सफल हो गयी । बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि अब आयात तो करेंगे ही नहीं खाद्यान्नों का बल्कि निर्यात करेंगे । इतना आगे चले गये थे । लेकिन जब एक ही साल प्रकोप हुआ प्रकृति का तो हालत यह आ गयी है कि जो इनकी फेयर प्राइस शाप्स हैं उनमें भी ये गेहूं, चावल वगैरह नहीं पहुंचा पाते हैं । और इस सरकार ने इसी सदन में अभी दो दिन पहले माना है कि जहां लोगों को महीने में 6 किलो गेहूं मिला करता था वहां अब 4 किलो मिलता है । लेकिन हमारी जानकारी है कि मुश्किल से 3 किलो ही मिलता है और किसी-किसी दूकान पर तो मिलता ही नहीं है । यह हालत हो गयी है सिर्फ एक साल के प्रकोप में । तो जाहिर है कि जन रोष होगा । उसी जन रोष को दिशा भ्रमित करने के लिये इन्होंने गल्ले के थोक व्यापार का सरकारी इजारेदारी का नारा दे दिया । मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह नारा, जिसका उद्देश्य बताया गया है कि जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का उपलब्ध कराना, फेल हो कर रहेगा । मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सरकार उधार धन वाली, उधार अस्त्र वाली, उधार चिन्तन और विचार वाली है । इसके वश की बात नहीं है कि यह नकल को छोड़कर कोई और काम कर सके । इसलिये किसी विषय को उसकी सम्पूर्णता में यह देख ही नहीं पाती है । आज असलियत क्या है ? हर फसल पर अनाज के दाम गिर जाते हैं । अभी जो पिछली फसल हुई है 2 किलो के आस-पास किसान का बेच भाव था । लेकिन इस वक्त क्या हो गया है कि उसी गेहूं का भाव गिर कर 1 किलो के नीचे पहुंच गया है । दूने से ज्यादा का फर्क हो गया है । और इस तरह का दामों का नंगा नाच आज से नहीं हो रहा है बल्कि नेहरू जी के वक्त में भी हुआ, इन्दिरा जी के वक्त में भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा । अगर आप स्टेट ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस भी कर दें तो क्या यह दामों का नाच बन्द हो जायगा? यह कभी हो ही नहीं सकता जब तक कि इसका जो आवश्यक अवयव है—निश्चित दाम नीति—वह नहीं होता है । और निश्चित दाम नीति, इस सदन में कई बार कहा जा चुका है कि इस सरकार के वश की बात नहीं है ।

अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी । चिन्तन था उस वक्त का कि दाम नीति ऐसी हो जो किसान की परवरिश कर सके । दूसरे, किसानी उपज और कारखानी उपज की जो वस्तुएं हैं उनमें संतुलन हो । लेकिन 25 साल बीत जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बाद भी आपका इधर ध्यान नहीं गया, आपके वश की यह बात है भी नहीं, केन्द्र की सरकार ने भी उसकी चिन्ता नहीं की कि कोई दाम नीति निर्धारित की जाय। इसको और अधिक ठोस रूप देने के लिये डा० लोहिया ने कहा था कि दो फसलों के बीच में दामों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये। उनका कहना था कि किसान के सारे खर्च आदि को जोड़ कर यदि गेहूं का दाम एक रुपये किलो निर्धारित किया जाता है तो अगली फसल के आने तक उसका भाव 1.20 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार कारखाने में पैदा होने वाली चीजों के लिये भी उनका कहना था कि लागत खर्च से ड्योढ़े दाम से अधिक पर कोई भी जीवनोपयोगी वस्तु का दाम नहीं बढ़ाना चाहिये। इस तरह की दाम नीति आप करेंगे नहीं, और स्टेट ट्रेडिंग करेंगे तो मान्यवर, उसका नतीजा क्या होगा ? आप उसमें सफल ही नहीं होंगे। सरकारी इजारेदारी कायम होगी और उससे प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा। हम निजी व्यापार का बिल्कुल नाश चाहते हैं, इसमें किसी का दो मत नहीं है। लेकिन चिन्ता यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीयकरण के नाम पर यह सब हो रहा है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिन चीजों को भी आपने निजी क्षेत्र से हटाकर सार्वजनिक क्षेत्र में किया है क्या उससे किसी प्रकार की व्यवस्था बदली है ? जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति उनका मकसद नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना ही उनका मकसद रहता है और जब इस तरह से नफा कमाने की वृत्ति उनकी रहती है तो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या नहीं, इस तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। यदि इजारेदारी को समाप्त कर आप नेशनलाइज करेंगे तो उससे उत्पादन का विकास होगा। आप करते क्या हैं? आप उधार चिन्तन लेकर नकल करने की कोशिश करते हैं और नकल भी भोंढ़े ढंग से करते हैं। आपने नेशनलाइजेशन का नाम केवल रट लिया है। आप समझते हैं कि नेशनलाइजेशन हो गया, सारा मामला ठीक हो गया।

मान्यवर, जहां एक तरफ सम्पत्ति की मिलकियत होती है, वहीं उसका कब्जा भी होता है। आप खाली कब्जे की नाश होने की तो बात करते हैं, मिलकियत को नाश करने की बात नहीं करते। आप गांधीवाद और मार्क्सवाद का समन्वय करने की कोशिश करते हैं। उसी का कारण है कि आज गिरावट आयी है। आपके पास उधार चिन्तन है, उधार विचार है। उसी के कारण यह सब आज हो रहा है। आपकी कोई नीति सफल नहीं हो पा रही है। आप अगर इस्पात के कारखाने में भी चले जायें, वहां पर भी आपको वही वृत्ति मिलेगी। और उसी के साथ-साथ जो एक अवगुण है सारी दुनियां में कि निजी क्षेत्र में कुशलता ज्यादा रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशलता और अक्षमता रहती है, वह यहां भी होता है। आपने उसकी दोनों बुराइयों को पूरी तरह से सीखा है, उसकी अच्छाइयों को नहीं सीखा है। उसके साथ-साथ निजी क्षेत्र में जहां अपनी सम्पत्ति से लोगों को लगाव होता है वह भी आपके अफसरों में नहीं रहता है। चौथी चीज यह हो जाती है अपव्यय होता है और व्यवस्था ज्यों की त्यों खर्चीली बनी रहती है। जैसे निजी क्षेत्र में उनके मैनेजर वगैरह की बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं और उन्हें अच्छी अच्छी, बड़ी बड़ी सुविधायें प्राप्त रहती हैं, उसी तरह से आपके अधिकारी भी सभी कुछ लेते हैं और अधिकारियों में और मजदूरों में व्यापक अन्तर बना रहता है। इस तरह से व्यवस्था भी नहीं बदलती है और आप नारेबाजी से केवल काम लेना चाहते हैं। इस तरह से आप देखें, इस स्कीम से जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो स्टेट ट्रेडिंग चला रहे हैं, उसको देख लीजिये। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया और फूड कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश में देखिये, पिछली फसल में जब प्रकृति की कृपा से रबी की फसल अच्छी हो गई थी, किन्तु वहीं पर प्रकृति की कृपा से खलिहान में ही गेहूं भीग गया था, तो उसके फलस्वरूप उसके भारी दाम गिर गये थे। बाजार में उसके दाम 30-40 रुपये क्विंटल के आसपास चले गये थे, परन्तु आपने उसके दाम 70-80 रुपया क्विंटल निर्धारित किया था। मैं अपनी पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूं कि आपके सरकारी अफसरों ने दलालों के माध्यम से 30-40 रुपये में वह गेहूं खरीदा और वही गेहूं सरकार को 70-72 रुपये में दिया है। इस तरह बेईमानी और भ्रष्टाचार बराबर बढ़ावा

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पाता रहता है सरकारी व्यवस्था में । इसका भी यह लाजिमी नतीजा होगा । क्योंकि आपने इसके लिये कोई नई मशीन नहीं बनाई है और जिस मशीन से आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको इतना नाकाम कर दिया है जिसका कुछ कहना नहीं । आपने उनके सबके ऊपर सरकारी नौकरों को वरीयता दे दी है । नतीजा यह है कि वह इस काम में पीछे नहीं है, आप कारपोरेशन, निगम में सब जगह अफसरों को लादते चले जा रहे हैं, और जनता का कोई भला नहीं हो रहा है, जिसकी आप दुहाई दिया करते हैं । आपने अपनी कोई मशीन बनाई होती, उससे काम किया होता तो उसका नतीजा अच्छा होता । हमें भी अफसोस है कि हम कोई मशीन नहीं बना पाये हैं, उसमें हमारा भी कुछ दोष है, आप अधिकारियों को किस तरह से लालच वगैरह देकर तोड़ते हैं, लोगों को हजम कर जाते हैं, वह भी अपनी जगह पर एक चीज है ।

इसी तरह से मैं आपके सामने एक दूसरी चीज रखता हूं, बीज भण्डार खुले हुए हैं, बीज के लिये जो अनाज दिया जाता है, उसका दाम ज्यादा होता है और जो सरप्लस बीज होता है, उसको बाजार भाव से बेचा जाता है । आपके अफसर यह कहते हैं कि बीज को, व्यक्तियों को सरप्लस जितना देते हैं, उससे ज्यादा दिखला देते हैं और जब बाजार में आता है तो उसको बेचकर मुनाफा उठाते हैं । आप जांच कराकर देख लें आपको बीज-गोदाम में बीज कम मिलेगा, जब खरीदने का समय आएगा तो खरीद कर पूरा कर दिया जायगा । इस तरह से बराबर मिलावट हो रही है । इसके अलावा कीड़ों-मकोड़ों के जरिये से नुक्सान दिखाया जाता है, उसकी भी कहीं रोकथाम नहीं है । तो आपकी स्टेट ट्रेडिंग का नतीजा यह होगा कि एक तरफ अफरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और चूंकि जब तक उसके साथ उसके आवश्यक अंग अपव्यय की रोकथाम, उचित दाम नीति और जन कल्याण नीति नहीं होगी, तब तक जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है । कुछ लोग जैसे गोविन्द सिंह नेगी हैं खाली नेशनलाइजेशन के नाम से गरम हो जाते हैं । लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने अधूरे चिन्तन को पूरा करें, अगर प्रभावकारी ढंग से लागू करना चाहते हैं तो दाम नीति चलायें । दाम नीति चलाने के लिये समानता को घटाना पड़ेगा । आमदनी और खर्च की मर्यादा बांधनी पड़ेगी । इतना क्रांतिकारी काम गोविन्द सिंह नेगी बेचारे नहीं सीख सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है । इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विषय पर माननीय चौधरी साहब की तकरीर को मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने प्रारंम्भ में कृषि उत्पादन खाद्यान्न की आवश्यकता के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आंकड़े प्रस्तुत किये । मेरी राय में वे असंगत थे । कारण यह है । गल्ले के थोक व्यापार अधिग्रहण का अधिकार राज्य सरकार को भारत का संविधान की समवर्ती सूची के अधीन प्राप्त है और वह स्वयं कर सकता है । केन्द्रीय सरकार के निर्देशन की आवश्यकता नहीं है । दूसरे माननीय चौधरी साहब ने इस योजना का जो आधार बताया वह भी मेरी राय से ठीक नहीं है । उन्होंने फरमाया कि इस योजना को चालू करने का कारण यह है कि अनावृष्टि के कारण इस वर्ष देश के अन्दर खाद्यान्न की पैदावार में कमी है और शासन यह चाहता है कि राशन कार्ड पर निर्भर रहने वाली जनता के लिये खाद्यान्न के रिजर्व तैयार किये जायें । मान्यवर, योजना स्थायी है कारण अस्थायी कैसे हो सकते हैं । जिन वर्षों के अन्दर प्राकृतिक सहयोग के कारण अच्छी पैदावार होगी उन वर्षों में क्या यह योजना नहीं चलायी जायगी ? मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करूंगा यह योजना स्थायी रूप से चलने वाली है राज्य सरकार उसे स्थायी रूप से चलाना चाहती है । इस योजना का कारण, इसका उद्देश्य बहुत पुनीत है । उद्देश्य यह है कि किसान जो गल्ले को पैदा करता है, जो गल्ले को बेचता है, खासकर छोटा किसान वर्ग जो प्रदेश में कुल किसान वर्ग का दो तिहाई है, उसके साथ बाजार में जो भाव संबंधी अन्याय हो रहा है उसको समाप्त किया जाय । इसी प्रकार से उपभोक्ता के साथ आज जो अन्याय हो हो रहा है, आज जो गल्ले की खरीदफरोख्त में उसको समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, आप गौर करें। बीच का बिचौलिया गल्ले के थोक व्यापारीवर्ग जो है, जो थोक व्यापारी है, जो अनअर्न्ड इनकम कमाता है, और उनके पास कंसेट्रेशन आफ वेल्थ होती जा रही है, जो मुट्ठी भर गल्ले के थोक व्यापारी थोड़े सी मेहनत करके कुछ समय में कृषकों से कहीं अधिक पैदा कर लेते हैं। उसे समाप्त किया जाय।

जब हारवेस्ट होता है और किसान बाजार में गेहूं लाता है उस समय गल्ले का भाव बहुत सस्ता होता है। माननीय मन्त्री जी ने मार्केटेबिल सरप्लस की बात कही। यह उन देशों में होता है, जहां किसान इकानामिकली समृद्ध होता है, उसके पास गल्ला रोकने की शक्ति होती है। हमारे प्रदेश में विशेष कर छोटा किसान वर्ग सबसे पहले गल्ला बाजार में लाता है और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस सेल ही होती है। प्रदेश का 33 परसेंट छोटा किसान अलाभकर जोत जोतता है वह अपना आधे से ज्यादा गल्ला डिस्ट्रेस सेल में सस्ते मूल्य पर बेचता है। शासन चाहता है कि उन किसानों का गल्ला हारवेस्ट सीजन में सस्ते दामों पर न बिके। शासन चाहता है कि उसके लिये अच्छा दाम नियत करे। उसी दाम पर छोटा किसान और बड़ा किसान जो गल्ला रोक कर अच्छे दाम पर आज की व्यवस्था में बेचता है, वह भी उस दाम पर बेच। स्टेट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इस प्रदेश के छोटे किसान वर्ग को जिसके अन्दर गल्ले को रोकने की शक्ति नहीं है। प्रदेश का बड़ा किसान जिसके अन्दर गल्ला रोकने की शक्ति है, जो बाद में ड्योढ़े दाम पर बेचता है और छोटा किसान वर्ग, उन सब का गल्ला बहुत आसानी से एक मूल्य पर बिकेगा। मैं जायसवाल जी से सहमत हूं कि दाम नीति का बड़ा भारी प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। और कोई दाम नीति शासन की सफल नहीं हो सकती जब तक खाद्यान्न टोटल का ट्रेड शासन अपने हाथ में न ले ले। लेकिन आपने देखा होगा कि गत वर्ष शासन ने 75 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव तय किया लेकिन बाजार में क्या हुआ? बाजार में जहां स्टेट की ओर से गेहूं खरीदा जा रहा था वहां दूसरी ओर व्यापारी वर्ग भी गल्ला खरीदने पहुंच गया और 60 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा।

कहा गया कि यह रशियन ग्रामीण इकोनोमी का श्रीगणेश है। मान्यवर, स्टेट ट्रेडिंग रूस में ही होता है ऐसी बात नहीं है। जापान, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी जर्मनी जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्टेट ट्रेडिंग प्रचलित है। एक बात यह कही गयी कि इस तरह का अधिकार हो जाने के बाद गल्ले का दाम शासन बहुत नीचा तय कर सकता है और किसान के साथ ज्यादती हो सकती है। मान्यवर, लोकतंत्र के अन्दर जिसमें 80 फीसदी वोटर किसान हो उसके साथ न कोई शासन अन्याय करने की हिम्मत कर सकता है और न यह व्यवहारिक ही है। हां, स्टेट ट्रेडिंग में मुश्किलात आयेंगी लेकिन हर मुश्किल का एक हल भी होता है और शासन को उन मुश्किलात का हल सोचना चाहिये। उनमें से कुछ के सम्बन्ध में मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। एक तो यह कि आज कल बड़े किसान अपने गल्ले को हारवेस्ट सीजन में नहीं बेचते। उसे वह अपने घर में रख लेते हैं और जब भाव बढ़ते हैं तब बाहर निकालते हैं लेकिन जब गल्ले के दाम साल भर एक से रहेंगे तो जब खरीद होगी वह पहले दिन ही बड़े जोरों से शुरू हो जायगी और सारा गल्ला किसान वर्ग शीघ्र बेचना चाहेगा। गल्ले की खरीद को शासन को रेगुलेट करना होगा। अमेरिका में भी यह समस्या सरकार के सामने आई थी। वहां यह किया गया कि जो किसान बाजार में गल्ला नहीं लायेगा उसे गल्ला रिटेन के लिये सब्सिडी दी गई और इस प्रकार सरकार उन किसानों के वहां स्टोरेज चार्जेज अदा करती थी। इसी प्रकार से यहां भी इस तरह की किसी योजना को वर्क आउट करने की जरूरत है जिसके मातहत किसान को इस बात से रोका जा सके कि वह अपना गल्ला एकदम से बाजार में न लाये, उसकी आमद बाजार में रेगुलेट की जा सके इसके लिये किसान को इंसेंटिव दिया जाना चाहिये। ऐसी स्कीम वर्क आउट होने पर स्टेट ट्रेडिंग सफल होगी और इस योजना द्वारा हम छोटे किसान वर्ग व उपभोक्ता वर्ग के साथ न्याय कर सकेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब तथा माधव बाबू के विचारों से मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उनके सोचने का एक नजरिया है. एक फिलासफी है। मुझे अफसोस तब जरूर हुआ जब मंत्री जी बोलने खड़े हुए और उन्होंने स्पष्टतया सदन को इस बारे में आकृष्ट नहीं किया और कहा कि विचारों को वह सुनेंगे। जब नागपुर में प्रस्ताव पास हुआ था तब क्या विचार नहीं सुने थे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बीज आज डाला जा रहा है, कुछ दिन बाद कन्सेप्शन होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कलकत्ते में प्रस्ताव पास हुआ था तब क्या उन्होंने विचार नहीं सुने थे ? केन्द्र से इंस्ट्रक्शंस आये तब भी क्या विचार नहीं जान सके थे ? ऐसा तो नहीं ह कि उधर से कोई आन्दोलन शुरू हो गया है और जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। आपके यहां भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो स्टेट ट्रेडिंग खे खिलाफ है और ऐसा तो नहीं है कि किसानों के नाम पर वे स्टेट ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हों ? आज की हालत क्या ह ? किसान की किस तरह से लूट हो रही है ? छोटा किसान अपनी फसल को जब मार्केट में लाता है तो 60 रुपये क्विंटल पर अढ़तिया उसे खरीदता है और जब किसान का घर खाली हो गया तो वही गल्ला वह अढ़तिया डेढ़ सौ और पौने दो सौ रुपये क्विंटल पर बेचता है जिसे कि किसान ने धरती से अपने पसीने तथा मेहनत की कमाई से सींचा था। हमारे यहां बड़ी मंडी नहीं है लेकिन राइन का इलाका उत्तरकाशी में है। बहुत उपजाऊ इलाका है। साल भर के लिये बनिया किसान को लड़की की शादी के समय कर्जे से लाद देता है। और जब वह काश्तकार मेहनत करके अपनी फसल को खलिहान में लाता है तो वह बनियां वहीं पर आ जाता ह और काश्तकार की पूरी की पूरी फसल को अपने गोदाम में भर लेता है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था के अन्तर्गत अन्न पैदा करने वाले किसान को उसकी पूरी लागत उसे न मिलती हो, जिस व्यवस्था के अन्तर्गत बिचौलिये मुनाफा खाते हों और जिस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दुगने और तिगुने दाम देने पड़ते हों उस व्यवस्था को आप कायम रखना चाहते हैं ?

यहां पर यह कहा गया कि कम्पटीशन करो। मैं पूछता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आज पौने दो सौ रुपया प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत देनी पड़ती है ? यह आपकी कसी व्यवस्था है ? आप कहते हैं कि बैंकों से इन्तजाम कर रहे हैं और फाइनेन्सिग इन्स्टीटयूट्स स्थापित कर रहे हैं लेकिन जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर गल्ले के व्यापार के अन्दर सट्टेबाजी नहीं की थी ? बैंकों का ब्याज उस समय भी वही था और आज भी वही ब्याज की दर है। कहा जाता ह कि रेल का भाड़ा किसके सिर पर जायेगा। आप किसानों का नाम लते हैं वह केवल उन्हें गुमराह करने के लिये ही लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप को जो भ्रष्ट नौकरशाही है उसने ही आपकी सारी योजनाओं को फेल किया है। जब तक आप अपनी स्कीमों के अन्तर्गत जनता को शामिल नहीं करेंगे, उनका हित नहीं देखेंगे, अपनी योजनाओं का प्रचार साधारण जनता में नहीं करेंगे और सोये रहेंग तब तक जनता के बीच में भ्रम पैदा होता रहेगा। नौकरशाही का तजुर्बा जनता के सामने आ गया है, गरीब किसान की लूट-खसोट का तजुर्बा जनता के सामने आ गया है, सरकारी गल्ले की दुकानों का तजुर्बा जनता के सामने आ गया है और अगर आप अपनी इस नौकरशाही को राजनीतिक ढंग से दुरुस्त नहीं करेंगे, इसे अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक यह लूट-मार बन्द नहीं हो सकेगी। आपकी सब स्कीमें तब तक फेल होती रहेंगी। इसलिये माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, इस सदन के कई माननीय सदस्य चाहे वे इधर से बैठते हों या उधर से बैठते हों, उनकी बात मैं बड़े गौर से सुनता हूं लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कृषि के सम्बन्ध में मशविरा देते हैं तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि खेती के संबंध में जो उनके अच्छे से अच्छे नुस्खे हैं उन्हें मास्को भेज दें। वहां उनकी बड़ी आवश्यकता है यहां पर नहीं। 50 वर्ष हो गये आज तक खाद्यान्न समस्या के बारे में सोवियत रूस उसे सुलझा नहीं सका है। यह बड़े गौरव का विषय है कि हमने 25 वर्षों में बहुत कुछ सीख लिया है और अब विदेशों से हमें अन्न नहीं मंगाना पड़ता है।

श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं जिसे सुनकर माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा लेकिन घर जाकर वे सोचेंगे कि मैंने जो कहा था वह ठीक ही कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नये प्रकार के उपनिवेशवाद का उदय हो रहा है। आप सोचेंगे कि उपनिवेशवाद तो तब होता है जब किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करके होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि निम्न श्रेणी के लोगों पर कब्जा जो राष्ट्र कर लेता है वह भी उपनिवेशवाद ही है। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर इस तरह से कब्जा किये हुये था जो कि उपनिवेशवाद ही था। जैसे कोई उपनिवेशवादी ताकत करती है। मेरा यह चार्ज है कि शहरों ने रहने वाले लोग और शहरों के नेता आज गांवों को अपना उपनिवेश समझने लगे हैं। यह सारी योजना खाद्यान्न को अपने हाथ में लेने की केवल यह है कि उसका एक ही उद्देश्य है—किसानों का शोषण किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह और माननीय यादवेन्द्र सिंह जी से, ये दोनों जापान गये थे और इन्होंने जापान का उदाहरण दिया—वहां किसानों की चीजों के भाव जापान सरकार कैसे निश्चित करती है। आज यदि किसानों के द्वारा उत्पादित चीजों के भाव न्यायपूर्ण ढंग से तय किये जायं तो किसानों को क्या आपत्ति हो सकती है कि वे सरकार के गल्ला गोदामों में अपना गल्ला ले जाकर दें। आज जापान सरकारअपने किसानों को ऐसा मूल्य देती है कि वहां के किसान स्वयं अपना एक एक दाना ले जाकर सरकार के गोदामों में जमा करते हैं और अपनेखाने के लिये सरकारी गोदामों से खरीद कर लाते हैं। आप उदाहरण तो यहां जापान और जर्मनी का देते हैं और अमल करते हैं रूस का। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर वालों को सस्ता गल्ला मिलता रहे।

मैं खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की जो इतनी रिपोर्टें छपी हैं, वे जो मूल्य निश्चित करते हैं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार उसमें मिला? कोई फार्मूला उनको मिला हो तो कृपा करके उस पर प्रकाश डालेंगे कि कौन सा औचित्य है कि 68-69 के बाद से आज तक सरकार ने गेहूं की खरीदारी में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की। इसी अवधि में करीब करीब 30-40 प्रतिशत भाव और चीजों के बढ़ गये। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि गल्ला सरकारी गोदामों में जाय तो जैसा जापान में होता है वैसा कीजिये और जिस अनुपात में और चीजों के दाम बढ़े हैं उसी अनुपात में गल्ले की कीमत बढ़ाने के लिये तैयार हों तो आप कीजिये।

दूसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह ईमानदारी का है और अगर आप पिछले तीन वर्ष में जो गल्ले का बाजार भाव रहा है, वही औसत मूल्य रखने की नीति अपनायें और फूड कमिश्नर से पूछ कर पिछले तीन वर्ष में जो औसत मूल्य गल्ले का रहा हो और किसानों का गल्ला गोदामों में जमा हो, उसके बराबर मूल्य चुकता कर दिया जाय। मैं ईमानदारी से सुझाव देता हूं लेकिन शोषण का सुझाव नहीं देता। अगर ईमानदारी से आपको किसानों के गल्ले का मूल्य अदा करना है तो यह जरूरी है कि समानता के सिद्धान्त के आधार पर

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)

उनको न्यायपूर्ण ढंग से मूल्य दिया जाय। आज स्थिति यह है कि सरकार जिन चीजों को किसानों को देती है जैसे बिजली की कीमत पिछले तीन वर्षों में औसत 90 प्रतिशत बढ़ी है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है और पानी जो पहले एक रुपये में 16 हजार गैलन मिलता था अब वही पानी किसान को एक रुपये में 6 हजार गैलन मिलता है। दूसरी वस्तुयें जो सरकार किसानों को सप्लाई करती है उनके दाम भी पहले से काफी बढ़े हैं लेकिन किसानों के गेहूं दाम वही 76 के 76 रुपये हैं। माननीय शिवराज सिंह भी किसान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा औचित्य है कि 68-69 के बाद जब कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो क्या यह किसानों का शोषण नहीं है? और क्या इस सरकार में इतना साहस है कि वह केन्द्रीय सरकार से कहे कि इन चीजों की कीमत बढ़ावे जो कि किसान पैदा करते हैं?

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 175 करोड़ रुपये खर्च करके आप इस स्कीम को चालू करना चाहते हैं। अगर आप इसमें यही इतना रुपया जोड़ दें और सिंचाई के मद में लगा दें तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि कम से कम 60 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित हो जायगी। अगर आप वास्तव में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की ऊटपटांग चीजें करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और अन्न का संकट भी आपके सामने नहीं आवेगा। पिछले दो तीन वर्षों से किसानों के साथ बड़ी बेइन्साफी हो रही है। वही 68-69 वाला गेहूं का भाव है। शहरों में काम करने वाले चाहे मजदूर हों, कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों उसकी सब चीजों की महगाई के साथ-साथ उन सबकी कीमतो आप बढ़ाते हैं लेकिन किसान ही एक ऐसा बदकिस्मत है जिसका गेहूं आज भी 76 पैसे का लगा हुआ है जो सन् 1968-69 में तय हुआ था, जो चावल की कीमत मुकर्रर की गयी थी, वही कीमत आज चावल की है। श्रीमन्, यह किस लिये हो रहा है। गरीबों का शोषण में कृषि विभाग की एक पत्रिका पढ़ रहा था। उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश की भूमि से लाभ का अनुमान निकाला है। तीन सौ रुपये प्रति एकड़ सालाना सिंचित भूमि से। अब 18 एकड़ भूमि जिनके पास है उनका प्रति साल 5,400 रुपये बनता है, यह आमदनी उसकी है जो सब से बड़ा किसान है। वैसे 99 फीसदी किसान ऐसा होगा जिसकी आमदनी दो ढाई हजार पये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिनकी आमदनी साल भर में दो ढाई हजार रुपये हो उनके पैदा किये हुये अनाज पर जबरदस्ती एक प्रकार से इतना बंधन बांध दिया जायगा कि उनके लिये कोई रास्ता नहीं रहेगा और उनसे लेकर खिलायेंगे। किसको? शहरी लोगों को जिनकी आमदनी दो ढाई हजार पये सालाना से ज्यादा है क्योंकि उनका भी राशन कार्ड आप बनायेंगे ही, सिर्फ 10 फीसदी लोग होंगे जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें वह लेबर भी आता है जो जमशेदपुर, टाटानगर का है, अनस्किल्ड लेबर लेकिन उसमें से 60 फीसदी ऐसे भी आदमी हैं जो 5 हजार रुपये सालाना से ज्यादा पैदा करते हैं। 40 हजार कारखानों में काम करने वाला मजदूर ऐसा है जो टैक्स अदा करता है। तो म कहता हूं कि यह गल्ला किसान से सस्ता लिया जायगा किसको खिलाने के लिये, शहरों में बड़े लोगों को खिलाने के लिये यह सारी योजना है।

यह कहा गया है कि अगर सरकार काम करेगी स्टेट ट्रेडिंग में तो कम खर्च में काम होगा और कम पैसे में उपभोक्ताओं को गल्ला मिल जायेगा। लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि 76 पये पर क्विंटल और 2 रुपये जो आप सब्सिडी देते हैं जो घाटा होता है उसको जोड़ लें तो कम से कम 30 से 35 फीसदी तक इनका सरविसिंग चार्जेज पर व्यय होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वर्ष अकाल न पड़ा हो क्या कोई व्यापारी इससे अधिक मुनाफाखोरी कराता है जितना कि सरकार करती है? यह विशेष परिस्थिति है लेकिन जब उत्पादन ठीक होता है उसमें कोई भी व्यापारी इतना मुनाफाखोरी नहीं करता है जितना इस सिस्टम में सरकार करती है। मैं इन शब्दों के साथ चौधरी साहब के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तक इस विषय पर विवाद होते 2 घंटे 5 मिनट हो गये हैं।

श्री चरण सिंह—

नहीं, यह चार बज कर 10 मिनट पर शुरू हुआ था, सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वही सही। तो अब हम आगे चलते हैं। नियम 51 की दो सूचनायें हैं।....

श्री चरण सिंह—

एक बात तो मुझे कह लेने दीजिये। अब तक माननीय यादवेन्द्र सिंह जी या माननीय राज मंगल जी पांडेय ने यह नहीं बतलाया कि उनकी स्कीम क्या है। कह रहे हैं कि स्कीम तैयार हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि काहे पर विचार हो रहा है। वह शायद बताना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

बोलूंगा। (एक आवाज—हिज मास्टर्स वायस) हम तो जीवित हिज मास्टर्स वायस हैं लेकिन बहुत से लोग हमारे मित्रों में से ऐसे हैं जो उनके हिज मास्टर्स वायस हैं जो अब दुनिया में नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन अब इतने अहसान फरामोश हैं कि उनको जबरदस्ती भुलाये बैठे हैं।

(हंसी)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब यह टापिक शुरू हुआ श्रीमन्, तो वह उसका स्वर्णिम सबेरा था। चौधरी साहब का भाषण एक स्वर्णिम भाषण था जिससे कि मैं इस विषय पर काफी रोशनी पा सकता था और मैंने पाई भी।

श्री चरण सिंह—

अच्छा तो ऐसी अच्छी शब्दावली का प्रयोग आप करने लगे। त्रिपाठी जी का इतना असर पड़ गया।

(हंसी)

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

बुरा असर नहीं पड़ा, अच्छा असर पड़ जाये तो अच्छी बात है।

(हंसी)

श्री चरण सिंह—

अच्छा असर तो पड़ा ही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यदि आप चाहते हैं कि उनके ऊपर दुर्मुखता का असर हो, तो नहीं पड़ा।

(हंसी)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसका मध्याह्न रजत का हुआ और जब उसकी ध्या आने को हुई तो मुझे लगा कि गिलट रह गया। चौधरी साहब ने इस विषय पर काफी विशद चर्चा की और बड़े अच्छे सुझाव दिये। उसके लिये मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। माधव बाबू ने भी अच्छा विचार किया। लेकिन जब कल्पनाथ सिंह जी बोलने लगे तो मैंने थोड़ी देर के लिये समझा कि क्या यह विषय समाप्त हो गया है और वे दूसरे विषय पर बोल रहे हैं। आखिर कलई खुल गई जब उन्होंने कहा कि संयुक्त कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जिस पर अमल नहीं हो रहा है तो ये लोग इस कांग्रेस से जिसको हमारे भाइयों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस का नाम दे दिया है, उसने ऐसा काम किया जिससे पब्लिक इमेज उसकी खराब न हो, इसलिये सरकार ने काम किया है। इससे मैं समझ गया कि जो उन्होंने राय दी है वह प्रिजूडिस्ड है। उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि यह सरकार ऐसे काम न कर दे जिससे उनका रहा सहा दल भी समाप्त हो जाय। मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। आप उनके भाई हैं जैसा कि माधव बाबू ने कहा कि आपका लगाव कांग्रेस से हो सकता है लेकिन मेरा कोई नहीं रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माधव बाबू का कांग्रेस से कभी लगाव नहीं था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह स्कीम बताई जा रही है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह तो मैं आप लोगों की समीक्षा कर रहा हूं। बाद में उस पर आऊंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

उनकी कांग्रेस की परिभाषा में है लेकिन आप तो जहाज के साथ बहे जा रहे हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं। माननीय पांडेय जी परिभाषा पढ़े हैं। इतना ही कह सकता हूं कि सूत्र उन्होंने पढ़े और उनका भाष्य मैं कर रहा हूं। माननीय चौधरी साहब ने कहा कि सरकार होलसेल टेक ओवर और स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स में कौन से अनाज की खरीदारी करने जा रही है। इस बात को तो उन्होंने मान लिया है और माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि उनके सामने कोई नक्शा नहीं है, वह बात चौधरी साहब के बयान में आ गई है कि नक्शा है और उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि वह नक्शा क्या है। हमने सिद्धान्त के रूप में होलसेल टेक ओवर आफ स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स की बात स्वीकार कर ली है और वह नागपुर सेशन में की थी और कलकत्ता सेशन में उसको टाइम बाउंड कर दिया है और उसको रबी से लागू करने जा रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि हम कौन से गल्ले की खरीदारी करेंगे और इस काम में लगे हुये जो लोग विस्थापित होंगे, उनकी तरफ से ध्यान दिलाया गया है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि उन्होंने दो प्वाइंट्स रखे। एक तो यह कि जो किसान के घर में फालतू गल्ला है उसकी खरीदारी होने जा रही है या जो बाजार में वह लायेगा उसकी खरीदारी होने जा रही है।

श्री चरण सिंह—

मान्यवर, अगर मेरे इतना बोलने के बाद भी वह यह समझे हैं यह मेरी नाकाबलियत है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी मंशा किसी को प्रेशराइज करके गल्ला लेने की नहीं है। हम चाहते हैं कि आज की बढ़ती हुई महंगाई में इस बात का औचित्य होना चाहिये कि जीवनोपयोगी हर जरूरी चीज उचित दाम पर दी जा सके।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, उचित दाम की परिभाषा कर दी जाये।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आप घबरायें नहीं। मैं अभी परिभाषा करता हूं। मैंने तो आपको सूत्र का भाष्य करने का वचन दिया है। अब इसका औचित्य तो साबित हो गया कि स्टेट ट्रेडिंग गल्ले का होना चाहिये क्योंकि किसान और उपभोक्ता के बीच में इन्टरमीजियरीज लाभ उठाते हैं और जैसा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि अनूमन जो किसान बाजार में अनाज बेचने आते हैं वह एक डिसट्रेस बिक्रेता के रूप में आते हैं वह स्वेच्छा से नहीं आते। जो लोग उनके डिसट्रेस का लाभ उठा कर सही कीमत किसान को न देकर अपनी खत्तियों में उस अनाज को भरते हैं और गल्ले को रोकने के एवज में लम्बे-लम्बे लाभ उठाते हैं उनको बीच से हटा दिया जाय। यही हमारी मंशा है। लेकिन हमारी यह मन्शा हरगिज नहीं है कि हम किसी का गल्ला जबरदस्ती लेना चाहते हैं या किसी का निजी गल्ला निकाल लेना चाहते हैं जिसके निकालने से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाय। हमारी मन्शा केवल यह है कि किसान की उस डिसट्रेस के बावजूद उसके गल्ले के उचित दाम उसे मिलते रहें और उसकी उस डिस्ट्रेस का नाजायज लाभ कोई होल सेलर या कमीशन एजेन्ट न उठा सके और उनका सीधा सम्पर्क सरकार से हो जाय...

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

मंत्री जी कृपया एक स्पष्टीकरण दे दें कि यदि वह गरीब किसान को राहत देना चाहते हैं तो फिर टेक-ओवर की आवश्यकता क्या है? आप अपनी दुकानें खोल दीजिये, जिसको आप का भाव अच्छा लगेगा वह आपकी दुकान पर आयेगा, फिर मोनोपली ट्रेड की क्या जरूरत है, फिर बाध्य किसी को न करने का क्या तर्क है या आप क्या दूसरों को भी खरीदने देंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने यह कहा कि किसानों को उनके गल्ले का उचित दाम दिलाने के मकसद से हमने यह किया है। हम चाहते हैं कि उनके इस डिस्ट्रेस का कोई एक तरफ अनुचित लाभ न उठाये और दूसरी तरफ कन्ज्यूमर को भी उचित दाम पर पूरे साल तक उनके इस्तेमाल की सामग्री मिल सके।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

जहां तक खरीदारी का सवाल है आप अपनी दुकान खोल कर बैठ जायं जिसे आपको बेचना होगा वह बेचेगा।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हम तो पिछले साल अपनी दुकान खोल कर ही बैठे थे और उसी एक्सपेरीमेंट का हमें यह लाभ हुआ कि जो लोग इस ट्रेड में ऐन्टीसोशल हैं उनके प्रभाव को बाजार से हटाकर हमने गल्ला खरीदने का प्रयास किया है और हम एमोहेड करते हैं कि उनके प्रभाव को हटाने की जरूरत है और आवश्यकता होने पर हम ऐसा करेंगे। मैं साफ कर दूं कि हमारा इरादा होल-सेलर और कमीशन एजेंट को हटाने का है लेकिन रिटेलर को हटाने की नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वह बात भी स्पष्ट कर दें।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा...

श्री चरण सिंह--

आप रिटेलर को क्यों नहीं करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

उसको भी हम रेगुलराइज कर देंगे, हम उनको मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम भी जीवित रहें ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह अपने चहेतों को रि ेल की दुकानें देंगे ।

श्री यादवेन्द्र सिं --

हमारे कुछ कम चहेते माननीय कल्पनाथ सिंह जी नहीं हैं, वह चाहेंगे तो उनको भी दे देंगे। गोदाम की बात कही गई और यह कि क्या तैयारी बोरों की, गोदामों की और पैसे की की गई है? मैं निवेदन कर ि कि आपके प्रदेश में कितनी भी खरीदारी होगी वह आपके फूड कारपोरेशन और पी० सी० एफ० के द्वारा होगी और हमारा प्रयास होगा कि पूर्व के किसानों तक हम पहुंचें, क्योंकि वह अभी तक बनिये के जरिये से गल्ला निकालते हैं। पश्चिम के किसान अपना गल्ला बाजार में लाते हैं क्योंकि वे सम्पन्न हैं, उनके पास साधन हैं। हमारी कोशिश है कि बीच से बिचौलियों को हटाया जाय और किसानों के जितने नजदीक जा सकें, जाये और उसकी डिस्ट्रेस का फायदा उन नाजायज लोगों को न उठाने दें। वह हम प्रयत्न करेंगे और इन एजेन्सियों के जरिये गांवों के इन्टीरियर तक जायेंगे ।

जहां तक ट्रान्सपोर्ट का सम्बन्ध है वह कोई समस्या नहीं है । जब गल्ला हमारे घर होता है तो ट्रांसपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ती ही है । और ट्रान्सपोर्ट की इस कार्य के लिये हमने व्यवस्था कर ली है । इसमें कोई परेशानी नहीं होगी । इस समय हमारे पास 16 लाख टन गल्ले को स्टोर करने का प्रबन्ध है और बाकी के लिये व्यस्था हो रही है । जहां तक बोरों का संबंध है इस समय 28 लाख टन गल्ले को रखने के लिये हमारे पास बोरे हैं । जहां तक फाइनेन्स का सवाल है, उसकी भी व्यस्था कर ली गयी है । अब और ऐडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव और अन्य जो तैयारियां करनी हैं, फाइनेन्स आदि की वे फाइनल स्टेज में हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली की सरकार से यह निवेदन किया है कि जब पूरे देश में होल सेल ट्रेडिंग किया जाय तो एक ही तारीख इसके लिये मुकर्रर की जाय ताकि सभी स्टेट्स में एक दिन आरम्भ हो और बिचवइया लोगों को इधर उधर करने की सम्भावना हट जाय । उसके ऊपर वहां पर (केन्द्र में) बात हो रही है और मंत्री स्तर पर एक कमेटी बनी है जिसमें वित्त मंत्री, प्लानिंग मंत्री, खाद्य मंत्री आदि सदस्य हैं । इनके अलावा उसमें गुजरात, पंजाब, बंगाल, और उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री जी सदस्य हैं । एक कमेटी की एक बैठक हुयी है । उसमें रूप रेखा तो तय हो गयी है लेकिन डिटेल्ड वर्किंग हो रही है । नागपुर में प्रस्ताव पास हो चुका है, अहमदाबाद में दुहराया गया है । उसके बाद कलकत्ता में फाइनल हो गया है तो यह तो वैल थौट आडिट प्रोग्राम है इस पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो कमियां रह गयी हैं, वे चौधरी साहब ने जो बताया और जो लोग इसके माहिर हैं, उनकी राय ले लेंगे । माननीय चौधयी साहब ने कहा कि डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी सरकार पर आती है और जो मौजूदा मशीनरी इस काम के लिये है वह यदि सुचारु रूप से न चल सकी तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया है ? मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर यदि आवश्यकता हुयी तो उस मशीन को ओवरहाल किया जायगा और यदि कहीं पर लीकेज होगा तो उसको बन्द करने का प्रयास किया जायगा । मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो राय है, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार लाभ उठायेगी । मैं आभार प्रकट करता हूं जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब हम टोटल टेक ओवर होलसेल ग्रेन के ट्रेड का करेंगे तो उस समय ऐसे उपाय अपनायेंगे जिनकी ओर आप हमारा ध्यान आकर्षित किया है ताकि गड़बड़ियों कोई गुंजाशय न रहे ।

श्री चरण सिंह---

1959 में यही रेजोल्यूशन पास हुआ था। सरदार स्वरण सिंह, अजीत प्रसाद जैन, श्री सुब्रमनियम और श्री जगजीवन राम भी इसको पूरा नहीं कर पाये। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिनके हाथ में शक्ति है वे आपसे और माननीय फखरुद्दीन से नाराज हैं। आप बलि के बकरे बनने वाले ह। तो यह आप माननीय बेनी सिंह और राजा साहब को सौपें।

श्री यादवेंन्द्र सिंह---

हर पिता की हमदर्दी उसके पुत्र के साथ होती है। चौधरी साहब की शंका सही है लेकिन जो बात पिता नहीं करता, उसे उसका पुत्र कर देता है। मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं अवश्य कर सकूंगा, इसे मैं जानता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

आप 21 और 22 आइटम वाले विषयों को ले लें। केवल 2 मिनट की बात है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इसको मैस न बनवा दीजिये। आज जब लीडर्स की मीटिंग हो रही थी तो कितना निकम्मापन है इनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के विभाग का कि एक बार आपने रूल आउट कर दिया और फिर कार्य मंत्रणा समिति की व्याख्या बतायी कि सदन के नेता विरोधी दल बैठे हुये थे। उस वक्त कह दिये होते इस बात को। आपने निकम्मा बना दिया है असेम्बली को चौपाल बना दिया है। मंत्री पार्लियमेन्टरी अफेयर्स की ड्यूटी है कि उस बीच में वे बात करते जब आप उठ जाते हैं। मैं इसके लिये अब एग्री नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी सहमति नहीं है तो नहीं होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

अब आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं :---पहली सूचना है सर्वश्री वंशीधर पान्डेय, रामबिलास पान्डेय तथा चन्द्रमोहन सिंह नेगी की जिसमें उन्होंने शाहजहांपुर के पुलिस डी0 एस0 पी0, श्री गुरुदेव के विरुद्ध भ्रष्टाचार व लूट का आरोप लगाया है अस्वीकार कर दी गई है। दसरी श्री मोहनलाल कपूर, कल्याणसिंह तथा शचीन्द्रनाथ बख्शी की सचना है जिसमें सीतापुर जिले के प्रायमरी स्कूलों के अध्यापक व अध्यापिकाओं में उनके मांग-पत्र न मानने के कारण व्याप्त असन्तोष है--उसको भी अस्वीकार किया गया है।

'शोर' फिल्म पर मनोरंजन-कर माफ करने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष---

समय के बारे में कोई प्रस्ताव हो--नहीं तो आप शुरू करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, शोर पिक्चर के बारे में विधान सभा में प्रश्न आया था। इस प्रदेश में सरकार को मनोरंजन कर माफ कर देने से उस पिक्चर म 10 लाख 9 हजार रुपये का घाटा हुआ है। मान्यवर, कर जो माफ किया जाता है उन पिक्चर के लिये यह होता है कि उनमें या तो हरिजन उत्थान की बात हो, देश प्रेम या जनता में जागृति, धर्म निरपेक्षता या आपस में सद्भावना की

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

बात हो, या मातृभूमि की बात हो, ये ऐसी बातें हैं इनकी वजह से माफ किया जाता है जिससे अधिक से अधिक लोग फिल्म को देखें और लाभान्वित हों। मान्यवर इस पिक्चर का मनोरंजन कर विशेष परिस्थितियों में माफ किया गया है। यहां सविता बहन उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर्यवेक्षक बनकर आई हुई थी। भारी उधम मचा था। उनको अपने पक्ष में करने के लिये इस फिल्म का मनोरंजन कर माफ किया गया। इस फिल्म के निर्माता और निदेशक हैं मनोज कुमार। वे सविता बहन के दामाद हैं। उनको प्रसन्न करने के लिये यह सौदा किया गया है। प्रदेश के लाखों रुपयों का इस तरह से नुक्सान करवाया गया है। यही नहीं इनसे और अच्छी पिक्चर्स थीं जिनके विषय में भूतपूर्व मुख्य मंत्री और चालीस-चालीस विधायकों की सम्मतियां हैं जैसे जीवन साथी, सबका साथी, अनुपमा, माली, नये रास्ते, रेशमा और शेरा, पूर्व पश्चिम ललकार, प्रेम पुजारी, फिर भी, दामन और आग। इनके कर माफी के लिये चालीस चालीस विधायकों ने सिफारिश की थी लेकिन इनका कर तो माफ नहीं हुआ। कर माफ करने के लिये एक प्रणाली बनी हुई है कि कैबिनेट के निर्णय के आधार पर यह होना चाहिये। लेकिन इस शोर पिक्चर के लिये कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई गई और जो सब कमेटी है उसकी भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। मान्यवर, एक तो भुखमरी, गरीबी है और आदमी ठंड से मर रहे हैं सरकार उनको कम्बल नहीं दे सकती, आग उनके लिये नहीं जलवा सकती पर 11 लाख रुपये का नुकसान सरकार ने एकदम कर दिया। सिर्फ सविता बहन को खुश करने के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फिल्म से चालीस लाख रुपये से मनोज कुमार को फायदा हुआ। उस पिक्चर की फेस वेल्यू चालीस लाख हो गई कर माफ करने से अगर नहीं किया होता तो 12 लाख रुपये ही थी। मान्यवर, इससे यह साबित है कि सरकार किस तरीके से राजनैतिक दावपेंच खेलकर, राजनैतिक उल्लू-सीधा करने के लिये पब्लिक से खिलवाड़ करती है। यही रुपया निर्माण के कार्य में लगता। जो सूखा फैला हुआ है गल्ले की भारी कमी है भुखमरी है। 11 लाख रुपये मिल गये होते तो वह काम में आते। उससे सड़क बनती, ट्यूबवेल बनता। लेकिन इन्होंने सौदा किया सविता बहिन को खुश करने के लिये। यह सरकार इस तरह से खिलवाड़ कर रही है।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शोर फिल्म के सम्बन्ध में चर्चा की बात की है। इस फिल्म पर एक महीने के लिये कर मुक्त किया गया था और यह माननीय सदस्य ने कहा है कि दस, ग्यारह लाख रुपये की हानि हुई। माननीय सदस्य ने कहा कि और भी फिल्में थीं जिनके लिये भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने और चालीस सदस्यों ने मांग की लेकिन उनको माफ नहीं किया गया और इसको विशेष रूप से कर दिया गया। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जो फिल्म्स राष्ट्रीय एकता, विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करने, मातृ प्रेम, सहिष्णुता आदि पर होती हैं उनके संबंध में सरकार विचार करती है और उनको कर मुक्त करती है। इस फिल्म पर भी विचार किया गया और निश्चय किया कि यह इस प्रकार की फिल्म है और इसलिये कर मुक्त कर दिया गया। और फिल्मों के विषय में चालीस माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया हो तो ऐसी बात नहीं है। अब जहां तक यह प्रश्न है कि किस का किस से रिश्ता था तो इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जब मैंने 49 का नोटिस दिया तो उसमें लिखा था। उसकी जानकारी कर लेनी चाहिये थी।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सविता बहिन पार्लियामेंट की मेम्बर हैं और वे यहां कांग्रेस की आबजर्वर होकर आयी थीं। उनके दामाद मनोजकुमार हैं। इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिये थी।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इस प्रकार के रिश्तों से ऐसी बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कई बार फिल्मों पर माफी हुई है और इस सदन में बारबार सवाल उठा है कि इसका असर प्रदेश की आमदनी पर पड़ता है इसलिये एक समिति नियुक्त की जाय जो कि किसी फिल्म के बारे में अगर कोई दरख्वास्त दे तो वह समिति विचार कर ले और उसके बाद कर से माफी की जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है परन्तु सारी बातों पर विचार करने के बाद ही कर मुक्त किया जाता है। ऐसी फिल्मों को ही छूट दी जाती है जिससे कि अधिक से अधिक जनता लाभाविन्त हो ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिल बदायूं)---

जब फिल्म अच्छी है तो लोग देखेंगे और उससे प्रचार भी होगा, तो टैक्स से छूट क्यों दी गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जब नहीं चल रही थी तभी यह किया गया । अभी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि मनोज कुमार सविता बहन के दामाद हैं, तो क्या सरकार इस बात की जांच करने के बाद कि मनोज कुमार सविता बहन के दामाद हैं, जो 11, 12 लाख रुपये की हानि हुई है, उसको वसूल करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

सारी बातों पर विचार करके यह निर्णय लिया गया था इसलिये वसूल करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके जवाब के बीच में पांडेयजी आ गये ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

मंत्रीजी ने जो आधार कर माफ करने के सम्बन्ध में बतलाये हैं, वह इसमें नहीं हैं और इसी के साथ में सवाल करना चाहता हूं कि बहुत सी अच्छी फिल्मस आई लेकिन उनको एक्जम्प्ट नहीं किया गया। आपने जो आधार बतलाये हैं वह कोई भी तो इसमें मौजद नहीं हैं, सिर्फ इसके कि मनोज कुमार सविता बहन के दामाद हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

दुर्भाग्य यह है कि मैं साल 6 महीने में कोई पिक्चर देखता हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जब फिल्म देखी नहीं है तो कैसे पता लगा कि इसको छूट मिलना चाहिये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

राज्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं फिल्मस नहीं देखता हूं तो उन्होंने इसको भी नहीं देखा, तो छूट देने का आधार क्या था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं जिसे देखूं उसी पर वक्तव्य दूं ऐसा तो नहीं है। विभाग की तरफ से रिपोर्ट सारी छानबीन के बाद सरकार के सामने आ जाती है औरमंत्रि-मंडल के सामने आई तब निर्णय हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह मंत्रिमंडल के सामने नहीं आई है। कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे हैं वह कह दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

आई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

किस किस मंत्री ने यह फिल्म देखी है जिससे निर्णय हो सके कि विभागीय रिपोर्ट सही है या गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब उन्होंने देखी नहीं है, तो कैसे बतलायेंगे।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

ऐसा कायदा रहा है कि जब प्रोड्युसर की ओर से किसी फिल्म के टैक्स के इग्जेम्प्शन के लिए सिफारिश की जाती है तो रवीन्द्रालय आदि में पहले संबंधित पिक्चर दिखलाई जाती है और तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो क्या इस पिक्चर को देखने के लिये माननीय मंत्री जी को आमंत्रित किया गया था। आपने इस पिक्चर को देखा और इस आधार पर देखकर इग्जेम्ट किया या केवल अपने विभागीय अधिकारियों की सिफारिश पर इग्जेम्ट कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब उसका जवाब दे चुके हैं। अब काम खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से और कोई प्रस्ताव है ?

श्री बेनीसिंह—

मान्यर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 7 मार्च, 1973 को हम फिर बैठें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन 7 मार्च, 1973 को बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते है और 7 मार्च, 1973 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 36 मिनट पर बुधवार, 7 मार्च, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
24 जनवरी, 1973।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1039 पर]

तृतीय श्रेणी के जिन जिन पदों पर जितनी नियुक्तियां की हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :

पद का नाम	संख्या
(1) सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक	200
(2) विद्युत एवं यांत्रिक पर्यवेक्षक	117
(3) सहायक अग्रजन	20
(4) डेवलपमेंट इंचार्ज	6
(5) शिफ्ट ड्रिलर्स	14

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1044 पर)

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई	लागत	निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि	प्रगति
		किलोमीटर	रुपया		
1	झींझक सिकन्द्रा ..	26.00	16,97,000	जनवरी/फरवरी, 1971	इस सड़क का निर्माण झींझक व सिकन्द्रा दोनों ओर से प्रारम्भ किया जा चुका है। पूरी सड़क में अभी कार्य हो रहा है। यह सड़क दिसम्बर 1975 तक पूर्ण बन जाने की सम्भावना है।
2	झींझक–रसूलाबाद				
	.. (1) मरम्मत ..	प्रथम 2 किलोमीटर	1,25,000	सितम्बर/अक्टूबर, 1970	इस मार्ग के किलोमीटर 1 में निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष भाग में निर्माण कार्य हो रहा है। यह सड़क मार्च 1975 तक पूर्ण बन जाने की सम्भावना है।
	.. (2) आधुनीकरण ..	शेष 13 किलोमीटर	7,66,000	सितम्बर/अक्टूबर, 1971	
3	रसूलाबाद–बिल्हौर (नानामऊ–बिल्हौर–ककवन रसूलाबाद मार्ग के नाम से स्वीकृत)	42.275	28,39,000	जनवरी/फरवरी, 1971	इस मार्ग पर कार्य नानामऊ, बिल्हौर तथा रसूलाबाद दोनों ओर से प्रारम्भ है। बिल्हौर से 200 मीटर भाग में पेंटिंग हो चुकी है और शेष भाग में निर्माण कार्य चालू है। इस सड़क का निर्माण दिसम्बर, 1975 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1045 पर)

मांगों का विवरण

मांग	स्थिति
(1) सहायक भन्डर अधीक्षक डिप्लोमा-धारियों को कार्य अनुभव जनित दक्षता के आधार पर विद्युत एवं यांत्रिक पदों पर नियुक्ति ।	विद्युत एवं यांत्रिकके पदों पर नियुक्ति संबंधित सेवा नियमावलों के आधार पर की जाती है ।
(2) सम्पूर्ण सिंचाई विभाग में सेवारत सहायक भन्डार अधीक्षकों के समान वतन का निर्धारण ।	वेतनमानों का पुनरीक्षण वेतन आयोग के विचाराधीन है ।
(3) कैश सिक्योरिटी तथा फैडेलिटी बान्ड के आधार पर विशष वतन ।	अधिदर्शकों के मामले में इसी प्रकार की मांग शासन के विचाराधीन है । उनके मामले निणय की प्रतीक्षा पर है । उसी आधार पर इसमें भी निर्णय लिया जायेगा ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1048 पर)

1—अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली ।

2—अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई खण्ड, बरेली ।

3—अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, प्रथम बदायूं ।

4—सहायक अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ, नलकूप खंड प्रथम बदायूं ।

5—उपराजस्व अधिकारी बदायं ।

इनके साथ निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी कैम्प में गए—

1—श्री श्रीनिवास गंग, अधिदर्शक

2—श्री भगवानचन्द्र मेहरा, पर्यवेक्षक

3—श्री राम निवास गुप्ता, अधिदर्शक

4—श्री राम प्रकाश शर्मा, लिपिक

5—श्री चेतराम, लिपिक

6—श्री पोषाकी लाल, आशुलिपिक

7—श्री प्यारेलाल चपरासी

8—श्री भगवानदास वर्कन्दाज

9—श्री राममूर्ति, वर्कन्दाज

10—श्री सर्वेश चन्द्र शर्मा, आशुलिपिक (नलकूप मंडल बरेली)

11—श्री शोधन सिंह, चपरासी ,,

12—श्री राजेन्द्र पाल सिंह, रनर ,,

13—श्री केहरी लाल, चपरासी (लिफ्ट सिंचाई खंड बरेली)

14—श्री प्रयाग, रनर तदेव

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 1105 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1972

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में, खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 15, 1971 की धारा 3 का संशोधन

"(प) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4519-बी/33—111-71, दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 द्वार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(फ) निम्नलिखित परिनियत निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष का पद, अर्थात्—

1—उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन,
2—उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन,
3—उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन,
4—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

(ब) निम्नलिखित अपरिनियत निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष का पद, अर्थात्—

1—उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरशन लिमिटेड,
2—उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,
3—उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
4—उत्तर प्रदेश स्टट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड,
5—उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड,
6—उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड,
7—उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड,
8—उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन,
9—हिल डेवलपमेंट करपोरशन लिमिटेड,
10—प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदश लिमिटेड,
11—इण्डियन टपन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड,
12—उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरशन,
13—पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड,
14—बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन द्वारा कुछ अन्य लाभ पदों को अनर्हता से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
संसदीय कार्य मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1105 पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिय ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

उ० प्र० अधिनियम संख्या 1921 ई० में धारा २-ख का बढ़ाया जाय

अविभाजित पंजाब राज्य से संक्रमित क्षत्रों के संबंध म अधिकार-अभिलेख का तयार किया जाना

"2-ख—(1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो तत्समय अविभाजित पंजाब राज्य के क्षेत्र का मूलतः एक भाग था और जो यमुना नदी के प्रवाह के कारण उत्तर प्रदश राज्य क क्षेत्र म 26 जनवरी, 1951 के पूर्व जोड़ दिया गया और 26 जनवरी, 1951 के पूर्व जिसके संबंध में यूनाइटेड प्राविन्सज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 जैसा कि वह उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व था, की धारा 32 में वर्णित कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के मिल जाने से पूर्व भौमिक अधिकार संबंधी किसी पंजाब-विधि के अधीन जमाबन्दी या तत्सदृश निर्मित अथवा अनुरक्षित रजिस्टर में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 1 में वर्णित स्वामित्व अथवा भौमिक अधिकारों के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उस तालिका के स्तम्भ 2 में वर्णित उनक समतुल्य अधिकारों का अभिदेश है:—

स्तम्भ 1 (पंजाब विधि के अधीन अधिकारों का विवरण)	स्तम्भ 2 (उत्तर प्रदेश विधि के अधीन समतुल्य अधिकारों का विवरण)
(1) मालिकआला ..	.. स्वामी
(2) मालिक अवना ..	.. मातहतदार
(3) खुदकाश्त मालिकाना ..	.. खुदकाश्त
(4) मौरूसी काश्तकार या दखीलकारी अधिकार रखन वाला काश्तकार ।	संक्रमण का अधिकार रखने वाला मौरूसी काश्तकार

(5) गैर-मौरूसी काश्तकार अथवा दखील-कारी अधिकार न रखने वाला काश्तकार, जो—	
(क) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 30 में उल्लिखित भूमि से भिन्न भूमि का काश्तकार हो ;	संक्रमण का अधिकार न रखने वाला मौरूसी काश्तकार
(ख) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 30 में उल्लिखित भूमि का काश्तकार हो ।	गैर दखीलकार काश्तकार
(6) गैर-मौरूसी दोयम या शिकमी काश्तकार	शिकमी काश्तकार

(2) इस धारा के प्रारम्भ होने के उपरांत, यथाशक्य, परिषद् उपधारा (1) में दर्शित तालिका में प्रदत्त भौमिक अधिकारों के समीकरण के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के संबंध म अधिकार-अभिलख तयार करायेगी और ऐसा अधिकार-अभिलेख इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, यूनाइटेड प्राविन्सज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व था, की धारा 32 के अधीन निर्मित अधिकार-अभिलख माना जायगा तथा उसे निहित दिनांक से तत्काल पूव प्रभावी हुआ माना जायगा ।"

यीन धारा 74—क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 74 के उपरांत निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"74—क—अध्याय 5 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 2—ख में अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान उस दिनांक पर अथवा देय होगा जिस पर या जिससे कि ऐसे क्षेत्रों के संबंध में देय प्रतिकर अवधारित किया गया हो और मध्यवर्ती को अनुदान देय होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऐसे अनुदान के निमित्त प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार होगा तथा धारा 79 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र देने के संबंध में समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उस पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनर्वासन अनुदान की धनराशि के अवधारण में धारा 98 के अधीन गुणांक (मल्टीपिल) का प्रयोग करते समय किसी मध्यवर्ती के सभी आस्थानों से संबंधित शुद्ध परिसम्पत्तियों को ध्यान में रखा जायगा और अन्य आस्थानों के संबंधमें पूर्व अवधारित अथवा भुगतान की गयी पुनर्वासन अनुदान की धनराशि, धारा 2—ख में अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान की धनराशि अवधारित करते समय, घटा दी जायगी ।"

धारा 342 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 342 की उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 2—ख में अभिदिष्ट किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस धारा के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा ।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले और तत्कालीन पंजाब प्रदेश एवं वर्तमान हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले के बीच यमुना नदी की गहरी धारा सीमा है। सन् 1948 के पूर्व यमुना नदी की धारा में परिवर्तन हो जाने के कारण करनाल जिले के 7 गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आ गये और उत्तर प्रदेश का भाग बन गये। 1 जुलाई, 1952 को उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी होने के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिनियम विधिक दृष्टि से इन ग्रामों में भी प्रवृत्त हो गया। किन्तु उत्तर प्रदेश की भूमि विधि के अनुसार इन ग्रामों के अपेक्षित अभिलेख तैयार न होने के कारण व्यावहारिक रूप से उक्त अधिनियम का प्रवर्तन इन ग्रामों में नहीं हो सका है। ऐसा करने के लिये पहले यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अन्तर्गत भ-अभिलेख बनाने होंगे, और उसके लिये पंजाब की जोतों को उत्तर प्रदेश में प्रचलित जोतों की श्रेणियों में परिवर्तन करने हेतु समीकरण निश्चित करना आवश्यक है।

पंजाब से उत्तर प्रदेश को आये हुए ग्रामों के अभिलेख यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अन्तर्गत बनाने तथा उनका प्रयोग उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रयोजनों के हेतु करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 पुरः स्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1105 पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

यू0पी0 ऐक्ट संख्या 4, 1910 की धारा 62 का संशोधन

2—यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 62 में, शब्द "ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे" के स्थान पर निम्नलिखित रखदिया जाय, अर्थात्:—

"ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है तथा जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किन्हीं विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में छः माह से कम न होगी, और अर्थ-दंड भी दिया जा सकेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है ।"

धारा 69 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 69 में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में:—

(1) शब्द तथा अंक "धारा 62" निकाल दिये जायं;

(2) शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्टक "धारा 60 के खंड (ख)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्टक "धारा 60 के खंड (ख) या धारा 62" रख दिये जायं ; और

(3) शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिय जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

यह अनुभव किया गया है कि राज्य म विकृत स्प्रिट अथवा मेथ्यीलेटेड स्प्रिट के पेय प्रयोजन के रूप में बढ़ते हुए दुष्प्रयोगों को रोकने के निमित्त व्यवस्थित दंड अपर्याप्त है। ऐसे अपराधों में लगे व्यक्तियों के लिये पर्याप्त दण्ड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 की धारा 62 में तथा 69 में उचित संशोधन करना आवश्यक समझा गया है

अतएव, उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधयक, 1973 पुरः स्थापित किया जा रहा है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मंत्री।

के० एस० ए० पी०—ए० पी० 313 एल० ए०—1972—835।

उत्तर प्रदेश विधान सभा